(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 12] पंचम् विधान सभा के बारहवें सत्र का चौथा दिवस [संख्या 2

सोमवार,

दिनांक 4 अक्टूबर, 1976

विधान सभा की बैठक म. पू. 3-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सार्वजनिक निर्माण, विद्युत्, शिक्षा, राजस्थान नहर परियोजना, विधि, कृषि, सिंचाई, जन स्वास्थ्य-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री भुवनेश चतुर्वेदी, श्री ओंकारलाल चौहान!

कोटा में चम्बल का पुल

24. श्री भुवनेश चतुर्वेदी (कोटा) व श्री ओंकारलाल चौहान (डग) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या कोटा में चम्बल का पुल टूट गया है? अगर हां, तो उसके क्या कारण हैं?

(2) क्या यह पुल 1973-74 में भी टूट गया था? अगर हां, तो उसकी मरम्मत पर क्या व्यय किया गया था?

(3) क्या उस समय चम्बल के पुल के बाबत जानकारी के लिए राज्य सरकार ने कोई कमेटी बनाई थी? अगर हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या उक्त कमेटी ने सिफारिश की थी कि पुल की आयु समाप्त हो गई है और नए पुल का निर्माण आवश्यक है?

(5) क्या राज्य सरकार नया पुल निर्माण करने का विचार करती है अथवा इसी पुल की पुनः मरम्मत करना चाहती है?

(6) अगर नया पुल निर्माण करना है तो उसका व्यय क्या होगा और कार्य कब प्रारम्भ किया जावेगा?

(7) क्या सरकार अन्तरिम काल के लिए पोनटून (Pontoon) पुल लगाने का विचार रखती है?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) जी हां, कोटा बैराज से दिनांक 3 सितम्बर, 1976 को 4.58 लाख क्यूसेक्स पानी छोड़ने पर पुल के स्पान नं. 5, 6, 7, 8 तथा 9 नीचे बैठ गए और पुल क्षतिग्रस्त हो गया?

(2) जी हां, 1973-74 में भी पुलिया के स्पान नं. 1 व 2 क्षतिग्रस्त हो

(श्री रामनारायण चौधरी)
गये थे, और इनको बोल्डर डालकर भर दिया गया। इसमें लगभग 10 लाख रुपये का व्यय हुआ है।

(3) जी हां, एक कमेटी बनाई गई थी, जिसकी कि एक प्रति संलग्न है।

(4) जी हां।

(5) सरकार नया पुल बनाने का विचार रखती है।

(6) नया पुल बनाने के लिए सर्वे आदि का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। वित्तीय साधनों की उपलब्धि पर नए पुल का निर्माण कार्य कराया जाना संभव हो सकेगा। इसकी लागत करीब डेढ़ करोड़ रुपये होगी।

(7) इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : क्या सरकार ने हरिसिंह कमेटी की रिपोर्ट स्वीकार की थी ? यदि हां, तो उसमें इस पुल के विषय में जो लिखा गया था कि यह पुल निरर्थक हो गया है, मरम्मत नहीं हो सकती, तो सरकार ने तीन साल फैसला लेने में क्यों लगाए ?

श्री रामनारायण चौधरी : जी हां, सरकार ने हरिसिंह कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार किया था। उसमें सिफारिश थी कि फिलहाल काम चलाने के लिए मरम्मत की जाए। मरम्मत की गई, वित्तीय साधनों की उपलब्धि न होने से नए पुल बनाने का काम हाथ में नहीं लिया जा सका।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : कब तक सर्वे किया जाएगा ?

श्री रामनारायण चौधरी : आप जैसा कहेंगे उतने समय में सर्वे कम्पलीट कराया जाएगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : मैं इनकी ओर से कहता हूं कि 24 घंटे में सर्वे पूरा करा दें।

श्री ओंकारलाल चौहान : यह जो 4.58 लाख क्यूसेक्स पानी छोड़ा गया, इससे पहले इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखा गया ? दूसरी बात, जो हरिसिंह कमेटी की रिपोर्ट है उसकी लाइट में इस बात का ध्यान रखा गया कि यह पुल खराब हो चुका है ? क्या अब सारा ट्रैफिक उस पुल के अभाव में कोटा-बेराज होकर जा रहा है जिसको खतरा है ?

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, इस बात का पता था कि पुल का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था और उसकी मरम्मत की जा सकेगी। जैसी कि हरिसिंह चौधरी ने सिफारिश की थी, यह पुराना हो चुका है और इसकी लाइफ समाप्त हो चुकी है फिर भी क्योंकि काम चलाना था, मरम्मत करके काम चलाया गया। पानी छोड़ना इसलिए जरूरी था कि नहीं छोड़ने से भयंकर स्थिति पैदा होने की संभावना थी। इसलिए तकनीकी दृष्टि से इंजिनियरों ने एक्जामिनेशन करके उचित समझा कि पानी छोड़ा जाना जरूरी है और पानी छोड़ा गया। दबाव अधिक था इसलिए

(श्री रामनारायण चौधरी)
पुल को क्षति हुई। यह सही है कि अब ट्रैफिक दूसरे रास्ते से डाइवर्ट होकर जा रहा है। लेकिन मेरे पास जानकारी नहीं है कि किसी प्रकार का भी खतरा है।

श्री ओंकारलाल चौहान : मंत्रीजी ने बताया कि रिपोर्ट के अनुसार मरम्मत की गई। मैं जानना चाहता हूं कि 10 लाख रुपये जो खर्च किए गए वह वेस्ट हुए या नहीं?

श्री रामनारायण चौधरी : 10 लाख रुपये मरम्मत पर खर्च हुए हैं।

श्री ओंकारलाल चौहान : जब एक पुल की मरम्मत पर 10 लाख रुपये आपने खर्च किये 1973-74 में और दूसरे वर्ष 1974-75 में बरसात में पुल क्षतिग्रस्त हो गया और आज पुल पर चल नहीं सकते तो राज्य सरकार नहीं सोचती कि 10 लाख रुपये वेस्ट हुए?

श्री रामनारायण चौधरी : वेस्ट कैसे कह सकते हैं?

श्री अध्यक्ष : साल भर तो काम दे गया।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : हर साल पुल का निर्माण करें तो हो गया ....

श्री रामनारायण चौधरी : टैक्निकल कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि फिलहाल मरम्मत कराना जरूरी है, उसके आधार पर मरम्मत की गई। उसने यह भी रिकमण्ड किया है कि नया पुल बनाना जरूरी है जिस पर सरकार विचार कर रही है, नया पुल बनाने की यथाशीघ्र कोशिश की जाएगी।

श्री ओंकारलाल चौहान : मंत्री जी ने कहा कि यह वेस्ट नहीं हुआ। जब 1973-74 में यह क्षतिग्रस्त हुआ और 10 लाख रुपये खर्च हुए तो यह ध्यान नहीं रखा कि अगली बरसात में यह पुल क्षतिग्रस्त न हो? यह किसका दोष है? . . . .

(शोरगुल)

श्री रामनारायण चौधरी : मुझे किसी का फाल्ट नजर नहीं आता। पहले स्पान नं. 1 व 2 क्षतिग्रस्त हुआ 1973 में। अब स्पान नं. 5 से 9 खराब हुआ है। जिनकी मरम्मत हुई वे तो ठीक हैं, दूसरों की संभावना नहीं थी। अनहोनी बात हो जाती है तो किसी का कन्ट्रोल नहीं होता।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : मैं हरिसिंह कमेटी की रिपोर्ट की एक लाइन की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :

"'No repair works can be recommended to these damages.' When no repairs can be done then why the Government has spent such huge amount?

श्री रामनारायण चौधरी : आपने एक लाइन पढ़ी है। आगे यह लिखा है कि फिलहाल रिपेयर करना जरूरी है।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : रिपोर्ट में नहीं लिखा है।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय (बूंदी) : कोटा चम्बल पुल पर रेगुलेटेड वाटर आता

(श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय)
है, वहां बरसात के पानी का कोई असर नहीं होता। जो बैराज से छोड़ा जाता है वह आता है। आखिरकार हरिसिंह चौधरी की रिपोर्ट थी तो आपको देश का 10 लाख रुपया वेस्ट करने का क्या अधिकार था? आपके एक्सपर्ट्स की इन्कोम्पीटेंसी थी कि इस तरह से 10-12 लाख रुपए पानी में फेंक दिये। दूसरा ट्रांसपोर्ट विभाग भी आपके पास में है। आपने इतना जरूर किया है कि जनता से 50 पैसे और ज्यादा लेते हैं बूंदी से कोटा पहुंचाने के लिए।

श्री अध्यक्ष : यह तो भाषण हो गया।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : मैं पूछना चाहता हूं कि इसकी वजह क्या है? दूसरी बात कोटा-बैराज एक नेशनल प्रोजेक्ट है। उस पर भरी हुई ट्रक्स ब्रेक्रेट्स से गिरती हैं तो उसका डेमेज होना आवश्यक है। उस नेशनल प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा और जनता को असुविधा हो रही है फिर भी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती।

श्री अध्यक्ष : (श्री योगेन्द्रनाथ हांडा के खड़े होने पर) आप कोटा के बारे में क्या पूछेंगे?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पुल के बारे में। मेरा निवेदन है कि हरिसिंह कमेटी की रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखें क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रेडिक्ट किया है।

श्री रामनारायण चौधरी : मैंने रख दी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या आपकी टैक्निकल कमेटी ने इस बात का केलकुलेशन किया कि पुल कितने वाटर के प्रेशर को स्टैंड कर सकता है? क्या इस प्रकार का असेसमेंट था? जब आपने वाटर रिलीज किया तो उस असेसमेन्ट को मद्देनजर रखते हुए वाटर रिलीज किया?

श्री रामनारायण चौधरी : सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए वाटर रिलीज किया।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : अगर ऐसा होता तो पुल नहीं टूट सकता था।

श्री ओंकारलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने अभी जवाब दिया है कि राज्य सरकार जब चाहे तब पुल बना देगी। इसका क्या मतलब हुआ? मैं मन्त्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि वह सदन में कोई निश्चित तारीख बता दें कि राज्य सरकार कौनसी निश्चित तारीख तक यह पुल बना देगी। सिर्फ यहां हाउस में वर्बल कहने से निश्चित तारीख का पता नहीं लग सकता है कि वहां पर पुल का कब तक निर्माण हो जायेगा। दूसरा मेरा प्रश्न यह है, अध्यक्ष महोदय, यह पुल बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर बना हुआ है। कार्मशियल बेसिस पर भी अगर राज्य सरकार सोचती है तो यह पुल दिल्ली-बम्बई रूट पर है। जहां पर रात-दिन ट्रकें चलती रहती हैं। तो क्या राज्य सरकार इसको नेशनल प्रोजेक्ट मानते हुए इस पुल का निर्माण जल्दी से जल्दी कराने के लिये कोई निश्चित तिथि बताने की कृपा करेगी?

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कभी नहीं कहा कि पुल राज्य सरकार जब चाहेगी बनवा देगी।

(श्री रामनारायण चौधरी)
वैसे पुल बनाने की बात जहां तक है पुल आज या कल में तो बन नहीं सकता। दूसरे यह बोनेट का जहां तक सवाल है वह अवेलेबल भी मुश्किल से होता है। इसके अलावा उसकी कोस्ट भी 25 लाख रुपये के आस-पास है। उसके साथ ही उस पर हेवी ट्रक्स वगैरह नहीं चल सकते क्योंकि उसकी केपेसिटी दस टन से ज्यादा लोड सहने की नहीं होती। अगर उस पर दस टन से ज्यादा का लोड चलता है तो वह समाप्त हो जायेगा। उसके टूटने का खतरा रहता है इसलिए यह भी फिजीबल नहीं है कि 25 लाख रुपये लगा कर वहां पर पुल तैयार किया जाय और फिर भी वह दस टन से ज्यादा का भार सह नहीं सके। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने यहां पर पहले सुझाव दिया उस सन्दर्भ में उसकी उपयोगिता को मैं मानने को तैयार नहीं हूं। क्योंकि इस प्रकार के पुल को बनाने में कीमत भी अधिक लगेगी और उसकी उपयोगिता भी नहीं रहेगी।

प्रश्न संख्या 25

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री झाबरमल सून्डा।

(अनुपस्थित -- कृपया आगे देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीराम गोटेवाला !

राजस्थान विश्वविद्यालय पत्राचार संस्थान में निदेशक की नियुक्ति

26. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री हरगोविन्द पन्त जिन्हें राजस्थान विश्वविद्यालय पत्राचार संस्थान के निदेशक के रूप में हाल ही में राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना करते हुए पक्षपात एवं अनियमित ढंग से नियुक्त किया गया है, के पास इस पद के लिये निर्धारित न्यूनतम योग्यता भी नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि इस पद के लिये अन्य दो स्थानीय प्रत्याशियों को, जो श्री पंत से कहीं अधिक योग्यता रखते थे, साक्षात्कार के लिये भी नहीं बुलाया गया ?

(3) क्या उपरोक्त पद के लिये गठित चयन समिति में तीनों विशेषज्ञों के नाम अधिनियम के अन्तर्गत शिक्षकों के चयन हेतु विशेषज्ञों की सूची तैयार करने वाली उप-समिति द्वारा विधिवत स्वीकृत कराये गये थे ?

(4) यदि हां, तो क्या सरकार विश्वविद्यालय में हुई अनियमित नियुक्तियों को रद्द करने का विचार रखता है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल छंगाणी) : (1) विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री पंत न्यूनतम वान्छित योग्यता रखते हैं।

(2) विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर विश्वविद्यालय को निश्चित अवधि में केवल तीन प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से एक प्रत्याशी उचित योग्यता नहीं रखता था, शेष दोनों प्रत्याशियों को साक्षात्कार के लिये बुलाया गया था।

(3) विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर तीनों विशेषज्ञों के नाम उप-समिति द्वारा स्वीकृत थे।

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

(4) अनियमितताएं पाये जाने पर राज्य सरकार उचित कार्यवाही करेगी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जैसा कि सदन में कहा कि विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर श्री हरगोविन्द पंत न्यूनतम वांछित योग्यता रखते हैं, तो मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि क्या हरगोविन्द पन्त वह क्वालिफिकेशन फुलफिल करते थे जो कि एकैडेमिक कौन्सिल ने प्रेस्क्राइब की थीं ? इस सन्दर्भ में मन्त्री महोदय यह भी बताने की कृपा करें कि एकेडेमिक कौन्सिल ने उस पोस्ट के लिये क्या क्या क्वालिफिकेशन्स रखी थीं और क्या श्री पन्त उन योग्यताओं को फुलफिल करते थे या नहीं ? बस यह बता दें।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, जो एकेडेमिक कौन्सिल ने क्वालिफिकेशन्स रखी थीं उसके अनुसार "A First or Second class Master's Degree of an Indian University or equivalent qualification of a Foreign University in the subject concerned."

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह आप काहे की क्वालिफिकेशन्स बता रहे हैं ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो मन्त्री महोदय से इतना ही स्पष्ट सवाल है कि दिनांक 26-4-76 को जो एकेडेमिक कौंसिल ने इस पोस्ट के लिये क्वालिफिकेशन्स रखी थीं ;जो प्रस्ताव बनाया था वह क्या था ? क्या उसी के आधार पर उनकी नियुक्ति की गई थी ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, जो कि एकेडेमिक कौन्सिल ने रिकमन्डेशन्स की थीं वह यह थीं, "The institution should have a full time director in the Professor's grade." Essential qualifications for the post of a Director will be the same as prescribed for the post of Professors in Political Science, History and Commerce.

(व्यवधान : अश्रव्य)

आप मेरी सुनिये।

Desirably preferably familiarity with the work of supervising and directing of correspondence studies.

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक प्रोफेसर की मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिये ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : A first or second class Master's degree of an Indian University or equivalent qualifications of a foreign University in the subject concerned.

(2) Either a research degree of a doctorate standard or published work of high standard, and

(3) 10 years' experience of teaching at a University or a

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

College, or 10 years post-doctorate research experience and considerably independent Indian Research work, and some experience of guiding research.

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ में मैं थोड़ा यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर किसी व्यक्ति के पास डॉक्टरेट की डिग्री नहीं हो और उस व्यक्ति ने कोई बहुत बड़ा ग्रन्थ लिखा हो या कोई हाई स्टेण्डर्ड की पुस्तकें, बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी हों तो भी उस व्यक्ति का चयन किया जा सकता है, चाहे उस व्यक्ति ने कोई डॉक्टरेट की डिग्री हासिल नहीं की हो। उस व्यक्ति को भी, जिसने बहुत बड़ा ग्रन्थ लिख दिया हो, इस क्वालिफिकेशन के बराबर माना जा सकता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ऐसा कौनसा बड़ा ग्रन्थ लिख दिया है ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, ऐसा उन्होंने कौनसा हाई स्टेण्डर्ड का ग्रन्थ लिख दिया है ? कौनसी ऐसी पुस्तक है जो उन्होंने प्रकाशित कर दी है ? आप कृपया उनकी प्रकाशित की हुई स्टेण्डर्ड की पुस्तक का नाम बतायें।

श्री गोपाल जोशी (बीकानेर) : साथ ही, अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति को कन्सीडर नहीं किया गया क्या उसकी क्वालिफिकेशन श्री हरगोविन्द पन्त से ज्यादा थी या नहीं ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना मुझे उनके बारे में विश्वविद्यालय से मिली है उसको मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूं।

(1) M. A. in Political Science in First Division, first position in Agra University,

(2) 20 years experience of teaching post-graduate classes.

(3) Head of Political Science Department.

(4) Reader on International Matters' in the University from 1972.

(5) Published works of higher standard in 1972 on 'Indian Foreign Policy'.

(6) Published a dozen of research articles,

(7) Hindi translation of Carlyles Medieval Political Thought'.

(8) 'International Relations' book under publication with Hindi Granth Academy.

श्री फूलचन्द जैन : इनको तो आप यूरोप भेजिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, जो मन्त्री महोदय ने फर्माया कि उन्होंने फॉरिन पोलिसी पर पुस्तक लिखी और जिसको मन्त्री महोदय एक बहुत बड़ा ग्रन्थ मान कर चलते हैं वास्तव में वह पुस्तक ऐसी है जिसमें हमारे इण्डिया की फोरिन पोलिसी पर बहुत भारी अटेक किया गया है। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है।

"It denounced 'Colonialism' and neo-colonialism in the harshest

Page No 8

(8)

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

terms as it die in Bandung but kept Bhutan and Sikkim as Protectorates and tried to reduce Nepal as a Satelite. With Burma, Ceylon and other small powers it refused to be even an occasionally benevolent milch ' cow".

अध्यक्ष महोदय, ऐसे व्यक्ति का आपने अनियमित तरीके से सलेक्शन कराया है। मैं अनियमित तरीके से सलेक्शन कराने की बात इसलिये कहता हूं कि आपने एक तो योग्यता नहीं रखने वाले का सलेक्शन कराया दूसरे आपने प्रार्थना-पत्र प्राप्त करने की तारीख बहुत ही कम रखी। तीसरे ऐसे आदमी की योग्यता को आपने नहीं माना जो कि श्री हरगोविन्द पन्त से ज्यादा क्वालिफिकेशन्स रखता था। श्री हरगोविन्द पन्त ने जो पुस्तक लिखी उसमें उन्होंने हमारी अभी की जो वर्तमान सरकार है उसकी बुरी तरह से आलोचना की है। उसमें हमारे यहां के जनतन्त्र के बारे में यह कहा गया है कि हमारे देश की वर्तमान सरकार ने जनतन्त्र को समाप्त कर दिया है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या एकेडेमिक कौन्सिल ने ऐसे ही व्यक्ति के लिए क्वालिफिकेशन को ही प्रेस्काइब किया? मैं मन्त्री महोदय से यह भी स्पष्ट जानना चाहता हूं कि एकेडेमिक कौन्सिल ने कौन कौनसी योग्यता इस पोस्ट के लिये निर्धारित की थी? दूसरे, इसकी लास्ट डेट क्या थी प्रार्थना-पत्र प्राप्त करने की? और क्या जो निर्धारित योग्यता रखी गई थी उसको श्री हरगोविन्द पन्त फुलफिल करते थे या नहीं? इसका जवाब मन्त्री महोदय मुझको दे दें।

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको उनकी पुस्तक में से दो लाइन जरा पढ़ कर सुना देना चाहता हूं—

"The ruling classes now confronted with a growing people's struggle to throw off the exploitative system who were also getting impatient to discord all those trapping of a liberal democracy one by one which charactorised Nehrus so called socialistic pettern of society and fitting sharp and claws of a Police State."

(व्यवस्था-सूचक घन्टी)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपा करके पढ़ने का कष्ट नहीं करें।

श्री विजयसिंह (मांडल) : अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि श्री हरगोविन्द पन्त का क्या बायोडेटा है? वह सदन में बता दें। उन्होंने कौनसी पुस्तक लिखी है जिसके लिये उन्हें कन्सीडर किया गया?

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, श्री हरगोविन्द पन्त आनन्दमार्गी हैं और इनके गुरू वाममार्गी हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह नहीं है आनन्द-मार्गी तो इनके गुरू हैं और यह वाममार्गी हैं। इन दोनों ने मिल कर विश्वविद्यालय का भट्टा ही बिठा दिया है। इस पर भी मन्त्री महोदय इनको बचाने की कोशिश करते हैं।

(व्यवधान: अश्रव्य)

Page No 9

(9)

श्री अध्यक्ष : कृपया एक दफा एक ही सदस्य बोलें ।

श्री योगेंद्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, इन महाशय ने जो पुस्तक लिखी है उसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन्होंने हमारे भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ में बहुत ही अपमानजनक शब्द उस पुस्तक में लिखे हैं जो कि मैं यहां सदन में सुनाना चाहूंगा । उन्होंने नेहरूजी के लिये लिखा है कि—

"But in the hey day of its existence, this 'calf' moved very skilfully in the international arena with such high sounding slogans as anti-imperialism, anti-colonialism, Asian unity, peaceful co-existence etc. and sought to justify its position *vis-a-vis* other 'Big' cows in the harns of the policy of non-alignment. In its own fenced cattle shades it always behaved not as a calf but as a bull."

आप आगे सुनिये । और क्या अपमानजनक शब्द इन्होंने लिखे हैं ।

अध्यक्ष महोदय, ये पं. जवाहर लाल नेहरू के लिये लिखे हुये शब्द हैं ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इससे बढ़कर शर्मनाक बात नहीं हो सकती है ।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : आप इन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट कीजिये ।

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री मोहनलाल छंगाणी : सब एक साथ बोलेंगे तो, अध्यक्ष महोदय, न तो मैं सुन पाऊंगा और न कोई जवाब ही दे पाऊंगा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : ये काश्मीर के लिये क्या कहते हैं । ये कहते हैं, काश्मीर पाकिस्तान का है । पं. जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान के खिलाफ बन्दूक उठाकर अन्याय किया है । बन्दूक क्यों उठाई, पाकिस्तान के खिलाफ, यह इनका कहना है ।

(शोरगुल : अश्रव्य)

गोआ के लिये भी कहा है । गोआ को लिबरेट करने के लिये जो कदम उठाये हैं, वे गलत हैं । इससे अधिक अपमानजनक बात पं. नेहरू के लिये क्या कही जा सकती है ?

श्री अध्यक्ष : मैं एक बात निवेदन कर रहा था । कृपा करेंगे यदि जिस पर मेरी दृष्टि पड़े वही बोलें ।

श्री फूलचन्द जैन : यह मसला ही ऐसा है, बड़ा गंभीर प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : गंभीर उतना ही है, जो बोलना चाहें उनको मौका दे दूं लेकिन एक साथ बोलेंगे तो मुश्किल है ।

श्री सज्जनसिंह : यह हम सरकार के ऊपर छोड़ते हैं Academic achievement of the person selected by the Select Committe. Highly intellectual achievement है या नहीं ? यह तो आप निर्णय कीजिये । यूनिवर्सिटी ने सलेक्ट किया है, मैं यह जानना चाहता हूं कि उस सलेक्ट

(श्री सज्जनसिंह)

कमेटी के प्राफेसर राजकिशन ने इनके सलेक्शन के सम्बन्ध में वॉइस चान्सलर को लैटर लिख कर यह राय व्यक्त की है कि नहीं कि हमें प्रोफेसर के ग्रेड के लिए सलेक्शन करने के लिये नहीं कहा गया है बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सलेक्ट करने के लिये कहा गया है ? एक । दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रो. लोकनाथन ने इस सम्बन्ध में वॉइस चान्सलर को लैटर लिख कर अपनी पोस्ट से इस्तीफा दिया है या नहीं ? यह स्पेसिफिकली जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय !

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सज्जनसिंह जी ने जो सवाल उठाये हैं, वे सही हैं। प्रो. लोकनाथन ने इस्तीफा दिया उसमें बुनियादी कई बातें हो सकती हैं। एकेडेमिक कौन्सिल का रिजोल्यूशन था, उस रिजोल्यूशन के हिसाब से प्राफेसर डाइरेक्टर कारसपोन्डेन्स कोर्स हो सकता है। पहली बात। दूसरी बात, लोकनाथन ने जो बुनियादी सवाल उठाया था, वह यह था. बिना प्रोफेसर के सलेक्शन के क्या डाइरेक्टर, कारसपोन्डेन्स कोर्स हो सकता है या नहीं ? प्रो. लोकनाथन के हिसाब से, जितनी सूचना मिली है, वह यही है कि यह योग्यता नहीं रखते हैं इसलिये इनका सलेक्शन गैर वाजिब है। तो इसको मानकर प्रो. लोकनाथन ने सिन्डीकेट से इस्तीफा दिया और दूसरी अन्य कई बातें और भी हो सकती हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

एक माननीय सदस्य : पूरा जवाब नहीं आया।

श्री मोहनलाल छंगाणी : जब सलेक्शन कमेटी बैठी, सलेक्शन कमेटी का निर्माण करने के लिये तीन आदमियों का पैनल बना हुआ है जो सलेक्शन करता है उन तीन आदमियों का पैनल है, एक, नाथूलाल जी जो पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर हैं, दूसरे हैं श्री आर. के. मिश्रा, जो सिन्डीकेट के मेम्बर हैं और तीसरे हैं श्री जी. एन. शर्मा जो सलेक्शन कमेटी के मेम्बर हैं। तीनों का पैनल है। एक एक्सपर्ट कमेटी बनी, वह कौन कौन से एक्सपर्ट की कमेटी बनी, किस किस तरह की बनी - यह उप-कुलपति के हिसाब से गोपनीय है और गोपनीय दस्तावेज होने के कारण प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। लेकिन जो एक्सपर्ट कमेटी बनी उस कमेटी ने एप्लीकेशन्स मांगी। तीन आदमियों की एप्लीकेशन आई– एक श्री पंत हैं जिनकी चर्चा चल रही है दूसरे मिस्टर मिश्रा हैं और तीसरे चन्द्रकान्ता इण्डिया हैं ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : और मि. के. एल. कमल नहीं हैं ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : इनकी सूचना नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वे मुझ से मिले हैं। उनके पास 30 जुलाई की रसीद है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मुझे स्वयं से कमल जी मिले हैं लेकिन रसीद नहीं दिखाई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उन्होंने कहा है, एप्लाई किया है।

Page No 11

(11)

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, सीक्रेट डॉक्यूमेंट कहकर क्या मंत्री महोदय यह महसूस नहीं करते हैं कि गवर्नमेंट का उस पर कोई अधिकार नहीं है ? यूनिवर्सिटी गुप्त प्रतिवेदन, सीक्रेट डॉक्यूमेंट कहकर उसको छिपाना चाहती है ? क्या यह सही नहीं है कि वह इसीलिये उसको छिपाना चाहती है कि That is very important document. क्या उसके बारे में ......

(व्यवधान: अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : एक एक माननीय सदस्य पूछें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं मंत्री महोदय से, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगा कि क्या गवर्नमेंट इन्ट्रेस्ट के पीछे उस डॉक्यूमेंट को रिलीज करना उचित नहीं है ? किस आधार पर डिनाई कर रहे हैं ?

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : There is nothing confidential and secret for this House.

श्री मोहनलाल छंगाणी : यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडी है।

श्री सज्जनसिंह : We all know that.

श्री मोहनलाल छंगाणी : जो यूनिवर्सिटी ने सूचना दी है वह यही है। हमने पूछा था, कौन कौन से एक्सपर्ट थे और कैसी एक्सपर्ट कमेटी बनी है ? सारी एक्सपर्ट कमेटी जो सलेक्शन के लिये बनी, उसकी सूचना नाथूलाल जी आदि की उपकुलपति ने दी है। लेकिन कौन कौनसी एक्सपर्ट कमेटी और किस किस के लिये बनीं, उसमें कौन कौनसे आदमी थे, कौन कौन प्रोफेसर थे, इस बारे में हमें सूचना अभी नहीं मिली है। उसे गोपनीय रखना वाइस चान्सलर ने तय किया है और ऑटोनोमस बॉडी का जो निर्णय है, हमें उसको मान लेना चाहिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह था, आपके माध्यम से मैं यह पूछना चाहता हूं-हालांकि प्रश्न ओवर में पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज नहीं कर सकता हूं लेकिन कोई भी ऑटोनोमस बॉडी किसी कागज पर कह देती है कि गुप्त प्रतिवेदन है और हमें बताना नहीं चाहती हैं तो क्या सरकार कम्पेल नहीं कर सकती है ? उस कागज को मंगाकर देखें कि क्या है ? मैं निवेदन करूंगा, जब तक वह कागज नहीं आ जाय, तब तक इस प्रश्न को डेफर किया जाय, यह मांग है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (भीनमाल) : गोपनीय रखने का अधिकार है तो वह सरकार को है कि जनहित में जनता को नहीं बताये। ऑटोनोमस बॉडी के नाम पर यह कह दे कि वह गोपनीय है, यह दलील अपने सामने चल नहीं सकती है। शायद जो गोपनीय है उसकी आड़ में ही कोई चीज छिपाना चाहते हों। इसलिये क्या उनको इस प्रकार के अधिकार हैं कि गोपनीय कह कर किसी चीज को छिपा लें ? यह देखने की बात है। मैं समझता हूं, केवल राज्य सरकार का या केन्द्रीय सरकार को ही ये अधिकार प्राप्त हैं कि कुछ मामलों को गोपनीय कहकर

Page No 12

(12)

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)
जनता के हित में है नहीं बतायें, क्योंकि कुछ मामले जनता में खोलना भी उचित नहीं है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : गोपनीय रखने का आधार क्या है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : You can't claim.

इसके बारे में और कुछ कहना है तो कह दीजिए....

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : कौन से लॉ के तहत गोपनीय है ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, वाइस चान्सलर महोदय से कहूंगा कि जल्दी से जल्दी यहां पेश कर दें । जो एक्सपर्ट लोगों की लिस्ट है....

श्री श्रीराम गोटेवाला : और नहीं की तो....

श्री मोहनलाल छंगाणी : नहीं की तो आपके सामने प्रिविलेज है ...

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सदन के सामने रखा जाय या नहीं रखा जाय ....

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय ने जवाब दे दिया है । वे प्रयत्न करेंगे, और इसको दृष्टि में रखकर कुछ करेंगे तब तक के लिए डेफर किया जाता है....

(शोरगुल : अश्रव्य)

क्वेश्चन तो मैंने अभी समाप्त नहीं किया है और आगे के लिए रख दिया है । मैं चाहूंगा कि यह इसी सेशन में आ जाय ।

नेक्स्ट !

राजस्थान नहर क्षेत्र के सी. ए. डी. सेक्शन द्वारा धन का दुरुपयोग

17. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : क्या राजस्थान नहर परियोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर क्षेत्र की उन्नति के लिए (पक्का खाला लेवलिंग आदि के लिए) विश्व बैंक से करीब 130 करोड़ रुपया कर्ज के रूप में लिया गया है मगर राजस्थान नहर क्षेत्र में उसका दुरुपयोग हो रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर क्षेत्र के सी. ए. डी. सेक्शन द्वारा इस वर्ष करीब 60 हजार सीमेन्ट की बोरी सही रूप में स्टोर न करने के कारण वर्षा में नष्ट हो गई और इसी तरह खड़े ट्रैक्टरों के दैनिक भाड़े के व मजदूरी के झूठे बिल बनाये जा रहे हैं और धन का दुरुपयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

सिंचाई मन्त्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का कृषि विभाग से सम्बन्ध है इसलिए कृषि विभाग को उत्तर देने के लिए भेज दिया गया है । अतः कृषि मन्त्री इसका अपने टर्न पर जवाब देंगे ।

श्री गुरदयालसिंह संधु : अध्यक्ष महोदय, मेरी यह रिक्वेस्ट है कि यह बहुत

(श्री गुरदयालसिंह संधु)
जरूरी प्रश्न है और राजस्थान सरकार का लाखों रुपया नष्ट हो रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसका जवाब इसी सैशन में दे दिया जाये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, इसका कतई कृषि विभाग से सम्बन्ध नहीं है। इसका सम्बन्ध सिंचाई विभाग से है। सिंचाई विभाग के सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर, चीफ इन्जीनियर ...

श्री अध्यक्ष : आप तकरीर क्या फर्मा रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह प्रश्न अलग है। 60 हजार थैले, अध्यक्ष महोदय, टीलों में दबा दिए और इनके इन्जीनियर्स ने दबा दिए। कृषि मन्त्री से इसका क्या संबंध है?

श्री अध्यक्ष : आप मैरिट्स पर कैसे बोल सकेंगे?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, आप रूलिंग दे दीजिए। मेरा कहना यह है कि यह कृषि विभाग से संबंधित नहीं है। इनके इन्जीनियर्स ने सारा स्केण्डल किया है इसलिए सिंचाई मन्त्री इसका उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

प्रश्न संख्या 28

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 29

श्री चतरभुज !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

गंगानगर में कृषि अनुसंधान केन्द्र

30. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (सूरतगढ़): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार कृषि अनुसंधान केन्द्र गंगानगर में खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या उक्त केन्द्र के लिए कोई फार्म भी राज्य सरकार गंगानगर में ले रही है? यदि हां, तो कहां और कितने एकड़ का?

(3) क्या यह सही है कि कुछ दिनों पहले जी. डी. आर. एम्बेसी के कुछ अधिकारी कृषि मन्त्री से मिले थे और उन्होंने कृषि अनुसंधान, उन्नत बीज उत्पादन आदि के लिए सहायता की पेशकश की थी?

(4) क्या राज्य सरकार उक्त सहायता तुरन्त प्राप्त करने की दिशा में कदम उठायेगी?

कृषि मन्त्री (श्री मोहनलाल छंगाणी):
(1) गंगानगर में कृषि अनुसंधान केन्द्र पहले से ही है।

(2) अनुसंधान केन्द्र के साथ गंगानगर में फार्म मौजूद है।

(3) जी हां।

(4) राज्य सरकार उचित कार्यवाही करेगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, अनुसंधान केन्द्र कब तक शिफ्ट हो जायेगा ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, शिफ्ट हो गया है । हमारे जितने अनुसंधान केन्द्र थे एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट के पास वह सारे के सारे यूनिवर्सिटी को सौंप दिए गए ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यूनिवर्सिटी को शिफ्ट करने की बात है ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : आपका प्रश्न, अध्यक्ष महोदय, दूसरा था । दरअसल में यूनिवर्सिटी का रिसर्च वहां पर गंगानगर में किया जाये या नहीं किया जाये यह प्रश्न विचाराधीन है । किस तरह से किया जाये क्या किया जाये, कितना एरिया वहां अलॉट किया जाये, किस टाइप की रिसर्च की जाये-यह प्रश्न विचाराधीन है और इस बारे में हम पूरी मुस्तैदी से कार्यवाही करेंगे और जल्दी ही हम कोई न कोई निर्णय लेंगे ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह स्पष्ट नहीं हुआ । आपने कृषि अनुसंधान केन्द्र कृषि विभाग से यूनिवर्सिटी को दे दिये । मेरा प्रश्न यह है कि यूनिवर्सिटी से गंगानगर कब शिफ्ट होंगे ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : यूनिवर्सिटी ने टेक-ओवर कर लिया है और अब वहां कार्यवाही जल्दी शुरू हो जायेगी । मेरा खयाल है कि निश्चित रूप से जो हमारी फार्मेलिटीज होनी चाहिए वह पूरी हो चुकी हैं और आपका 88 एकड़ का कृषि फार्म है वह जल्दी शुरू किया जायेगा । उसमें एडाप्टिव रिसर्च और कोऑर्डिनेटिव रिसर्च काम में आयेगा वह काम में आयेगा ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री भूराराम !

शिखर बांध (तहसील आबू रोड) के आदिवासी विस्थापितों का बसाने की योजना

31. श्री भूराराम (आबू रोड) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि आबू रोड तहसील में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत शिखर बांध का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ? अगर हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त बांध के डूब में आने के कारण लगभग 70 आदिवासियों के परिवार विस्थापित हुये हैं ? यदि हां, तो विस्थापित हुये परिवारों के घरों व कुओं का मुआवजा देने की राज्य सरकार की कोई योजना है ?

(3) क्या राज्य सरकार इनको पुनः बसाने की मंशा रखती है ? यदि हां, तो अभी तक इनको क्यों नहीं बसाया गया ?

(4) क्या राज्य सरकार उक्त विषय में हुए विलम्ब की जांच करवायेगी ? तथा दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

सिंचाई मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) आबू रोड तहसील में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत शिखर नामक

(श्री हीरालाल देवपुरा)
बांध नहीं है गिरवर बांध का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(2) उक्त बांध के डूब में तथा बांध के अलॉटमेन्ट के नीचे व बोरोपिट्स में आने से 36 आदिवासियों के परिवार विस्थापित हुए हैं। इन विस्थापित परिवारों का भूमि का मुआवजा दे दिया गया है। घरों व झौंपड़ियों आदि के मुआवजे संबंधी कागजात तैयार कर लिए गए हैं। स्वामित्व संबंधी आवश्यक सत्यापन प्राप्त होने पर भुगतान कर दिया जावेगा।

(3) विस्थापितों को उनकी सम्पत्ति का नियमानुसार पूरा मुआवजा नकद में दिया जायेगा। वे स्वयं ही बांध के जल प्रसार क्षेत्र के बाहर बस गये हैं।

(4) इस बांध का निर्माण कार्य अभी प्रगति पर है। बांध का मुख्य कार्य इसी वर्ष वर्षा ऋतु से पहले पूर्ण हुआ है। बांध के प्रसार क्षेत्र में बसने वाले लोग पानी भरने से पूर्व ही प्रसार क्षेत्र से बाहर स्वयं बस चुके हैं। मुआवजा देने की कार्यवाही की जा रही है। शीघ्र इस संबंध में निर्णय ले लिया जायेगा।

श्री मोहनराज (बाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं इसी संबंध में प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन आदिवासी परिवारों की इस बांध के बनने के कारण भूमि डूब में आ चुकी है उनको कोई और भूमि इसके एवज में कृषि हेतु दी गयी है? यदि नहीं दी गई है, तो क्या राज्य सरकार द्वारा इस बांध के डूब में आने वाली भूमि ज्यों ही खाली होगी उसे काश्त करने के लिए उन्हीं विस्थापित आदिवासी परिवारों को दे दी जायेगी?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि जो भूमि जलग्रहण क्षेत्र में आई है उसका पूरा मुआवजा दे दिया गया है। इसलिए नियमानुसार अब उनको दूसरी भूमि दिलवाने का सिंचाई विभाग का कोई दायित्व नहीं रह जाता है। वह चाहें तो रेवेन्यू विभाग से अपने लिए भूमि अलॉट करा सकते हैं या ले सकते हैं। जहां तक जलग्रहण क्षेत्र की भूमि का सवाल है ज्यों ज्यों भूमि खाली होगी त्यों त्यों आवंटन के नियमानुसार उनको आवंटित की जायेगी। उस पर किसी का स्वामित्व नहीं रखा है।

श्री भूराराम : मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वहां पर 10 परिवारों को ही मुआवजा दिया गया है। बाकी अभी तक रगड़ रहे हैं और आपका जो उत्तर है वह गलत है।

श्री हीरालाल देवपुरा : 36 परिवारों को देना था और 36 परिवारों को ही भूमि का मुआवजा दे दिया गया है और उनको उनके घर और कच्चे मकानों का मुआवजा देना है। इस बीच ही पानी आ चुका था इसलिए वह स्वयं ही बाहर की ओर ऊपर की ओर पहले ही बस चुके हैं।

श्री भूराराम : भूमि का मुआवजा केवल 10 को ही दिया गया है।

श्री हीरालाल देवपुरा : मुझे नाम बता दें। मैं उनकी जानकारी करके बता दूंगा।

श्री विजयसिंह : अगर मुआवजा वह वापिस लौटा दें तो क्या उनको वापिस खातेदारी हक दे देंगे या नहीं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में राज्य सरकार के नियम स्पष्ट हैं अतः उनके अनुसार यदि वे कार्यवाही करेंगे तो निश्चित रूप से उसके मुताबिक कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

प्रश्न संख्या 32

श्री जनार्दनसिंह गहलोत !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री रामानन्द अग्रवाल !

लालबहादुर शास्त्री कॉलेज, जयपुर के व्यवस्थापन में अनियमिततायें

33. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि लालबहादुर शास्त्री कॉलेज, जयपुर के व्यवस्थापन में धन के गबन और अनेक गम्भीर अनियमिततायें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कक्कड़ कमेटी और भार्गव कमेटी द्वारा पाई गई हैं ? क्या राज्य सरकार ने इन रिपोर्टों के आधार पर उक्त संस्थान के व्यवस्थापकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? और नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) क्या राज्य सरकार को मालूम है कि इस कॉलेज की व्यवस्थापिका सभा के अध्यक्ष श्री देवीशंकर तिवाड़ी के विरुद्ध भारत सेवक समाज के अध्यक्ष के रूप में गबन और धन के दुरुपयोग के आरोप कपूर कमीशन की रिपोर्ट में भी लगाये गये हैं ? यदि हां, तो ऐसी स्थिति में क्या उनका इस कॉलेज का आजीवन अध्यक्ष बना रहना राज्य सरकार ठीक मानती है ?

(3) क्या यह सही है कि इस कॉलेज में हाल ही में विश्वविद्यालय सिंडीकेट के 4 जुलाई, 1974 के निदेशों की अवहेलना करते हुए प्रिंसीपल के पद को विज्ञापित किये बगैर श्री ललितशंकर तिवाड़ी को, जो कि अध्यक्ष के भतीजे हैं, कार्यकारी प्रिन्सिपल बना दिया है ?

(4) क्या यह सही है कि इस कॉलेज की साधारण सभा के एक फाउन्डर मेम्बर ने इस संबंध में राज्य सरकार को पत्र लिख कर इस नियुक्ति पर अपना विरोध प्रकट किया है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाया है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल छंगाणी): (1) जी हां । इस रिपोर्ट में मूल आपत्ति श्री सेठ को अनियमित रूप से निकालने पर थी । इस पर राज्य सरकार ने मैनेजिंग कमेटी की कार्यवाही को उचित माना है । इस मामले में सदन में मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा गत विधान सभा सत्र में वक्तव्य दिया जा चुका है । लेखा संबंधी शिकायतों पर कार्यवाही विचाराधीन है ।

(2) विभाग की जानकारी में नहीं है ।

(3) श्री तिवाड़ी को मैनेजिंग कमेटी ने 1 जुलाई, 1976 से अस्थायी कार्यवाहक आचार्य नियुक्त किया है जिसकी स्वीकृति संस्था ने विश्वविद्यालय से नियुक्ति से पूर्व 24 मई, 1976 को प्राप्त कर ली थी ।

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

(4) जी हां। संस्था ने विश्वविद्यालय से अस्थायी नियुक्ति की स्वीकृति प्राप्त कर ली है अतः किसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एक्ट में प्रावधान है प्रिन्सिपल के चयन के लिए उसके अनुसार इनका चयन नहीं किया है? मैं आपको पढ़ कर सुनाऊं :

"Clause 5 of the Statement 26 of the University say that every quality is maintained by Government in making appointment after advertisement and on the recommendation of the Selection Committees.......

तो इसके मुताबिक न कोई सलेक्शन कमेटी चुनी और न उसके मुताबिक चयन ही हुआ है। एकेडेमिक कौंसिल के इस रिजोल्यूशन को दृष्टिगत रखते हुए उन्हीं की तरफ से चिट्ठी लिखी गई थी। उस पर यह पास हुआ था। तो फिर उसके विरोध में यह चयन कैसे कर लिया गया?

श्री मोहनलाल छंगाणी : अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो यहां पर कहा है वह सही है। पर वे प्रिन्सीपल नहीं हैं। अभी तक वे एक्टिंग प्रिन्सीपल हैं। एक्टिंग प्रिन्सीपल को रखने के लिए यूनिवर्सिटी से सहमति ली गई है और जब ही प्रिन्सीपल बनाया गया है। अब जब प्रिन्सीपल का चयन होगा तब इसी पद्धति का अनुसरण किया जायेगा जैसा कि रेफरेन्स अभी माननीय सदस्य ने यहां पर दिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि इससे पहले एक श्री डी. पी. सिंह को यूनिवर्सिटी से डेपूटेशन पर एक वर्ष के लिए मांगा था? एकेडेमिक कौंसिल ने यह जो रिजोल्यूशन किया था वही पद्धति अपनाई गई थी। फिर इस केस में जो ललित-शंकर को प्रिन्सीपल बनाया गया है, उनकी वह मिनिमम क्वालिफिकेशन भी नहीं है जो कि दस वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिये। तो उनकी टेम्प्रेरी तौर पर नियुक्ति को क्या सही मानते हैं?

श्री मोहनलाल छंगाणी : इसमें सही मानने या नहीं मानने का सवाल नहीं है। यूनिवर्सिटी के सामने रिक्वेस्ट की थी कि हमें एक्टिंग प्रिन्सीपल इनको रखने के लिए इजाजत दी जाये। तो यूनिवर्सिटी ने उनको इजाजत दे दी। जब प्रिन्सीपल का पर्मानेन्टली तौर पर चयन किया जायेगा तो यह पद्धति अपनाई जाएगी। यूनिवर्सिटी ने उन्हें कार्यवाहक प्रिन्सीपल अपाइन्ट करने की सहमति दी है। यह सवाल है कि यूनिवर्सिटी ने यह सहमति सही दी है या गलत दी है--यह अलग से सवाल है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या ऑफिसियेटिंग प्रिन्सीपल की क्वालिफिकेशन इस प्रेस्क्राइब्ड क्वालीफिकेशन से अलहदा हो सकती है? इस बात पर क्या आपने अपना माइन्ड एप्लाय किया है कि यूनिवर्सिटी ने यह सही किया है या गलत किया? क्या इस चीज से यह पता नहीं चलता है कि प्रभावशाली व्यक्ति की रिक्वेस्ट पर यह सब किया गया?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो इनको एक्टिंग प्रिन्सीपल अपाइन्ट किया गया है, यह कितने अर्से के लिए किया है, दो साल, तीन साल या पांच साल के लिए किया है ? यदि वह कन्टीन्यूअसली पांच साल के लिए है और वही व्यक्ति एक्टिंग प्रिन्सीपल चलता रहे, तो यह ठीक नहीं होगा। इसका जवाब मैं मंत्री महोदय से चाहता हूं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अभी तक यह सोचा नहीं है। मैं सारी सूचना मंगा कर जो कार्यवाही करनी चाहिये वह निश्चित तौर से करूंगा और जल्दी से जल्दी प्रिन्सीपल का चयन करके उसकी व्यवस्था की जाएगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पहले प्रश्न के उत्तर में जांच कमेटियों के सम्बन्ध में आपने बताया है, मेरा यह निवेदन है कि इस रिपोर्ट की चर्चा केवल इस सत्र में ही नहीं पहले भी कई बार हो चुकी है, यह इम्पोर्टेन्ट मुद्दा है। उनका कॉन्स्टीट्युशन गलत तरीके से अमेन्ड कर लिया गया है और श्री तिवाड़ी को गलत तरीके से लाइफ प्रेसीडेन्ट बना दिया गया है। यह सारे, तमाम मुद्दे हैं। यह कमेटी ने होल्ड किया है कि यह अमेन्डमेन्ट गलत तरीके से किया गया है, अवैधानिक तरीके से किया गया है और इस प्रकार से श्री तिवाड़ी को लाइफ मेम्बर बनाना वैधानिक नहीं है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : कमेटी ने जो राय दी है वह सही है। पहले यह जनरल कमेटी में एप्रूव होना चाहिये था उनको लाइफ मेम्बर/प्रेसीडन्ट बनाने वाला संशोधन और उसके बाद मैनेजिंग बॉडी में परन्तु यहां पर यह उल्टा किया गया है। पहले यह मैनेजिंग बॉडी में एप्रूव किया गया और बाद में इस अमेन्डमेन्ट को जनरल बोडी से एप्रूव कराया गया। इस पर कक्कड़ कमेटी ने राय दी है और यह होल्ड किया है कि यह अवैधानिक कार्य हुआ है। इसके बारे में शीघ्र ही मैं कार्यवाही करूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पद पर आने के बाद वोट प्रभावित हो जाते हैं। कक्कड़ कमेटी की रिपोर्ट से यह साबित हो गया है कि वास्तव में पहले उनको साधारण सभा से मन्जूरी लेनी चाहिये थी और तब लाइफ मेम्बर बनाना चाहिये था। ऐसा न करना अनकॉन्स्टीट्यूशनल है और इस प्रकार श्री तिवाड़ी का चेयरमैन बने रहना अनकॉन्स्टीट्यूशनल है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह एक रजिस्टर्ड बॉडी है और रजिस्ट्रार के पास यह रिपोर्ट भेज रहा हूं कि आया यह एक्ट का अमेन्डमेन्ट कांस्टीट्यूशनल है या अनकांस्टीट्यूशनल है। उनकी राय के पश्चात् पूर्ण कार्यवाही करूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कक्कड़ कमेटी की नियुक्ति इन मामलों की जांच के लिए हुई थी लेकिन भार्गव कमेटी इस संस्था के गबन, घोटाले, अनियमितताओं की जांच करने के लिए नियुक्त की गई थी। भार्गव कमेटी ने इस संस्था में हजारों रुपयों के मिस एप्रोप्रिएशन होने की रिपोर्ट दी है। तो राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्रीमती उषा प्रकाश (बैर) : मैं यह पूछना चाहूंगी कि जब यह दोनों कमेटियां

(श्रीमती उषा प्रकाश)
नियुक्त की गई थीं तो किस आधार पर की गई थी और इनका टर्म्स ऑफ रेफरेन्स आपने क्या रखा था ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : भार्गव कमेटी के बारे में वैसे यह बात थी कि भार्गव कमेटी से अकाउन्टस् की जांच कराई जाये। प्रश्न यह था कि हमारी जो ग्रान्ट थी, जो लालबहादुर शास्त्री कॉलेज को दी गयी थी उसका यूटिलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है। थोड़ा सा यह प्रश्न था इसीलिए दो किश्तों में ग्रान्ट रिलीज की गई। पहले 75 हजार और दूसरी किश्त में 65 हजार कुल मिला कर 1 लाख 40 हजार ग्रान्ट दी गई। यह साइन्स ब्लॉक के लिए थी। तो यह जांच का प्रश्न था कि इसका यूटिलाइजेशन हुआ है या मिस-यूटिलाइजेशन हुआ है। इसके बारे में भार्गव कमेटी ने डिटेल में जांच की है और उसने यह पाया कि इसका प्रोपर यूटिलाइजेशन नहीं किया गया। परन्तु इसमें कुछ हमारी भी खामियां थीं। जिस तरह कि 24 मार्च को यह ग्रान्ट रिलीज की गई और यह कहा गया कि 31 मार्च तक इस ग्रान्ट का यूटिलाइजेशन हो जाना चाहिये। यह क्यों हुआ, किस तरह से हुआ ? सरकारी मशीनरी में इस तरह की कई कमियां हैं। परन्तु ग्रान्ट के यूटिलाइजेशन के बारे में दो तरह की राय है। डाइरेक्टर ऑफ कॉलेज एजूकेशन का यह कहना है कि यह ब्लाक पहले ही बन चुका था, वह साइन्स ब्लाक ही था इसलिए इसकी ग्रान्ट मिस-यूटिलाइज नहीं हुई है, ग्रान्ट का प्रापर यूटिलाइजेशन हुआ है। डाइरेक्टर आफ कॉलेज एजूकेशन और भार्गव कमेटी दोनों की रिकमन्डेशन मेल नहीं खाती हैं। मेल नहीं होने के कारण क्या एक्शन लेना चाहिये-भार्गव कमेटी ने जो कहा है वह सही है और डाइरेक्टर ऑफ कॉलेज एजूकेशन ने जो कहा है वह गलत है, यह बात राज्य सरकार नहीं मान सकती। इसलिए हम इसकी इन्क्वायरी करा रहे हैं और जल्दी से जल्दी भार्गव कमेटी ने जो कार्यवाही करने को कहा है, उस पर कार्यवाही कराने का प्रयास करूंगा, यह आश्वासन मैं दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया !

श्री योगेन्द्रनाथ हाँडा : यह कपूर कमीशन की रिपोर्ट के बारे में भी बता दें तो सारा ही मामला साफ हो जाएगा।

श्री मोहनलाल छंगाणी : कपूर कमीशन की रिपोर्ट का मुझे पता नहीं है। आप मुझे रिपोर्ट दे दें। इस रिपोर्ट की मुझे जानकारी नहीं है। मुझे रिपोर्ट दे दें तो मैं उसके आधार पर कार्यवाही करूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह सरकारी डॉकूमेंट है और मंत्री महोदय को इसकी जानकारी नहीं है। यह केन्द्रीय सरकार ने इन्क्वायरी करायी है। आप गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया से इसकी एक प्रति मंगा सकते है। वाल्यूम 24 में इसका सारा रेफरेन्स है। इसमें यह चार्ज हैं कि श्री देवीशंकर तिवाड़ी ने गबन किया है। ये चार्जेज बाकायदा एक स्टेच्यूटरी कमीशन द्वारा लगाये गये हैं। ऐसे व्यक्ति को चेयरमैन रखना उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : एक प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : No. No.

दौसा में अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय की मांग

34. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्तमान में कार्यरत सहायक अभियन्ता विद्युत् दौसा के क्षेत्राधिकार में कितना व कौन कौन सा क्षेत्र आता है? इस क्षेत्र में कुल कितने एवं किस किस किस्म के कनेक्शन दिये हुए हैं? कृपया क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में विद्युत् कनेक्शनों की संख्या काफी अधिक है और सहायक अभियन्ता दौसा पर कार्य का दबाव भी काफी अधिक है?

(3) क्या यह भी सही है कि अधिशासी अभियन्ता के अभाव में उक्त क्षेत्र के किसानों को जयपुर आना पड़ता है और काफी समय व धन बर्बाद करना पड़ता है?

(4) क्या राज्य सरकार दौसा में अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय स्थापित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

विद्युत् मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) (अ) वर्तमान दौसा उपखंड के अन्तर्गत दौसा, लालसोट, सिकराय, बांदीकुई, बस्सी व जमवारामगढ़ के विद्युतिकृत 117 गांव आते हैं। (ब) विभिन्न उपभोक्ताओं की श्रेणीवार सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) इस उप खंड में कार्यभार कुछ ही अधिक है।

(3) केवल अधिशासी अभियन्ता से संबंधित कार्यों के लिये ही उपभोक्ताओं को जयपुर आना पड़ सकता है।

(4) अधिशासी अभियन्ता कार्यालय मण्डल द्वारा स्वीकृत नॉर्म्स के अनुसार ही बनाये जा सकते हैं। इस क्षेत्र में अभी ऐसी स्थिति नहीं है यद्यपि दौसा उपखण्ड के विभाजन का प्रश्न मण्डल के विचाराधीन है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मूलचन्द सामरिया : यह परिशिष्ट 'अ' कहां पर है? यह सूची जो आपने बतायी है, यह मुझे नहीं मिली है।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने सबमिट कर दिया है। अगर रह गया है तो मैं दे दूंगा।

श्री मूलचन्द सामरिया : यह जो ए. ई. एन. का दफ्तर है, वह गलत से गलत बिल बना देता है और उसको सही कराने के लिए, या उस अमाउन्ट का क्रेडिट लेने के लिए उस कन्जूमर को एक्स. ई. एन. के दफ्तर, जो जयपुर में है, आना पड़ता है। इससे उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ती है। तीन तीन तहसीलों में

(श्री मूलचन्द सामरिया)
दौसा जैसा बड़ा क्षेत्र है और जिसका दो जिलों के बराबर स्वरूप है इसलिए वहां पर एक्स. ई. एन. का ऑफिस खोला जाये तो लोगों को सुविधा होगी। इससे लोगों को राहत मिल सकती है।

श्री हीरालाल देवपुरा : एक्स. ई. एन. का ऑफिस हर जगह स्थापित नहीं किया जा सकता। कुछ नार्म्स के आधार पर ही यह खोला जाता है। फिर दौसा की जयपुर से दूरी कोई ज्यादा नहीं है। राजस्थान में कई ऐसे स्थान हैं जहां पर दौसा से भी दुगुनी दूरी है और उन्हें भी एक्स. ई. एन. के दफ्तर आना-जाना पड़ता है। इसलिए वहां पर एक्स. ई. एन. का दफ्तर तो नहीं खोला जा सकता परन्तु हां वहां के असिस्टेन्ट इन्जीनियर पर ज्यादा कार्य-भार न पड़े, उसका काम हल्का हो, जिससे ए. ई. एन. को सहूलियत हो जाये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री मूलचन्द सामरिया : अभी तो मैंने पूछा ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : आपका जवाब हो गया है।

नेक्स्ट। श्री बेगाराम !

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, जैसा मन्त्री महोदय ने कहा, एक तरफ आप यह तो मानते हैं कि प्रेशर ज्यादा है। उप खण्ड दौसा का विभाजन करना चाहते हैं। एक साल से विचाराधीन है सही भी है और जल्दी उसका विभाजन कर लेना चाहिये। दूसरा आपने कहा कि 132 के. वी. एक साल में तैयार हो जायेगी। उस समय में मैं समझता हूं कि आपका अधिशासी कार्यालय होना और भी आवश्यक है। इसे आप उचित मानते हैं या नहीं मानते हैं? अगर मानते हैं तो विचार करें कि पूरे दौसा उप खण्ड में कितनी भारी आवश्यकता है। कर्मचारियों को बार बार एक्स. ई. एन. ऑफिस में जयपुर आना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय मन्त्री जी कुछ फर्मा रहे हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय सदस्य, आप दूसरे एक्स. ई. एन. की बात कहते हैं तो वह तो मैं आपसे बात कर चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री बेगाराम !

चक 67 आर. बी. (रायसिंहनगर) के काश्तकारों के खेतों के लिए रास्ता

35. **श्री बेगाराम चौहान** (रायसिंहनगर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चक 67 आर. बी. की जब से चकबन्दी हुई थी तब से आज तक इस चक वालों के लिये और इन काश्तकारों के लिये इस चक से अपनी अपनी जमीन में या खेतों में जाने का कोई रास्ता या सड़क नहीं है ?

Page No 22

(22)

(श्री बेगाराम चौहान)

(2) क्या यह सही है कि गांव से बाहर निकलने की मामूली पगडन्डी दी हुई थी वह भी अब रोक दी गई है, जो पुराना रास्ता था वह मुरब्बा नम्बर 40 में गांव से बाहर जाने का था, श्री दीपाराम वल्द श्री कालूराम किला नम्बर 5 और 6 इसी मुरब्बे में श्री मनफूलाराम वल्द श्री कुम्भाराम किला नम्बर 25, 15 व 16 इसी मुरब्बा नम्बर 40 में 16।। खाले के लिए सरकारी जमीन है इसमें से 6 फीट तो फिलहाल खाली चल रही है जो कि मन्जूर शुदा है, और 10। फीट भूमि नाजायज काश्त कई अर्से से कर रहा है ?

(3) क्या राज्य सरकार जिन जिन व्यक्तियों द्वारा नाजायज कब्जा किया हुआ है उनका कब्जा हटाकर काश्तकारों को रास्ता दिलायेगी ?

(4) क्या यह भी सही है कि रायसिंहनगर एस. डी. एम. द्वारा पुलिस से जांच करवाई गई है ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला ?

(5) क्या यह सही है कि मुरब्बा नम्बर 27 में श्री दीपाराम ने भी रास्ता रोक दिया है जो कि कई सालों से चल रहा था ?

(6) क्या यह भी सही है कि वे काश्तकार इस रास्ते के एवज में जमीन और मुआवजा देने को तैयार हैं ? यदि हां, तो फिर उनको रास्ता क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

श्री हीरालाल देवपुरा (सिंचाई मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के सम्बन्ध राजस्व विभाग से है। मैं प्रश्न राजस्व विभाग को भेज चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रावतराम !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बिल्कुल रास्ता खेतों में जाने का नहीं है, छोटी पगडन्डी है वह भी बन्द कर दी है। माननीय मन्त्री महोदय, 16 फीट जमीन है उसमें से रास्ते के लिए 10।। फीट जमीन पर से नाजायज काश्त हटाकर किसानों के लिए रास्ता नहीं निकाल सकते ? माननीय मन्त्री महोदय सरकारी जमीन के सम्बन्ध में सोचते नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

ग्राम टपूकड़ा की जल प्रदाय योजना

36. श्री रतीराम यादव (तिजारा) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(1) क्या यह सही है कि ग्राम टपूकड़ा (अलवर जिला) में जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार ने तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा आर. सी. सी. ओवर हैड टैंक निर्माण करने के लिए नियुक्त स्थान को त्याग कर अन्यत्र आर. सी. सी. टैंक बनाने का निर्णय लिया ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) उपरोक्त स्थान बदलने का निर्णय लेने के लिए कौन जिम्मेदार है ?

(3) क्या यह सही है कि दुबारा चुनी हुई यह साइट गलत थी ?

(श्री रतीराम यादव)

(4) क्या यह सही है कि निर्माणाधीन टैंक बनते बनते ही टेढ़ा हो गया था ?

(5) क्या यह भी सही है कि बाद में उक्त अधूरे टैंक को तोड़ दिया गया ? यदि हां, तो किसके आदेश से ? कृपया आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह भी सही है कि इसी ग्राम में अब एक दूसरे ठेकेदार से दूसरी जगह ओवरहैड टैंक बनवाया जा रहा है ?

(7) क्या पूर्व ठेकेदार का ठेका कैंसिल कर दिया गया है ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(8) उपरोक्त टेढ़े होने वाले टैंक के लिए कौन अधिकारी जिम्मेवार है ? उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों नहीं।

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री खेतसिंह): (1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी हां।

(5) जी हां, अधिक्षण अभियन्ता, नगर वृत्त, जयपुर के 7 फरवरी, 73 के निरीक्षण प्रतिवेदन में दिये गये आदेश के अनुसार टंकी तोड़ी गई। निरीक्षण प्रतिवेदन के सम्बन्धित अंश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(6) पुराने टैंक के निकट ही नया टैंक दूसरे ठेकेदार को मजदूरी देकर बनवा लिया गया है।

(7) जी नहीं।

(8) टैंक के खम्भे टेढ़े होने के लिये ठेकेदार जिम्मेदार है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री रतीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं एक-दो बात जानना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि जो साइट प्लान भारत सरकार के डिजाइनर्स की मन्जूरी पर, अनुमोदन पर स्वीकृत किया गया उसको जरा पढ़ कर सुनाया जाये ताकि पता लग सके कि साइट चैन्ज की है या नहीं, क्योंकि आपने कहा 'जी नहीं'। साइट प्लान पढ़ कर बताया जाय।

श्री खेतसिंह : साइट प्लान पढ़ा नहीं जाता, देखा जाता है। मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि उसी जगह पर पुराने टैंक के निकट बनाने की हमने योजना स्वीकृत की थी। जहां पर बनाया जा रहा है व पुराने के बिल्कुल निकट में ही बन गया है। उसमें दिक्कत क्या है, मान लो दूसरी जगह बना है, आपको पानी मिल रहा है जनता वहां पर खुश है।

श्री रतीराम यादव : प्रश्न इस बात का नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि जो पहला ठेकेदार था उसको नुकसान हुआ। उसको इसका कुछ पेमेंट कर दिया गया। उसमें ओवरसीयर ने उस समय रिपोर्ट की है कि बाकी पेमेंट न किया जाये। इसके खम्भे अभी से टेढ़े हो चुके हैं उसके बावजूद भी उसको पेमेंट क्यों किया गया ? क्या इसका मतलब है कि वे खम्भे टेढ़े नहीं हुए थे और इसलिये पेमेंट किया

Page No 24

(24)

(श्री रतीराम यादव) गया ? क्या वजह है कि दूसरे ठेकेदार से दूसरा टैंक बनवाया गया और वह तोड़ा गया ?

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, उसको रनिंग पेमेंट किया गया था और एडवांस के रूप में पेमेंट किया गया था। ऐसा हमारे डिपार्टमेंट का प्रोसीजर है कि जो ठेकेदार एडवांस लेना चाहे, उसको दिया जाता है लेकिन जब विभाग को यह मालूम हुआ कि यह डिफेक्टिव है, तो एक्स. ई. एन., एस. सी. दोनों गये और देखा और उन्होंने वेरीफाई किया और यह पाया कि खम्भे टेढ़े हैं। यदि इन पर टैंक बनाया गया तो टैंक भी गिर सकता है। उन्होंने टैंक को बन्द करवाया और उन्होंने कहा कि इसके स्थान पर नया टैंक बनाना चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या यह सही है कि पहला पेमेंट करने से पूर्व किसी सक्षम अधिकारी ने इस टैंक को देख कर पेमेंट किया था या बिना देखे पेमेंट कर दिया ?

श्री खेतसिंह : मैंने आपसे निवेदन किया कि एक्स. ई. एन. की सूचना पर पहला पेमेंट किया था लेकिन उसके बाद ज्यों ही विभाग बीच में आया और जब यह पाया कि खम्भे टेढ़े हैं और टेढ़ होने के कारण इन पर टैंक नहीं बन सकता तो उन्होने उसको तुड़वा दिया। कुल मिला कर विभाग के 400 से ऊपर टैंक बने हैं जिनमें से केवल तीन-चार टैंक गिरे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तो ठीक किया, ठेकेदार ने दुबारा बना दिया। जहां ठेकेदार जिम्मेदार है वहां अधिकारी भी जिम्मेदार हैं। इन अधिकारियों को बचाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं ?

श्री खेतसिंह : न तो अधिकारियों को बचाने की कोशिश है और न ठेकेदार को। ठेकेदार से रिकवरी की जा रही है और अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

श्री रतीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न करता हूं। मुझे सप्लीमेंट्री करने का मौका दें।

श्री अध्यक्ष : पहले आपको अलाऊ किया है। आप नहीं पूछ सके तो उन्होंने पूछ लिया।

श्री रतीराम यादव : थोड़ा स्पष्ट कर लेने दें।

श्री अध्यक्ष : चलो कर लो।

श्री रतीराम यादव : मंत्री महोदय ने यह जवाब दिया है कि पहला पेमेंट होने के बाद यह पता लग गया कि खम्भे टेढ़े हैं और इसलिये उनको तुड़वाने के आदेश दिये। किन्तु स्थिति यह है कि दूसरा पेमेंट कर दिया गया, उसके बाद एस. सी. ने उसका निरीक्षण किया और उन्होंने यह आदेश दिये कि इस टैंक को तुड़वा कर दूसरा टैंक बना लिया जाये। क्या यह सही है ?

श्री खेतसिंह : इतने डिटेल्स मेरे पास अभी नहीं हैं लेकिन मैंने दोनों बातें कह दी हैं कि इसमें ठेकेदार की गलती है।

(श्री खेतसिंह)
20 हजार का उसको पेमेंट कर दिया, उसको रिकवर करने की कार्यवाही की जा रही है। मैं समझता हूं उससे माननीय सदस्य को कोइ सिम्पथी नहीं होगी। दूसरा प्रश्न है, अधिकारी के खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिये तो मैंने यह निवेदन किया है कि इसकी जांच करवा कर जिसकी गलती पाई जायेगी, कोई भी अधिकारी हो, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्रामीण विद्युतिकरण योजना

25. श्री झाबरमल सुण्डा (फतेहपुर): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में आर. ई. सी. की कितनी योजनायें स्वीकृत हैं तथा ग्राम विद्युतिकरण की कुल कितनी योजनाओं पर काम चालू है? तथा तीन साल में पूरी होने वाली योजनाएं कौन कौन सा हैं जो प्रभाव में हैं?

(2) तीन साल में पूरी की जाने वाली योजनाओं में पहले साल में विद्युतिकरण के लिये गांव किस आधार पर चुने जाते हैं तथा इसके लिये क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? क्या एक बार निश्चित किये जाने के बाद भी गांव के विद्युतिकरण को आगे पीछे किया जा सकता है? यदि नहीं, तो फिर आर. ई. सी. स्कीम दांतारामगढ़ में यह नीति क्यों अपनाई गई?

(3) सीकर जिले की दांतारामगढ़ व खण्डेला आर. ई. सी. स्कीम के उन गांवों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें जो सालवार क्रम से विद्युतिकरण किये जावेंगे।

(4) क्या यह सही है कि पंचायत समिति श्री माधोपुर के आठ गांवों को छोड़ कर शेष गांवों का विद्युतिकरण हो गया है तथा यह आठ गांव भी खण्डेला आर. ई. सी. में स्वीकृत हो गये हैं तथा इनका इसी साल विद्युतिकरण होने पर राजस्थान की एक पंचायत समिति का सम्पूर्ण विद्युतिकरण हो जायेगा? क्या माननीय प्रधान मंत्री के जन्म दिन तक इन आठ गांवों का विद्युतिकरण संभव है?

(5) किसी भी गांव का विद्युतिकरण किस क्षण से माना जायेगा? बिजली देने के लिएं गांव वालों से प्रार्थना-पत्र कब मांग जावेंगे तथा उनकी प्रायोरिटी कैसे निर्धारित होगी? क्या ट्रांसफार्मर गांव में रखे जाने से पहले भी प्रार्थना-पत्र लेने का रिवाज है? अगर है, तो क्या यह ठीक है तथा इससे बहुत बड़ी अव्यवस्था नहीं फैलती है?

(6) क्या यह सही है कि दांतारामगढ़ के गांव लाम्या में ट्रांसफार्मर रखने सम्बन्धी शिकायतें सभी स्तर के अधिकारियों को मिली हैं तथा निपटारा अभी भी नहीं हुआ है?

उत्तर

(1) राज्य में अब तक 103 विभिन्न प्रकार की योजनायें ग्रामीण विद्युतिकरण

(श्री विद्युत् मंत्री)

निगम द्वारा स्वीकृत हो चुकी हैं। इनमें से 92 योजनायें ग्रामों के विद्युतिकरण से सम्बन्धित हैं। 3 वर्ष में पूरी होने वाली योजनायें 27 हैं।

(2) योजना के प्रथम वर्ष में विद्युतिकरण करने के लिये गांवों का चयन विद्युत उपलब्धता, लाइनों व सब स्टेशनों के ऑग-मेन्टेशन की आवश्यकता, नई 33 के. वी. लाइनों की आवश्यकता आदि को ध्यान में रखकर किया जाता है। योजना के 'फेजिंग' में आम तौर पर कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। "फेजिंग" में ग्रामों की संख्या व नाम रहते हैं न कि विद्युतिकरण का क्रम। दांतारामगढ़ योजना के फेजिंग में किसी परिवर्तन के लिये आदेश नहीं दिये गये।

(3) सूची संलग्न है।

(4) पंचायत समिति श्री माधोपुर के 12 ग्रामों (10 पोटेंशियल व 2 नोन-पोटेंशियल) का विद्युतिकरण होना शेष है। यह सभी गाव तहसील श्री माधोपुर के ग्रामीण विद्युतिकरण निगम की योजना में सम्मिलित है। इस पंचायत समिति के सभी गावों का विद्युतिकरण इसी वर्ष पूरा करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

(5) 11 के. वी लाइनों के निर्माण कार्य पूरा होने पर एवं वितरण उप चौकी की स्थापना होने के पश्चात् ही ग्राम को विद्युतिकृत घोषित किया जाता है। जहां तक प्रार्थना-पत्र लेने का प्रश्न है आम तौर पर ग्रामों के विद्युतिकृत होने पर ही कनेक्शन के प्रार्थना-पत्र लिये जाते हैं। यद्यपि गत वर्षों में जब भी मण्डल ने अविद्युतिकृत गांव में पहले से विद्युतिकृत ग्राम के ट्रांसफार्मर से कनेक्शन देने के सम्बन्ध में आदेश दिये थे और यदि उन गांवों के प्रार्थना-पत्र पेंडिग रह गये हों तो उक्त ग्राम के विद्युतिकृत होने पर उन प्रार्थना-पत्रों पर भी विचार करना पड़ता है। प्रायोरिटी प्रार्थना-पत्र देने की तारीख से ही निर्धारित की जाती है। जिन ग्रामों के प्रार्थना-पत्र पहले के वर्षों में लिये जा चुके हैं और पेंडिग रहे हैं और वे ग्राम अब विद्युतिकृत हो रहे है तो ऐसे प्रार्थना-पत्रों पर विचार किया जाता है। प्रायोरिटी के अनुसार प्रार्थना-पत्र पर विचार करने से किसी भी प्रकार की अव्यवस्था की संभावना नहीं रहती है।

(6) जी हां। जांच जारी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

राज्य में मुफ्त कानूनी सहायता

28. श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) प्रदेश में अब तक किन किन जिलों में कितने व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता दी गई है? सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार अब तक की प्रगति को सन्तोषजनक मानती है?

उत्तर

(1) जिलेवार सूची संलग्न है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(श्री विधि मंत्री)

(2) जी हां। अत्यन्त संतोषजनक।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

मिनिमम नीड प्रोग्राम के अन्तर्गत गांवों को सड़कों से जोड़ने की योजना

29. श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राज्य सरकार ने मिनिमम नीड प्रोग्राम के अन्तर्गत 2,500 की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने की कोई योजना की घोषणा की थी? यदि हां, तो क्या यह योजना सम्पूर्ण राजस्थान में लागू हो गई है? यदि नहीं, तो अब सरकार का क्या विचार है?

उत्तर

जी हां, वित्तीय साधनों को देखते हुये कुछ सड़कें इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गई हैं।

प्राइवेट स्कूलों को दी जाने वाली सरकारी सहायता

32. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी नगर, जयपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) किस किस जिले के किन किन प्राइवेट स्कूलों को प्रति वर्ष कितना कितना रुपया सरकारी सहायता अथवा अनुदान के रूप में दिया जाता है? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले प्राइवेट स्कूलों के विरुद्ध सरकार को यह शिकायत मिली है कि प्राइवेट स्कूल के प्रबन्धक अथवा व्यवस्थापक अपने अध्यापकों को कम वेतन देते हैं व अधिक राशि की रसीद लेते हैं? यदि हां तो सरकार ने ऐसे कौन कौन से स्कूलों के विरुद्ध कार्यवाही की है?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) केवल गुमनाम शिकायतें ही प्राप्त होती हैं जिनके आधार पर तथ्यों को प्रमाणित करना कठिन होता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) सर्वश्री मीठालाल व मूलचन्द सामरिया सदस्य, विधान सभा की ओर से केन्द्र सरकार ने राजस्थान को उत्तरी चावल क्षेत्र में सम्मिलित कर एक नया उत्तरी चावल क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया है, जिसका राज्य के किसानों, उपभोक्ताओं, चावल मिलों की व्यापार प्रक्रिया पर सीधा प्रभाव पड़ेगा—इस विषय में।

(2) श्री गुरदयाल सिंह संधु सदस्य, विधान सभा की ओर से गंग नहर क्षेत्र के

(श्री अध्यक्ष)
उपखण्ड रायसिहनगर में उन भूमिहीनों, जिनके पास पिछले 10 से 20 वर्ष से सरकारी भूमि पर कब्जा है एवं जिनमें 80 प्रतिशत हरिजन परिवार हैं, की भूमि खारिज करने और उनको भूमि से वंचित करने के विषय में।

(3) सर्वश्री रामानन्द अग्रवाल व रतीराम यादव, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अलवर आगार में कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं गबन व श्रम कानूनों की अवहेलना आदि करने के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : अध्यक्ष महोदय, मैंने रायसिहनगर के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव रखा है। उसके सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : बहुत थोड़े में कहें।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : अध्यक्ष महोदय, वहां पर बहुत सी सरकारी भूमि, जो बची हुई थी, वह लीज वगैरह पर देते रहे। उसका समय समय पर परमानेन्ट अलॉटमेंट करती है। लेकिन बहुत से ऐसे लाग रह गये है जो कि अलॉटमेंट नहीं करवा सके हैं। यह वह लोग हैं जो कि अलॉटमेंट नहीं करवा सके हैं। अब 1973 में एक कानून बना दिया कि कोई भी ऐसा भूमिहीन, जिसके परिवार के पास में 15 बीघा भूमि होगी, भूमि प्राप्त नहीं कर सकेगा। मेरी जानकारी में 1952 तक जो परिवार की डेफीनेशन दी है, इसमें ज्वाइन्ट फेमिली में हमने बाप के साथ में बेटे को परिवार का सदस्य मान लिया। अगर 52 में बेटा बाप से अलग नहीं है तो वह भूमि नहीं पा सकेगा। इसका मतलब यह हुआ कि 52 के बाद पैदा होने वाले लोग भूमि प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अब सरकार ने जो इन भूमिहीनों के पास भूमि चली आ रही थी उससे उसको वंचित कर दिया। जो परमानेन्ट रूल्स हैं उन परमानेन्ट रूल्स में बेटे को परिवार से अलग नहीं माना गया है। वह परिवार में जोड़ दिया गया है। इस सदन में बार बार इस मामले को उठाया गया है। अब रायसिहनगर की यह स्थिति है कि वहां के 5 हजार परिवार जिनमें 4 हजार से ऊपर हरिजन परिवार होंगे और जिनके पास 50 हजार एकड़ से ऊपर जमीन थी, जमीन से वंचित हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : अभी समाप्त करता हूं।

इन भूमिहीनों को बसाना है। मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा, किसी तरह से ऐसी कार्यवाही करे कि इन सभी 5 हजार परिवारों को जमीन दी जा सके। जो दी जा चुकी है पिछले साल में जिन जमीनों को उन्होंने तोड़ा था, वह भूमि बेदखल हो चुकी है तो मेरा सरकार से निवेदन है कि कोई ऐसा कानून बनायें कि उनको एलॉटमेन्ट हो जाये। यही मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : इस पर नहीं।

श्री मीठालाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान को चावल के उत्तरी जोन में शामिल कर लिया गया है तो उसकी आगे की क्या प्रक्रिया होनी चाहिये। इस मामले को लेकर आज किसानों में, उपभोक्ताओं में और व्यापारियों में बड़ी भ्रान्ति फैली हुई है। उत्तरी जोन में हरियाणा, पंजाब और काश्मीर वगैरह हैं। उनमें लेवी लगाकर चावल ले रहे हैं। राजस्थान में उत्तरी जोन में नया नया मिला है। इसकी नई फसल आ गई है। तो आगे के बारे में क्या प्रक्रिया रहेगी? अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मन्त्री महोदय से यही निवेदन है कि इससे आगे क्या प्रक्रिया रहेगी?

श्री रतीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव अलवर रोडवेज के डिपो मैनेजर द्वारा मजदूरों और कर्मचारियों के प्रति किये जा रहे दमनात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में दिया है।

श्री अध्यक्ष : थोड़े में कह दें। ज्यादा लम्बा नहीं करें।

श्री रतीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, वहां के परिवहन कर्मचारियों के साथ में विक्टेमाइजेशन, सस्पेन्शन, उनको नोकरी से निकालना, बदले की भावना से कार्यवाही करना यह सब कुछ हो रहा है, इससे वहां पर तीव्र असन्तोष है। दूसरी बात जो उनके द्वारा हजारों रुपयों का घोटाला और दुरूपयोग किया गया है, उस सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव रखा है। अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मुख्य रूप से दो बातें निवेदन कर देता हूं। घटना इस प्रकार से शुरू होती है। 3-7-75 को वहां के पहले स्टाफ में जो रेवेन्यू क्लर्क है, वह बीमार हो जाता है। पैसा जमा कराने के लिए जब पहुंचा तो वहां पर डिपो मैनेजर नहीं था। जब पैसा जमा कराने की व्यवस्था नहीं हुई तो वह परेशान होकर जिलाधीश महोदय के पास पहुंचा। निवेदन किया कि पैसा ले लिया जाये। जिलाधीश ने लिखित में उसको आदेश दिया कि रात भर पैसा पास में रख सकते हो। सुबह जमा कराना। इतना ही नहीं, उन्होंने डिपो मैनेजर के खिलाफ भी लिखा कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिये। इससे वह चिढ़ गया। इसके बाद से उसने विक्टेमाइजेशन और बदले की कार्यवाही उसके साथ कर दी। कितने ही कर्मचारियों का ट्रान्सफर कर दिया है जिसके कारण तीव्र असन्तोष है। दूसरी बात उसने हजारों रुपयों का घोटाला किया है। मैं कुछ बातें कह कर समाप्त करता हूं। एक तो, अध्यक्ष महोदय, उसने रूट चैकिंग के नाम पर गलत काम किया और जो बिल का भुगतान वहां से उठाया वहां के अकाउन्टेन्ट निरंजन लाल गुप्ता और डिपो मैनेजर राकेश माथुर दोनों की मिली-भगत से 45 हजार रुपयों का घोटाला उसने किया। उसने इस प्रकार से पांच टैक्सियों का पेमेन्ट उठाया जिनमें से एकाध को छोड़कर बाकी सब गाड़ियां निजी टैक्सी हैं। नियमानुसार, रोडवेज के नियमानुसार उसके लिए डिपो मैनेजर टैक्सी अरेन्ज कर सकते हैं लेकिन जिनका

(श्री रतीराम यादव)
परमिट नहीं है और नेशनेलाइज्ड रूट पर कोई गाड़ी चलाते हैं ...

श्री अध्यक्ष . एडजोर्नमेन्ट मोशन है, शोर्ट में कहिये ।

श्री रतीराम यादव : मैं बहुत ही शोर्ट में कह रहा हूं । उसने एक भी केस नहीं पकड़ा कि कोई गाड़ी गलत रूट पर चल रही थी । मैं केवल एक मिसाल और देना चाहता हूं ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

उस मामले की एन्क्वायरी कराई जानी चाहिये और दोषी व्यक्तियों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिये ? एक गाड़ी आर. एस. एम. 4753, जो कि निजी कार है, एक हजार किलोमीटर और 975 किलोमीटर का इसने अपना भत्ता उठाया है । एक दिन तो यहां तक हुआ कि जिस दिन कर्मचारियों का ओवर टाइम का पेमेन्ट किया गया, वह पेमेन्ट भी नहीं करना चाहते थे लेकिन कर्मचारियों ने जिलाधीश और एस. पी. को टेलीग्राम दिया है । इस पर जिलाधीश ने उस मामले में इन्टरवीन किया और डिपो मैनेजर को कहा कि आज ही यानि 17-8-76 को पेमेन्ट करना पड़ेगा । बारह बजे वहां पर डिपो मैनेजर आते हैं, वहां के थानेदार भी मौजूद होते हैं, उनकी मौजूदगी में वहां के 95 कर्मचारियों का पेमेन्ट किया गया, शाम के पांच बजे तक वहां पर बैठे रहे और बिल आया है आर. एस. एम. 4753 का 975 किलोमीटर का रूट चैकिंग का, रूट चैकिंग के नाम पर उन्होंने पेमेन्ट उठाया है और उसी दिन जिस दिन कर्मचारियों का पेमेन्ट यहां पर कराया गया है जहां पर वहां के इन्स्पैक्टर और दूसरे कर्मचारी भी मौजूद थे, यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाता है । तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस डिपो मैनेजर द्वारा जो यह गलत हरकत और गबन किया जा रहा है, मैं इसको गबन की सज्ञा देता हूं इसकी निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए और जो मनमाने ढग से व बदले की भावना से काम कर रहे हैं, उनको तुरन्त रोका जाना चाहिए । डिपो मनेजर और अकाउन्टेन्ट के खिलाफ पूरी जांच कराई जाकर सख्त से सख्त कायवाही की जानी चाहिए ।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र
अधिसूचना

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र । माननीय मुख्य मन्त्रीजी !

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मन्त्री, सामान्य प्रशासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 17 (1) कार्मिक (क-2)/76, दिनांक 26 जून, 1976 जिसके द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिये अपील अधिकरण) नियम, 1976 प्रकाशित किये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष : राजस्व मन्त्रीजी !

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व विभाग की

(श्री परसराम मदेरणा)

निम्नांकित अधिसूचना सदन की मेज पर रखता हूं:—

(क) अधिसूचना संख्या प. 7 (58) राज/ग्रुप-4/75 दिनांक 24 जून, 1976.

(ख) अधिसूचना संख्या प. 7 (172) राज/ग्रुप-4/76 दिनांक 26 अगस्त, 1976.

श्री अध्यक्ष : परिवहन मन्त्रीजी !

श्री रामनारायण चौधरी (परिवहन मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं गृह विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:—

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 9(10) गृह/ग्रुप-7/76, दिनांक 16 अप्रेल, 1976.

(2) अधिसूचना संख्या प. 1 (3) (6) परि/73, दिनांक 15 नवम्बर, 1975.

(3) अधिसूचना संख्या प. 1 (3) (12) परि/74-1, दिनांक 28 नवम्बर, 1975.

(4) अधिसूचना संख्या प. 13 (32) परि/74-11 दिनांक 28 नवम्बर, 1975.

श्री अध्यक्ष : नगर आयोजना मन्त्री जी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मन्त्री, नगर आयोजना): अध्यक्ष महोदय, मैं नगर आयोजना (ग्रुप-2) विभाग की अधिसूचना संख्या प. 14 (1) न. आ./73 दिनांक 12 मई, 1976 सदन की मेज पर रखता हूं।

समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन कार्य सलाहकार समिति का 27 वां प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदन।

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 27 वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 27 वें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि इसका स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन स्वीकार किया गया।

विधायी कार्य : विधेय पर विचार राजस्थान अभ्रक (संशोधन) विधेयक, 1976

श्री जुझारसिंह (राज्य मंत्री, खनिज): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अभ्रक (संशोधन) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री हाडा !

विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का संशोधन प्रस्ताव

[निम्न संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

"राजस्थान अभ्रक (संशोधन) विधेयक, 1976 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन तीन दिन

(श्री अध्यक्ष)

में प्रस्तुत करें (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जायेगी।]"

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान माइका (अमेन्डमेन्ट) बिल 1976 माननीय मन्त्री महोदय ने सदन के अन्दर प्रस्तुत किया है। इसमें सर्वप्रथम उन्होंने माइका की डेफिनेशन में परिवर्तन की मांग की है, क्योंकि आज तक जो माइका की डेफिनेशन थी उसमें क्रूड और वेस्ट माइका इन्क्लूड नहीं था और चूंकि अब उसका भी, क्रूड और वेस्ट माइका का भी, बाजार चल निकला है

(4 15 म प)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

इसलिए खनिज मन्त्री महोदय चाहते हैं कि माइका की डेफिनेशन में परिवर्तन किया जाय। इसके अलावा एक डिस्क्रिपेन्सी, एक ऐनामोली जो आज तक मन्त्री महोदय या राज्य सरकार के दृष्टिगत नहीं हुई, उसको भी उन्होंने देखा है। मिनरल कन्सेशन रूल्स के तहत 6 महीने का लीज पीरियड प्रोवाइड किया गया है जो कि आज एक्ट के अन्दर प्रोवाइडेड नहीं है। 6 महीने के बिना उस माइका को उठाया नहीं जा सकता है, इसलिए उन्होंने इसको भी इस एक्ट के द्वारा कवर किया है। इसके अलावा माइका के इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के लिये सात दिन का पीरियड काफी नहीं है, इसलिए इसके लिए ज्यादा अवधि चाही है। आज तक तो इस अवधि का प्रश्न नहीं था। ज्यादा संख्या में राजस्थान के अन्दर जो माइका की स्थिति चल रही है, सबसे अधिक माइका भीलवाड़ा में निकला है वहां की जो स्थिति इस सम्बन्ध में है उसको देखते हुए यह स्वाभाविक ही था कि राज्य सरकार की नजरों के अन्दर इस तरह की चीज नहीं आती। आज तक माइका के क्षेत्र के अन्दर राजस्थान की ही नहीं बल्कि एशिया की प्रसिद्ध माइका माइन्स गंगापुर और मांडल की है, गणेश भण्डार की भूतवाला का, मसाना का, मांटी मंगरी की, जो खानें हैं, उन पर आज तक 23 सौ वर्ग मील के एरिया के अन्दर एक ही परिवार का 1951 से कब्जा चला आ रहा है? यह स्थिति आज भी नहीं बदली है। मैंने बार बार सदन में यही कहा है कि जो मानोपोली चली आ रही है वह बदली नहीं है, नाथानी साहब नहीं रहे तो राजगढ़िया साहब काबिज हो गये। उनको बीस रुपये पर हेक्टेयर के हिसाब से लीज दी गई। राजगढ़िया साहब का जो इतिहास है वह मैं सदन में पहले भी कह चुका हूं, उस इतिहास को मैं दोहराना नहीं चाहूंगा लेकिन जो स्थिति है, जो कन्डीशन है वह माननीय खनिज मन्त्री महोदय भी अच्छी तरह से जानते हैं कि यही राजगढ़िया साहब को 1955 में राज्य सरकार ने लीज दी थी और 1955 में जो माइका माइन्स के साथ हुआ है वह किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। उस वक्त हिन्द माइका लिमिटेड के नाम से बहुत बड़े एरिया के अन्दर वह माइन थी। सारा का सारा डवलप्ड शेप का माइका उन्होंने बेच खाया और राज्य सरकार ने जो किया वह इस सदन में पहले भी आ चुका है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज भी इस बारे में स्थिति

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

बेहतर नहीं है। उन राजगढ़िया साहब के खिलाफ यूरेनियम की चोरी का केस बिहार में चल रहा है फिर भी उनको वह क्षेत्र दे दिया गया है जिस पर राज्य सरकार का दस लाख से अधिक का खर्चा हुआ है। उस क्षेत्र में रोड्स हैं, बिजली डाली गई है और रियायती रेट्स पर राजगढ़िया साहब को दे दिया। वैसे यह इस बिल से ताल्लुक रखने वाली बात नहीं है। उनको 50 लाख रुपये की जमीन भीलवाड़ा में दी जाए और कई कम्पनियों के नाम से वह अपना किला बना लें—मैं यह बात भी कह कर सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं। दूसरे क्षेत्रों में भी इन साहब के ऑप-रेशन्स हैं। वह राज्य सरकार पर इस कदर प्रभावशाली हैं कि आज तक राज्य सरकार की तरफ से यह संशोधन नहीं आए। कुछ लोगों की मोनोपोली सारे राजस्थान के माइका पर है और अनाप-शनाप मुनाफा कमाते रहे हैं। मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन 1½ लाख रुपये का क्या हुआ जो इन माइन्स में मजदूरों का ड्यू था? मैंने इस सदन में प्रश्न उठाया था जिसका उत्तर भी राज्य सरकार ने दिया था कि नाथानी की लीज कैंसिल किया और आपके कन्ट्रोलर ने नाथानी की लीज-कैंसिलेशन को अपना प्रेस्टिज इश्यू बना लिया। उस समय 1½ लाख रुपया मजदूरों का ड्यू था और स्वयं श्रम आयुक्त ने इस बात का स्वीकार किया, मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया कि 75000) रुपये पे हों, ऐसी हालत में लीज का रिन्यूवल नहीं हो रहा था। मजदूरों ने अपने श्रम से माइन्स को चलाया, सारी की सारी रॉयल्टी और बकाया अपने श्रम से पे करना शुरू किया जो कि लाखों रुपयों की थी लेकिन उन मजदूरों को ऐसा करने नहीं दिया।

उपाध्यक्ष, महोदय, डेली वेजेज भी नहीं दिए और बिना डेली वेजेज के माइन्स को प्रोफिट के अन्दर रन किया। जिस लीज को कैंसिल किया हाईकोर्ट में उसके खिलाफ मजदूर यूनियन ने अपील की। उन्हीं मजदूरों की सहकारी समिति ने जब राज-गढ़िया साहब के मुकाबले में लीज चाही तो अन्डर कन्सीडरेशन में भी उनको नहीं लिया और उस कम्पनी की लीज एप्लीकेशन भी कन्सीडर नहीं की गई। सारे का सारा हाइली डवलप्ड एरिया है जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स से किया गया है। ऐसा एरिया है जिसमें से तीन लेविल्स से लेकर 10 लेविल्स तक का माइका और हिन्दुस्तान का वेस्ट माइका निकाला जाता है। राजस्थान में सबसे बड़ी माइन है। इस प्रकार की परम्परा एक ही व्यक्ति विशेष के लिए नहीं रही है चाहे दूदू साहब वाला था, चाहे नाथानी साहब का था, चाहे राजगढ़िया का इस 2300 वर्ग मील एरिया में बहुत नॉमीनल कास्ट पर, केवल 10-20 प्रति हैक्टेयर के हिसाब से 10-10 हैक्टेयर एरिया हमेशा दिया जाता रहा है। इस कारण स्क्रेप माइका या वेस्ट माइका की भी कोई कीमत है, यह मन्त्री महोदय के दिमाग में नहीं आया। इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट में टाइम 7 दिन कम है, यह प्रश्न कभी नहीं उठा है क्योंकि एक मोनापोलिस्ट इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट करता रहा। हालांकि माइका एक्ट आज का नहीं है बल्कि 1958 का है लेकिन इसका कन्सीडरेशन आज तक नहीं हुआ। उसमें आज संशोधन सीक कर रहे हैं। यह

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
मोनोपोली आज भी विद्यमान है। आज के हालात में ये संशोधन उचित हैं लेकिन जिन राजगढ़िया ने सबसे बड़ा देशद्रोहिता का कार्य किया है और बिहार में यूरेनियम के स्मगलिंग में जिनके परिवार के लोग पकड़े गए हैं, आज उनको इस प्रकार से रियायती दरों पर इतना बड़ा डेवलप्ड एरिया दे दिया गया है, इस संबंध में राज्य सरकार कन्सीडर करे। केवल 5000 रुपये डेड रेंट उनसे किया गया है जो लीज कन्डीशन्स तय की हैं उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि 20 साल तक उनका लीज एक्सटेंड की। एक इजारेदार राजगढ़िया का परिवार 20 साल तक सबसे अधिक विकसित एरिया लीज में लेता रहा है। इतना ही नहीं, आज मोरल ड्यूटी है राजस्थान सरकार की उन मजदूरों के प्रति है जिनका 1 लाख बकाया है। हालांकि संविधान के अन्दर समाजवादी सरकार की बात कर चुके हैं और हमने अपनी सरकार को समाजवादी सरकार माना है चाहे साइंटिफिक समाजवाद हो यह आज हमने स्वीकार किया या नहीं लेकिन आज जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं और समाजवाद की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं उसमें यह आवश्यक हो जाएगा कि राजगढ़िया की इस लीज को तुरन्त कैंसिल किया जाए। ऐसी सहकारी समितियां, ऐसी मजदूर संस्थाएं हैं, जिन्होंने हीरोइकली राज्य सरकार की बकाया को क्लीयर किया, बिना मजदूरी के श्रम किया, उन संस्थाओं को बढ़ावा देना आवश्यक है। इसलिए जो लीजेज राजगढ़िया जैसे लोगों को दी गई हैं वे सब की सब कैंसिल की जायं, यह प्रावधान लाते तो स्वागत योग्य होता। उनको कैंसिल करदें छोटी-छोटी लीजेज सहकारी समितियां को दे दें या सरकार खुद ऑपरेट करे।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सारे इलेक्ट्रिकल गुड्स में माइका का अपना महत्व है, प्लेयर है, क्वालिटी है। इसलिए इस बिल का तो मैं स्वागत करता हूं लेकिन इस क्षेत्र में इजारेदारी को तोड़ा जाए।

श्री गुलाबसिंह (राज्य मन्त्री, खनिज): उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस संशोधन विधेयक का सवाल है माननीय सदस्य ने खुद माना है कि अच्छा है इसलिए जो प्रस्ताव उन्होंने रखा है उसको तो उन्होंने उठाया ही नहीं। यह प्रश्न उठता भी नहीं है क्योंकि जो संशोधन लाए गए हैं, सबने उन्हें स्वागत योग्य माना है। जो प्रश्न किन्हीं व्यक्तियों से संबंधित हैं, उनकी जांच करूंगा और जो भी उचित बात है, सोच जाएगी। लेकिन संशोधन माननीय सदस्य ने कोई आपत्ति नहीं उठाई।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मुझे कोई आपत्ति नहीं अगर आप चांदा, मांडल और गंगापुर की बेहतरीन खान राजगढ़िया जैसे इजारेदार के चंगुल से मुक्त करके पब्लिक सैक्टर से लायें या सहकारिता क्षेत्र में लायें।

श्री गुलाबसिंह : यह कमिटमेंट करने का प्रश्न नहीं है लेकिन इसका एग्जामिन किया जा सकता है इस पर कोई आपत्ति नहीं लेकिन किस बैकग्राउन्ड में उठाया, क्या लीगल सैक्शन्स हैं, सबका एग्जामिन करने के बाद ही कुछ किया जा सकता है। ये 3-5 संशोधन बिल्कुल सरल हैं। जब माइका की डेफिनेशन में स्क्रेप और

(श्री जुझारसिंह)
वेस्ट को शामिल करने की बात मंजूर करते हैं कि उचित है, उसी तरह से कन्ट्रोलर की पावर्स ओथोराइज्ड ऑफिसर्स को देनी है, इनकी वेलिडिटी को आप स्वीकार करते हैं इसलिए इसको जनमत जानने या सर्क्यूलेट करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं मन्त्री के विचारों से बहुत प्रभावित हूं इसलिए मैं अपने संशोधन प्रस्ताव को वापिस लेना चाहता हूं। इस मामले में वह जरूर डिटेल प्रोवाइड करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य को संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी जाए ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान अभ्रक (संशोधन) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाए।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री जुझार सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान अभ्रक (संशोधन) विधेयक, 1976 पारित किया जाए।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

अशासकीय विधेयक

राजस्थान दुकान तथा वाणिज्यिक स्थापन (संशोधन) विधेयक, 1972

श्री उपाध्यक्ष : गैर सरकारी विधेयक। श्री रामानन्द अग्रवाल !

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान दुकान तथा वाणिज्यिक स्थापन (संशोधन), विधेयक, 1972 से सम्बन्धित पत्र (पेपर टू दी बिल) सदन की मेज पर रखता हूं।

अशासकीय विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं महाविद्यालय (कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा एवं अन्य विषय) विधेयक, 1976

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सहायता प्राप्त विद्यालय एवं महाविद्यालय (कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा एवं अन्य विषय) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि राजस्थान सहायता प्राप्त विद्यालय एवं महाविद्यालय (कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा एवं अन्य विषय) विधेयक,

(श्री उपाध्यक्ष)
1976 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अशासकीय विधेयक

राजस्थान दुकान तथा वाणिज्यिक स्थापन (संशोधन) विधेयक, 1972

श्री उपाध्यक्ष : विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक।

श्री रामानन्द अग्रवाल !

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान दुकान तथा वाणिज्यिक स्थापन (संशोधन) विधेयक, 1972 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे। सदस्यों के नामों की घोषणा बाद में की जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि राजस्थान दुकान तथा वाणिज्यिक स्थापन (संशोधन) विधेयक, 1972 को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

राजस्थान दुकान तथा वाणिज्यिक स्थापन (संशोधन) विधेयक, 1972 को प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया।

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

राजस्थान दहेज प्रतिषेध विधेयक, 1976

श्री शोभाराम !

श्री शोभाराम (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान दहेज प्रतिषेध विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री शोभारामजी से) आप ही बोलें।

श्री शोभाराम : उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय मैंने इस बिल को सदन में आज से छः महीने पहले दो अप्रेल, 1976 को प्रस्तुत किया था उस वक्त और आज के वक्त में काफी फर्क है। जब यह बिल सदन में पेश किया गया था उसके पहले हमारे देश में पंजाब, हरियाणा, यू. पी., बिहार आदि कई प्रदेशों ने दहेज प्रथा को समाप्त करने के सम्बन्ध में बिल पास कर दिये थे। और इस प्रकार की दहेज प्रथा, जो हमारे यहां थी, पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। लेकिन आप देखेंगे कि हमारे यहां पर इस प्रकार का कोई कानून नहीं बनाया गया। मैं यह मान कर नहीं चलता कि हमारे देश में ऐसा कोई दहेज प्रथा के विरूद्ध कानून नहीं बना हुआ था। पंजाब, हरियाणा, बिहार, यू. पी. आदि के कानून बनने के पहले भी हमारे यहां पर एक सेन्ट्रल एक्ट सन् 1961 में हमारी पालियामेंट द्वारा बना दिया गया था। यह सन् 1960 में पालियामेंट में पेश किया गया था और बाद में पास करके इसको पूरे हिन्दुस्तान पर लागू कर दिया था।

Page No 37

(37)

(श्री शोभाराम)

इसलिये यह कानून कोई नया नहीं है, क्योंकि पालियामेन्ट का सेन्ट्रल एक्ट हमारे राजस्थान प्रदेश में भी लागू था। लेकिन हमने देखा कि इन पिछले सत्रह सालों में एक कानून लागू होने के बाद भी दहेज प्रथा हमारे यहां पर बन्द नहीं हो पायी। इसलिये हमने पहले से अधिक प्रभावशाली कानून बनाने के लिये यह विधेयक सदन के सामने रखा। उपाध्यक्षजी, हालांकि हमारे देश में पिछले पन्द्रह सालों से दहेज के खिलाफ कानून बना हुआ था फिर भी उस कानून की यहां पर अवहेलना की गयी। यहां पर शादियों में बारात में लोग 300-300 की तादाद में जाते हैं जब कि इतने व्यक्ति सेन्ट्रल एक्ट के अनुसार नहीं जाने चाहिये थे। हमारे यहां पर शादियों के वक्त बहुत भारी खर्चा किया जाता रहा। लोग बड़ी धूमधाम से शादियां करते, हजारों रुपये के गहने, आभूषण वगैरह प्राप्त करते। हमको यहां पर यह भी देखने को मिला कि लोग कई बार लाखों रुपये तक दहेज में गुप्त रूप से प्राप्त कर लेते। इन सभी बुराइयों को देखते हुए हमने यह देखा कि यहां पर दहेज प्रथा के खिलाफ में कानून बनाना अत्यन्त आवश्यक है। इसलिये यह बिल विचारार्थ रखा। इस बिल को देखने से आपको पता लगेगा कि जो सेन्ट्रल एक्ट में खामियां थीं उनको भी दूर करने की कोशिश की गई है। इस बिल में उन खामियों को शामिल नहीं किया गया है। अगर आप दोनों कानून पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि उन खामियों को दूर करने की निहायत आवश्यकता थी। इसीलिये इस बिल को पेश किया गया है। उपाध्यक्षजी, आज जब दुनिया बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ रही है उस वक्त इस प्रकार की समाज में बुराइयां रहना कितनी बुरी बात है। अभी जब पालियामेन्ट में हमारे देश की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने भाषण दिया था उसको हमने सुना और उसे अखबारों में भी पढ़ा था। उसमें उन्होंने यह कहा था कि हम हमारे देश के कॉन्स्टीट्यूशन के बेसिक फीचर्स को चेन्ज किये बिना किस प्रकार हमारे समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके लिये हमें कार्य करना चाहिये। हम देख रहे हैं कि हमारे देश की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी के अथक प्रयासों से हिन्दुस्तान में पिछले 25 सालों में जो प्रगति नहीं हो सकी थी वह प्रगति अब थोड़े ही समय में हमारे देश में देखने को मिल रही है। इसका फल यह हुआ है कि हमारे देश के नौजवानों में एक नई जागृति पैदा हुई है, नई आकांक्षायें उनमें पैदा हुई और हमारे देश में एक अजीबो गरीब तरक्की देखने को मिल रही है। चहुंमुखी विकास हो रहा है। हमें यह देखने को मिल रहा है कि हमारे यहां पर आर्थिक और सामाजिक क्रान्ति हो रही है। इसके लिए हमारे देश की प्रधान मन्त्री जी श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने हमारे देश के सामने एक 20 सूत्री कार्यक्रम रखा। हालांकि आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम दोनों अलग-अलग होते हैं फिर भी हमारे यहां पर यह दोनों अलग-अलग दिखाई नहीं देते हैं। जैसा कि हमारी प्रधान मन्त्री जी ने कहा कि आर्थिक और सामाजिक विकास के लिये हमारे यहां जरूरी है कि उत्पादन बढ़ाया जाय और दूसरे उस उत्पादन का सही तौर से वितरण

(श्री शोभाराम)

किया जाना चाहिये। इसके अलावा हमारी प्रधान मन्त्री जी ने यह भी कहा कि हमारे यहां पर जो भी वर्ग रहता है चाहे अमीर हो चाहे गरीब उनको चाहिये कि वे कुछ न कुछ बचत जरूर करें। उन्होंने कहा कि कमजोर वर्ग को भी चाहिये कि कुछ न कुछ बचत जरूर करें। बचत करके आप उस पैसे को हमारे देश के विकास कार्यों में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे हमारे देश की तरक्की होगी। उपाध्यक्ष जी, हमारी प्रधान मन्त्री जी ने हमारे देश के बारे में कहा कि हमारा देश गरीब नहीं है। उन्होंने कबूल किया कि हमारा देश गरीब नहीं है, लेकिन हमारे देश में गरीब लोग जरूर रहते हैं। उन्होंने यह भी कहा हम इस गरीबी को दूर करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे यहां पर इतने स्रोत हैं कि जिससे हमारा देश धनी हो सकता है। हमारे यहां पर भूमि के अन्तर्गत अतुल खनिज भण्डार भरा हुआ है उसको अगर हम निकाल कर काम में लें तो हम गरीबी दूर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम हमारे यहां की भूमिगत खनिज सम्पदा को देखें तो पता लगेगा कि हमारा देश दुनियां के कई धनी देशों के मुकाबले कम नहीं है। इसीलिये हमें हमारे देश को आर्थिक दृष्टि से गरीब तो नहीं कहना चाहिये। उपाध्यक्ष जी, हमारी प्रधान मन्त्रीजी ने यह कहा कि हम समाजवादी समाज की रचना हमारे देश में करना चाहते हैं तो हमें प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, उत्पादन और वितरण व्यवस्था के बीच में सामन्जस्य रखना जरूरी है। इसी के लिये दहेज प्रथा जैसी बुराई को रोकने के लिये कानून बनाना आवश्यक हो गया। उपाध्यक्ष जी, अगर हम इस बिल को देखें तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो बुरी हो। हमारे यहां केन्द्रीय एक्ट बना हुआ है उसके अनुसार दहेज लेना प्रोहीबिटेड है लेकिन पिछले 17 सालों से इसकी अवहेलना हो रही थी, उसको किस तरह से लागू किया जाय इसके लिये यह बिल लाया गया है। इस बिल को मैं आपके सामने लाया हूं इसकी परिभाषा में और जो पार्लियामेन्ट ने सन् 1961 में दहेज प्रथा एक्ट पास किया था उसकी परिभाषा में भिन्नता है। इसमें अन्तर है। मैंने इसमें जो परिभाषा दी है उसमें मैंने कहा है,

"जब तक सन्दर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो इस अधिनियम में 'दहेज' से अभिप्रेत है कि—

(1) विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के अन्य पक्षकार को, अथवा, (2) विवाह में किसी भी पक्ष के माता-पिता, दादा-दादी या भाइयों द्वारा, किसी भी पक्षकार को या उसके रक्त नातेदारों को,"

यह भी शामिल किया गया है, जो एक तरीके से पहले में नहीं था। इसमें आगे देखेंगे, यह तो लिखा गया है कि दहेज बिना मांगे कोई देने की बात होगी तो उसको दहेज नहीं माना जायेगा। लेकिन उस व्याख्या में यह नहीं कहा गया है कि कौन कौन सी चीज शामिल हैं। नम्बर एक में यह कहा गया है, "नकद आभूषणों, वस्त्रों या अन्य वस्तुओं के रूप में दी गई कोई भेंट इस खण्ड के अर्थ-

Page No 39

(39)

(श्री शोभाराम)

अन्तर्गत दहेज समझी जायगी।" यह बात स्पष्ट तरीके से आ गई। पहले वाले कानून में यह नहीं कहा गया था। दूसरे इसको साबित करने का दायित्व किसी पक्ष पर रखा गया है कि वह साबित करे दहेज का प्रतिफल, इस बात को कन्सीडर किया गया। जो इसमें रखा गया है इसका वर्णन 1961 के कानून में नहीं है। इसमें लिखा गया है "विवाह के व्ययों में, रोशनी, भोजन और विवाह पार्टी के सदस्यों को भोजन परोसने पर उपगत किये गये व्यय और उससे सम्बन्धित अन्य आनुसंगिक व्यय आते हैं।" उस पर किये गये व्यय और उस पर एन्सीलरी एक्सपेन्सेज शामिल किये गये हैं जिसमें विदाई वगैरह शामिल किये गये है--ऐसा एक्सप्लेनेशन है।

दूसरे नम्बर में जो रखा है वह पहले वाले कानून में नहीं है। सन् 1961 के कानून में कौन कौन से कार्य वर्जित हैं यह नहीं लिखा है हमने इस कानून के अन्दर क्लॉज (3) में 'कतिपय कार्यों का वर्जन' हेडिंग देते हुये यह लिखा है "कोई व्यक्ति दहेज नहीं देगा या लेगा या देने अथवा लेने के लिये दुष्प्रेरित नहीं करेगा या विवाह में खर्चा नहीं लगायेगा जहां कि कुल खर्च पांच हजार रुपयों से अधिक हो जाता हो।" हमने सीमा की है, पांच हजार से अधिक कोई भी किसी प्रकार का खर्चा कुल टोटल मिलाकर होता है। वह नहीं किया जायगा। इस प्रकार की सीमा सन् 1961 के कानून जो, आज तक लागू है, उसमें मुझे नहीं मिली। दूसरी बात दहेज का प्रदर्शन नहीं किया जायगा, क्योंकि डिसप्ले-एक्जीबिट करते हैं तो हम देखते हैं कि बैन्ड बाजे के साथ दिखावा होता है कि कितनी चीजें दीं, कितने जेवर दिये, कितने वस्त्र दिये हैं इस प्रकार जो एक्जीबिट करते हैं उस डिसप्ले को हमने इस कानून में वर्जित करने की कोशिश की है। इसके अलावा जो एक मौलिक बात रखी है वह है "विवाह पार्टी के सदस्यों की संख्या पर निर्बन्धन" पहले ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं था और विवाह में कितने ही आदमी जा सकते थे। फूड कन्ट्रोल के अन्तर्गत जरूर प्रतिबन्ध था। हमने यह देखा है कि उसका भी पालन नहीं हुआ। 300-300 आदमी बरात में जाते हैं 50-50 बैन्ड वाले जाते हैं, कानून तोड़ते हैं और लोग देखते रहते हैं हम देखते हैं। आम नागरिक को शिकायत के ऊपर किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते थे। अब उसकी जरूरत नहीं है अब विवाह पार्टी के अन्दर 25 सदस्य से ज्यादा नहीं होंगे। हमने यह भी कहा है कि बैण्ड बाजे के 11 सदस्य होंगे। इससे अधिक किसी विवाह पार्टी में नहीं लायेगा या ले जायेगा। यह हमने क्लॉज नम्बर (4) में किया है।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक दण्ड देने का सवाल है, इसमें फर्क है। हमने कानून में दहेज मांगने पर सजा दी है। उसमें जहां सवाल यह आता है कि मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने पेश होना पड़ता है तो ऐसे मामले को कोई नागरिक नहीं ले जाता है। यह हमने 15-20 सालों में देखा है। इसलिये हमने इसको अब कॉग्नीजेबिल ऑफेन्स बनाया है। पहले यह कॉग्नीजेबिल आफेन्स नहीं था नॉन कॉग्नीजेबिल था, अब उसको कॉग्नीजेबिल ऑफेन्स इस लिये बनाना चाहते हैं ताकि कोई भी आदमी जाकर

(श्री शोभाराम)

पुलिस से कहे कि कानून की अवहेलना की गई है तो पुलिस का फर्ज हो जाता है कि इस प्रकार के मामले का मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास ले जाकर उसको दण्डित कराये। उसका दोष सिद्ध होने पर एक साल की सजा और पांच हजार रुपया जुर्माना हो सकता है। पहले वाले बिल में भी पांच हजार रुपया जुर्माना और 6 माह की सजा का प्रावधान था। लेकिन मैं समझता हूं पुराने कानून लागू होते हुये भी मुझे मेरे अलवर जिले में एक भी ऐसी नजीर नजर नही आयी कि मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने इस धारा का उपयोग किया हो और किसी पर जुर्माना किया हो। इसमें दूसरी बात और है, दहेज न देने पर अगर यह साबित हो जाता है कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के दाम्पत्य अधिकारों से इस आधार पर इन्कार करता है जिसे अंग्रेजी में कन्जूगल राइट्स करते हैं, हम यह भी कह सकते हैं पत्नी के साथ रहने का जो अधिकार है पति द्वारा उन अधिकारों पर कुठाराघात करना भी एक तरह से आफेन्स है और वह इस बिल के तहत कर दिया गया है।

हमने यह देखा दहेज मांगने पर दहेज नहीं दिया गया या दहेज जो दिया गया वह सफिशियेन्ट नहीं है अर्थात् जो मांगा गया है वह नहीं दिया गया है, और अगर पत्नी मैके चली गई तो उसको वर्षों तक नहीं बुलाया गया उसके साथ यह शर्त रखी गई कि जब तक मांगी गई दहेज की रकम अदा नहीं करेंगे तब तक अपनी पत्नी को नहीं बुलायेंगे। यह मैंने उदाहरण के तौर पर कहा है। हमने साफ तौर से लिखा है, "(1) यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के दाम्पत्य अधिकारों से इस आधार पर इन्कार करता है कि दहेज नहीं दिया गया है अथवा दिया गया दहेज अपर्याप्त है तो वह कारावास से जो एक वर्ष तक हो सकता है, तथा जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है, दण्डित किया जा सकता है।" "(2) इस धारा के अधीन किसी अपराध का परीक्षण करने वाला न्यायालय, कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर, पति द्वारा एक ऐसा बन्ध-पत्र निष्पादित करने पर जिसमें दहेज न मांगने और पत्नी को दाम्पत्य अधिकार अनुज्ञात करने का परिवचन दिया गया हो, कार्यवाही बन्द कर सकेगा।" और "(3) उप-धारा (2) के अधीन बन्द की गई कोई कार्यवाही पुनः प्रवर्तित कर दी जायेगा यदि पत्नी की ओर से दिये गये आवेदन पर न्यायालय का समाधान हो जाता है कि पति परिवचनों का पालन करने में विफल रहा है या उसने बन्ध-पत्र की शर्तों के प्रतिकूल अन्यथा कार्य किया है, और तदुपरि न्यायालय मामले में उसी प्रक्रम से, जिस पर कि वह बन्द किया गया था, आगे कार्यवाही करेगा।" यह हमने नई बात कही है। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास अगर यह अन्डरटेकिंग हस्बैन्ड की तरफ से आ जाती है कि मैं दहेज नहीं मांगूगा और दाम्पत्य तथा सहवास के जो अधिकार है उससे वंचित नहीं रखूंगा तो उस पर से यह कार्यवाही समाप्त कर दी जायगी, परन्तु इस अधिनियम के अधीन कोई भी आवेदन-पत्र ग्रहण नहीं किया जायेगा यदि यह कार्यवाही बन्दी किये जाने की तारीख से तीन वर्ष के पश्चात प्रस्तुत किया जायगा। यदि पत्नी की ओर से दिये गये आवेदन पर न्यायालय का समाधान हो जाता है कि पति

(श्री शोभाराम)

अपने अन्डरटेकिंग्स को पूरा करने में विफल रहा तो न्यायालय में उसी स्टेज पर, जिस स्टेज पर बन्द की गई थी, फिर चालू कर दी जायगी कार्यवाही। यह भी हमने एक तरह से इस बिल में रखा है। जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया कि एक छोटी सी बात है। पुराने कानून के अन्तर्गत बनाए नियम लोक सभा में पेश होते थे, जब लोक सभा का सेशन चल रहा हो तो रखने पड़ते थे। दो सेशन के बीच में भी उनको तीस दिन की अवधि में रखा जा सकता है। जनरल क्लॉजेज एक्ट में भी और सब कानूनों में इस प्रकार की बात है। मैंने इसमें दस दिन किया है। अब दस के बजाय मियाद बढ़ती है तो इस मुद्दे पर ज्यादा इसरार नहीं होगा और मैं समझता हूं कि आग्रह भी नहीं है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार का कानून जब हम देखते हैं और मैंने जब देखा कि कुछ माननीय सदस्यों ने इस बिल को प्रवर समिति को सुपुर्द करने की बात कही है तो मैं समझता हूं कि प्रवर समिति के सुपुर्द करने का अधिकार उनको है, लेकिन मैं एक बात को नहीं समझा कि इसमें मोटी मोटी सी बाते हैं। पांच हजार रुपये का विवाह में खर्च, होगा विवाह पार्टी के अन्दर कितने सदस्य होंगे और पांच हजार में कौन-कौन सी चीजें शामिल होंगी और दाम्पत्य जीवन के क्या अधिकार हैं यह तीन चार बातें हैं। तो अप्रेल में जब कि बिल इन्ट्रोड्यूस हो गया था और सबके पास गजट की शकल में पेश हो गया था तो छः महीने के अन्दर ही अगर इसका पूरी तरह से अध्ययन कर लिया जाता और कुछ संशोधन पेश कर दिए जाते बजाय प्रवर समिति के सुपुर्द करने का संशोधन देने के तो वह ज्यादा अच्छा होता। मैं प्रवर समिति के सुपुर्द करने के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि माननीय सदस्यों को अधिकार है कि किसी भी बिल को वह प्रवर समिति को सुपुर्द कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि राजस्थान पहले ही बहुत पिछड़ चुका है और कहीं ऐसा नहीं हो कि प्रवर समिति के सुपुर्द करने पर एक महीने से ज्यादा समय लगे। मैं समझता हूं कि हम जो एक क्रान्तिकारी कानून लाना चाहते हैं राजस्थान में उससे हम महरूम हो जायेंगे। इसके लिए दूर दूर के प्रदेशों में भी चर्चा है कि राजस्थान में अभी तक क्रान्तिकारी कानून, जो कि दीगर राज्यों में बन चुका है, अपनाया नहीं गया, कानून की शक्ल नहीं दी गई। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि कहीं विलम्ब न हो जाये प्रवर समिति के सुपुर्द करने से। इसलिए जिन माननीय सदस्यों ने प्रवर समिति के लिए कहा है वह ध्यान में रखें और इस पर विचार करने की बात करें।

इस समय तो मुझे इतना ही कहना है। बाद में फिर उत्तर दूंगा।

विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने हेतु संशोधन प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

[निम्न संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया:

"राजस्थान दहेज प्रतिषेध विधेयक, 1976 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द

(श्री उपाध्यक्ष)

कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन तीन दिन/एक माह में प्रस्तुत करें। (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जायेगी)।"]

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, जिस भावना से आदरणीय सदस्य ने इस बिल को प्रस्तुत किया है वह भावना प्रशंसनीय है। आज जब सारे भारतवर्ष में एक सामाजिक क्रान्ति दहेज विरोधी उठी है और हमारा युवा वर्ग आज एक होकर इस सामाजिक कुरीति के विरुद्ध खड़ा हो गया है। यह बहुत ही उचित और सही समय था जब कि वक्त की धड़कनों को पहचानते हुये विद्वान् सदस्य ने बहुत ही विद्वतापूर्ण इस बिल को प्रस्तुत किया है।

प्रवर समिति के सुपुर्द करने की बात मैंने कही है लेकिन यह निश्चित रूप से स्पष्ट है कि सैद्धान्तिक कोई विरोध इस बिल से कतई नहीं है। दूसरे मैंने केवल 3 दिन का समय इस बिल पर प्रवर समिति की रिपोर्ट के लिए रखा है। तीन दिन की अवधि का तात्पर्य यह है कि यह सदन केवल तीन दिन ही चले तो भी इस बिल के ऊपर तीन दिन में रिपोर्ट आ जाये। इसलिए मेरी भावना इस सम्बन्ध में स्पष्ट हो जाती है कि किसी प्रकार की देरी करने या इसमें अड़चन डालने की कतई मेरी भावना नहीं है। सन् 1961 का जो डावरी प्रॉहीबिशन बिल था वह निश्चित रूप से काफी खामियों से भरा हुआ था और जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि सजा के प्रावधान उसमें इतने सख्त नहीं थे।

माननीय सदस्य ने इसको कॉग्नीजेबल, बेलेबल और नॉन-कम्पाउन्डेबल ऑफेन्स बनाया है। मैं समझता हूं कि अगर वह इसको कॉग्नीजेबल, नॉन-बेलेबल और नॉन कम्पाउन्डेबल ऑफेन्स बनाते तब भी यह सारा सदन इसका स्वागत कर देता। सामन्ती युग की यह दहेज की प्रणाली है। यह आज हमारे समाज का सबसे बड़ा कोढ़ है और भारतवर्ष के लिए सब से बड़ा कलंक हो सकता है तो वह दहेज हो सकता है। आज भी हजारों जीवन दहेज के नाम पर कुर्बान हो जाते हैं, हजारों जिन्दगियां नष्ट हो जाती हैं। आज भी समाज के अन्दर बूढ़े, लूले, लंगड़े और निकृष्ट लोगों से केवल इसलिए कि उनके पास धन है उस धन के कारण सुन्दर और भोली लड़कियां ब्याही जाती हैं। आज भी जो योग्य लड़कियां हैं उनका इस युग के अन्दर विवाह नहीं होता। इसलिए ऐसे समय में यह विधेयक बहुत ही आवश्यक है। न केवल सामाजिक क्रान्ति ही बल्कि एक वृहद् सामाजिक क्रान्ति के लिए बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार इस प्रथा का जन्म हुआ है यह निश्चित रूप से एक सामन्ती युग की एक प्रथा है जब कि कन्या का जन्म होना ही अभिशाप था। कन्या को जन्म होते ही उसका गला घोटकर मार दिया जाता था-उस सामन्ती युग का अभिशाप आज इस युग के अन्दर भी चला आ रहा है। आज हम सामन्तवाद को समाप्त कर चुके हैं और हम बहुत तीव्रता से इस ओर बढ़ रहे हैं कि सामन्ती अवशेषों

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

को भी समाप्त कर दें। हमारे प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों का भी यही लक्ष्य है कि हमको सामन्तवाद और सामन्ती अवशेषों को पूरी तरह से समाप्त करना है। इस प्रजातान्त्रिक युग के अन्दर इसको बहुत पहले दूर कर दिया जाना चाहिए था लेकिन आज तक नहीं कर पाये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य दो सैकिंड विराजें। क्योंकि आज सदन की कार्यवाही 3 बजे प्रारम्भ हुई है इसलिए आज सदन की कार्यवाही रात्रि के 9 बजे तक चलेगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसलिए आवश्यक है कि हम दहेज की प्रथा को समाप्त करें। दहेज की प्रथा अनेक रूपों के अन्दर चली आ रही है। माननीय सदस्य ने काफी गहराई से ध्यानपूर्वक इस बिल को देखा है और हर प्रकार से जो दहेज लिया जाता है उसको प्लग करने की बात कही है। सन् 1961 का जो डावरी प्रॉहीबीशन बिल था उसके अन्दर जितने भी प्रावधान थे उनको प्लग किया है। कोई भी रिश्तेदार जो कि दहेज लेने वाला हो - दादा, बाप या भाई सबको इसमें सम्मिलित किया है कि वह दहेज नहीं ले सकते। इस बात पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया गया है कि शादी और बारात के अन्दर जो व्यय होता है वह भी किसी प्रकार से 5 हजार से अधिक नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा जो ध्यान इसमें रखा गया है वह दाम्पत्य जीवन के लिए रखा गया है। निश्चित् रूप से हम सन् 1961 के बिल को देखें तो वह वाकई में बहुत खामियों वाला बिल था। अगर कमिटेड दहेज नहीं दिया जाये तो निश्चित रूप से लड़की का जीवन नारकीय हो जाता है। उसको कष्ट दिया जाता है। आपने शायद समाचार पत्रों के अन्दर एक घटना पढ़ी होगी कि किस प्रकार से गंगानगर के अन्दर 12-5-76, 13-5-76 की रात्रि को रेशमा नाम की एक लड़की को गंगानगर का विनोबा बस्ती में जीवित जला दिया गया जिसका कि विवाह साढ़े तीन वर्ष पहले हुआ था। ऐसा इसलिए हुआ कि उसके परिवार का यह कमिटमेंट था कि एक स्कूटर देगा और केवल तीन दिन पहले यह कहा गया। साढ़े तीन वर्ष तक यह नारकीय जीवन उसने व्यतीत किया। उस व्यक्ति की एक छोटी सी दुकान अबोहर में कच्ची बस्ती के अन्दर है जिस पर पचास रुपये का भी सौदा नहीं बिकता है। उस दुकान के मालिक चिम्मनलाल ने अपनी लड़की का सम्बन्ध किया और उसे यह कहा गया कि स्कूटर दो, यह दबाव उस पर डाला गया। स्कूटर कोई बड़ी चीज नहीं है। परन्तु उसको यह धमकी दी गई कि स्कूटर नहीं दोगे तो उचित नहीं होगा। तीन दिन के बाद रात्रि को मोहल्ले वालों ने चीखें सुनीं और उस लड़की को जीवित जला दिया गया। इतना ही नहीं उस लड़की को तड़फते हुए अनेक लोगों ने देखा। इस शर्त पर उस लड़की को अस्पताल में दाखिल किया गया कि वह अस्पताल में उनके खिलाफ बयान नहीं देगी और यह कहेगी कि एक्सीडेन्ट हो गया। मैं इस घटना के कानूनी, क्रिमीनल पक्ष में नहीं जाना चाहता हूं? आज पुलिस ने क्या कार्यवाही की है? हमारी सी. आई. डी.

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

ने क्या किया है ? मैं उनकी कार्यवाही का विवेचन यहां पर नहीं करना चाहता हूं। उनसे न्याय होने की आशा नहीं करता हूं। यह तो हमारे बीस सूत्री कार्यक्रम का एक सूत्र है। सारे देश के समक्ष यह बीस सूत्री कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को ईमानदारी से लागू करने का काम हमारे ऊपर है, परन्तु आपकी यह ब्यूरोक्रेसी इस बीस सूत्री कार्यक्रम की सबसे बड़ी दुश्मन है। जो 25 सूत्र हैं उनमें एक सूत्र दहेज प्रथा के उन्मूलन का भी है। सी. आई. डी. और पुलिस विभाग इस रेशमा के साथ न्याय नहीं करेगा। इसके कत्ल को उसने 302 का केस नहीं माना है। यह कोई एक ही अनयूजुअल फीचर नहीं है यह तो रोज ही होता है लेकिन सब से बड़ी कष्ट की बात यह है कि यह चीज स्पष्ट आई थी कि केवल एक स्कूटर के कारण एक नौजवान 20 वर्षीय लड़की को मिट्टी का तेल डालकर जीवित जला दिया गया। क्या 1961 के डावरी एक्ट के अन्दर प्रावधान नहीं है कि उसके खिलाफ डावरी एक्ट के तहत एक्शन लिया जाय ? सी. आई. डी. के अफसर ने मेरे समक्ष यह स्वीकार किया है कि इस लड़की ने जो बयान दिये हैं वह झूठे हैं। इस बात को पुलिस ने स्वीकार किया है कि यह एक्सीडेन्ट नहीं हो सकता है कि स्टोव बर्स्ट हो गया। जब स्टोव बरामद किया गया तो वह बर्स्ट नहीं था एक छोटी सी कटोरी उस पर रखी हुई थी। डाइंग डिक्लेरेशन में उस लड़की ने यह कहा कि सवेरे साढ़े चार बजे उसने चाय बनायी और एक्सीडेन्ट हो गया। तेल गिर गया और वह जल गई। एक लड़की, जो डेथ बेड पर है, को टाइम का इतना खयाल कैसे रह सकता है। यह असंभव है। ऐसा डाइंग डिक्लेरेशन इतिहास में आज तक नहीं मिलता है जो मनुष्य मर रहा है, उसको समय का इतना ध्यान रहे। पुलिस अधिकारियों ने भी यह माना है कि यह डिक्लेरेशन सही नहीं है। रेशमा को न्याय मिले या न मिले, यह तो मैंने शुरू में ही कह दिया है कि यह मुख्य बात नहीं है लेकिन एक नहीं, आज अनेकों बालिकाएं, लड़कियां हमारे समाज के अन्दर इस प्रकार से सतायी जा रही हैं और वे घुल घुल कर मर जाती हैं क्योंकि जो कमिटेड दहेज होता है वह नहीं दिया जाता है।...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसके अतिरिक्त, उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जो 5 हजार रुपये के व्यय की स्वीकृति का प्रावधान है, यह बहुत अधिक है। पांच हजार रुपयों का खर्च आज के युग में, शादी विवाह में किस बात पर करना चाहते हैं इल्यूमिनेशन, बरातियों के भोजन के ऊपर ? वैसे तो इस सदन के अन्दर मैंने कम से कम 4-5 ऐसे केसेज रखे हैं। यह तो माननीय सदस्यों को पता है कि यह जो फूड कन्ट्रोल एक्ट है यह किस प्रकार का फूड कन्ट्रोल एक्ट है। बरातियों की संख्या 25 तक सीमित है और बैण्ड में 11 आदमियों की, कुल मिला कर 36 से अधिक व्यक्ति एक बारात के अन्दर नहीं हो सकते हैं। परन्तु भीलवाड़ा में मानसिंहका ने 20,000 लोगों को भोजन कराया। अन्य कोई तथ्य की आवश्यकता नहीं है स्वयं खाद्य मंत्री महोदय ने सौ गज की दूरी से

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

यह दृश्य देखा है। इसी प्रकार जयपुर में दुर्लभजी की लड़की की शादी में 25-30 हजार लोगों को भोजन कराया गया। यह बात मैंने इस सदन के अंदर रखी है। मानसिंहका की बात को स्वयं खाद्य मंत्रीजी ने स्वीकार किया है। वहां के डी. आई. जी. इन्वेस्टीगेशन ने कहा है कि बीस हजार से अधिक लोगों ने मानसिंहका के यहां पर भोजन किया है। यही नहीं अभी दुर्लभजी की लड़की के विवाह में हजारों लोगों ने भोजन किया है। यह बात इस सदन में पहले भी कही गयी है। कितने कार्ड्स डिस्ट्रिब्यूट हुए उनकी संख्या ले लीजिये, उसी से पता हो जायेगा। राज्य के आई. जी. पी., डी. आई. जी., फूड कमिश्नर ने वहां पर भोजन किया। जब वे खुद वहां पर हैं तो फूड कन्ट्रोल एक्ट के तहत एक्शन कैसे हो सकता है? इसलिए अगर मैं यह सोचता हूं कि 25 आदमियों के बजाय 100 आदमी चले जाएं तो वह नहीं होना चाहिये। इसलिए माननीय सदस्य ने एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लिया है। उन्होंने केवल तहसीलदार को नहीं माना हैं, बल्कि डी. एस. पी. को माना है। डी. एस. पी. के ग्रेड के व्यक्ति से इसकी जांच हो जो आर. ए. एस., आई. पी. एस. होगा वह सही जांच करेगा और इसीलिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की कोर्ट को माना है। कम से कम एक साल की सजा और एक हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान रखा है। यह सारा प्रावधान करने की जरूरत इसलिए है कि आज जब हमारी लड़कियों को इस बात की कसम दिलाई जा रही है कि हम उस लड़के से विवाह नहीं करेंगी जो दहेज चाहता है, उस परिवार के अन्दर हम नहीं जाएंगी जो दहेज चाहता है। जब कि हमारे नौजवानों को भी जगह जगह यह कसमें दिलाई जा रही हैं, वे यह शपथ उठा रहे हैं कि दहेज की प्रणाली इस देश के लिए कलंक है, यह निकृष्ट प्रणाली है, सामंती व्यवस्था है और हम दहेज को स्वीकार नहीं करेंगे तो यह पांच हजार का खर्चा रखना उचित नहीं है। आखिर विवाह दो जीवन का समझौता है। दहेज तो एक पूंजीवादी व्यवस्था है जहां सब चीजों का पैमाना दौलत है। इन्सानियत भी दौलत से नापी जाती है। पूंजीवादी व्यवस्था में मनुष्य की मनुष्यता नापने का पैमाना दौलत है। इसलिए आज आवश्यकता है, अगर वास्तविक समाजवाद हमें इस देश में लाना है तो हमें दौलत के इस पैमाने को, नापने वाले गज को, इन सबको तोड़ना होगा। जीवन की वैल्यूज में परिवर्तन करना होगा। यह परम आवश्यक है। इसके बिना समाज में परिवर्तन नहीं होगा। इस स्थिति के अन्दर आज अगर पांच हजार रुपये विवाह के मौके पर खर्च होते हैं तो उचित नहीं है। लड़का पढ़ा हुआ हो, लड़की पढ़ी हुई हो, दोनों स्वावलम्बी हों, दोनों एक दूसरे को समझते हों तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह एक दूसरे के साथ समझौता है, जो वास्तविक है और वे उसे पूरे दिल के साथ अपने जीवन के अन्दर उतारते हैं तो रुपये की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तो केवल एक पूंजीवादी व्यवस्था है। ऐसी स्थिति के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जितने भी विवाह हमारे यहां पर सम्पन्न होते हैं उनमें एक रुपये पैसे का भी खर्च नहीं होना चाहिये। विवाह-जीवन

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

का एक समझौता है। पूंजीवादी व्यवस्था में विवाह हुआ ... ? आज के युग में नारी को बलिष्ठ माना गया है, शक्तिशाली माना गया है वहां पूंजीवादी व्यवस्था में पुरुष नारी को इस बात का पैसा देता है, उसको रहने के लिए स्थान देता है, उसको खाने के लिए भोजन देता है, पहनने को जेवर देता है और वह उसके बच्चों को पालती है। उसके घर की रखवाली करती है। यह सामन्ती व्यवस्था है। इसलिए इस सारे ढांचे को तोड़ना होगा। आज हम 55 करोड़ की आबादी पर भी एक कांस्य पदक नहीं जीत पाये और जी. डी. आर. ने, जिसकी आबादी हमारे मुकाबले काफी कम है, 90 प्रतिशत पदक प्राप्त किये, उसमें भी अधिकतर नारियों ने प्राप्त किये हैं। वहां की नारी किसी भी प्रकार से पुरुष से कमजोर साबित नहीं हुई है और वे हर क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त कर रही हैं।

इसलिए आज वह युग नहीं रहा। आज हम पूंजीवाद के अन्धेरे कोने को समाप्त कर रहे हैं और समाजवाद की एक प्रकार से हम व्यवस्था कायम कर रहे हैं, एक प्रकार की शृंखला कायम कर रहे हैं, इस प्रकार से पुरानी परम्परा को हमें कब्र में दफन कर देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री माणकचन्द सोगानी।

(अनुपस्थित)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान दहेज प्रतिषेध विधेयक जो आदरणीय सदस्य श्री शोभारामजी ने सदन के समक्ष रखा है उस सम्बन्ध में मैंने एक संशोधन प्रस्ताव रखा है कि यह बिल प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। कोई भी हम सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं, सामाजिक सुधार करना चाहते है उस सम्बन्ध में हम कितने भी कानून बना लें परन्तु जब तक हम सामाजिक क्रान्ति नहीं करते हैं, जनता में सामाजिक क्रान्ति नहीं आती है तब तक कानून एक सहायक के रूप में काम कर सकता है, परन्तु कानून ही सब कुछ कर सकता हो, यह आने को नहीं समझना चाहिए यह चीज कानून से नहीं हो सकती है। तो इस कन्टेक्स्ट में जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है। मैंने इसका अध्ययन किया है, और मैं यह चाहता हूं कि जो सलेक्टेड मेम्बर्स हैं लेजिस्लेचर के वह भी इसका अध्ययन करें। अध्ययन करने से बहुत सी महत्वपूर्ण बातें आती हैं।

जैसा कि प्रश्न है कि डावरी बन्द हो तो डावरी की डेफिनेशन का भी प्रश्न है। अतः माननीय सदस्य ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसमें डावरी का काफी विस्तृत विवरण दे दिया है और काफी चीजें डेफिनेशन में कवर की गई हैं, परन्तु मैं समझता हूं कि इसमें और भी चीजों का कवरेज करने की आवश्यकता है। जहां पर किसान लोग हैं, जैसे बाड़मेर में जो जाट किसान हैं उनमें शादियां बचपन में हो हो जाती हैं, मेरिजेज हो जाती हैं। मेरिजेज होने के बाद जब 20-21 साल की उम्र हो जाती है या 18 साल की उम्र हो जाती है तो वह आणा करने आते हैं, तो आणा करने जब जाते हैं तो वास्तविक रूप में मेरिज तो यह होती है, और उसमें दहेज

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

की परिस्थितियां पैदा होती हैं। आज यह स्थिति बाड़मेर के किसानों की है तो इस प्रकार की स्थिति और भी जगहों के किसानों की होगी। इसलिए जो डेफिनेशन मैरिज की है उसमें इतने साल के बाद होने वाली मैरिज की स्थिति और शादी के दो-तीन साल के बाद गौने की स्थिति भी है साथ ही साथ आणा भी होता है उसके अन्दर दहेज भी दिया जाता है और उसका भी प्रदर्शन किया जाता है। तो उदाहरण के रूप में मैं कहता हूं कि डेफिनेशन को देखना पड़ेगा कि किस प्रकार की डावरी की डेफिनेशन बनाई जाये।

अब डावरी की डेफिनेशन के बाद में इसमें जो ऑफेन्सेज हैं उन ऑफेन्सेज को हैविली पैनेलाइज करने का प्रयास किया गया है। इस दृष्टिकोण से पहले एक मन्थ का प्रोविजन था और अब एक ईअर का प्रोविजन बन रहा है। इस विधेयक के द्वारा यह प्रोविजन कर रहे हैं कि इसको नॉन-कम्पाउन्डेबल ऑफेन्स भी बनाया जाय तो इसमें कोई यह भी व्यू दे सकता है कि यह कम्पाउन्डेबल विद दी पर्मिशन ऑफ दी कार्ट हो। नॉन-कम्पाउन्डेबल इस प्रकार का ऑफेन्स बन गया तो उचित है कि नहीं है? प्रश्न यह भी है। यह भी हो सकता है कि यह बेलेबल या नॉन-बेलेबल होना चाहिए। इस प्रकार का सामाजिक ऑफेन्स करने वाले की बेल क्यों होनी चाहिए। बेल होने में 50 पर्सेन्ट विक्ट्री हो जाती है। मैं एडवोकेट रहा हुआ हूं इसलिए मैं जानता हूं कि किसी भी केस में बेल हो जाती है तो समझा जाता है कि 50 पर्सेन्ट विक्ट्री हो गई। तो यह प्रश्न भी है कि इस ऑफेन्स को बेलेबल किया जाय या नॉन-बेलेबल ऑफेन्स किया जाय। यह भी सोचने का प्रश्न है कि क्या इसमें एक साल का ही पनिशमेंट दिया जाय, जब कि यह एक सामाजिक कुरीति है इसमें एक साल के बजाय दो साल का पनिशमेंट क्यों न रखा जाय? यह भी एक सोचने का प्रश्न है। इसको एग्जामिन करने की आवश्यकता है। इसका अध्ययन हमें करना है। इसकी बहुत आवश्यकता है।

मैरिज पार्टी के बारे में व्यू है कि 25 पर्सन्स से ज्यादा की बारात पार्टी नहीं होनी चाहिए। बाहर बारात जाय अगर उसमें 25 पर्सन्स हो जाते हैं तो वह तो ठीक है, लेकिन पति और पत्नी दोनों एक ही स्थान के रहने वाले हों तो इस बिल में जो यह कहा गया है कि 25 जनों की बारात होनी चाहिए तो उसमें संख्या ज्यादा होनी चाहिए। बाहर की बारात हो वह संख्या तो ठीक है, लेकिन किसी एक ही टाउन में बारात जाय या किसी एक ही विलेज में बारात जाय और पति और पत्नी एक ही स्थान के रहने वाले हों तो बारात की संख्या बढ़ाई जा सकती है। तो मैरिज पार्टी के बारे में कन्सीडरेशन्स किया जा सकता है और सोचा जा सकता है।

तो मेरा यह कहना है कि इस राजस्थान दहेज प्रतिषेध विधेयक को फुल्ली एग्जामिन किया जाय। कन्जूगल राइट्स के बारे में आपने विधेयक में एक पाइन्ट प्रस्तुत किया है तो वह अच्छा सोचा है। कन्जूगल राइट्स के बारे में सीमा इस प्रकार की रहे तो यह प्रोविजन होना आवश्यक है। तो सीमा विशेष को ठीक करने के लिए एक क्लॉज रखा है तो सीमा-विशेष और भी हो सकती है उसका

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

कम्प्रोमाइज भी हो सकता है। तो यह जो प्रोवीजन रखा गया है वह आज की परिस्थिति के अनुसार बहुत ही अनुकूल और उपयुक्त है। इसलिए इसमें मैंने विशेष तौर से इस बात के लिए जोर दिया है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ताकि इसको फुल्ली एग्जामिन किया जाय। मैं चाहता हूं कि इन दी मन्थ ऑफ नवम्बर जो सैशन हो रहा है उसके पहले पहले जो सलेक्ट कमेटी प्रस्तावित हुई है, उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाय और नवम्बर के सैशन में यह पास हो जाय। अगर यह न करें तो गवर्नमेंट उस समय जिस प्रकार से पंजाब, हरियाणा और दूसरे प्रदेशों में इस प्रकार का कानून लाई है उस प्रकार से कानून लाये। वैसे एक सीनियर मेम्बर इस कानून को लाये हैं तो इसकी गवर्नमेंट को कद्र करना चाहिए। गवर्नमेंट को पहले से ही इस प्रकार का कानून लाना चाहिए था। अब नवम्बर के सैशन में अपना बिल प्रस्तुत कर दें या इसको सलेक्ट कमेटी में भिजवा दें, क्योंकि हमारा जो 24 सूत्री कार्यक्रम है—20 सूत्री कार्यक्रम तो प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी ने दिया है और श्री संजय गांधी ने चार सूत्री कार्यक्रम रखा है उसमें उन्होंने दहेज प्रथा के बारे में कहा है। तो जो 24 सूत्र हैं उनमें दहेज प्रथा के बारे में भी एक सूत्र है। उसके लिए युवकों का एक बहुत बड़ा दायित्व है। अगर इस कानून को युवकों ने उठा लिया, युवकों ने प्राप्त कर लिया या युवक इधर रहे तो वास्तव में इसका बड़ा भारी परिणाम होगा और हमारे समाज में एक बहुत ही क्रान्तिकारी परिवर्तन होगा। युवकों को इसके लिए आगे आना चाहिए। इस बारे में संजय गांधी बहुत ही विशेष प्रयत्न कर रहे हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छी दिशा हमारे सामने रखी है, कांग्रेस के सामने रखी है। कांग्रेस के युवकों को विशेष रूप में इसमें रुचि लेनी चाहिए और इस सामाजिक क्रान्ति में अग्रसर होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती निर्मलाकुमारी!

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान दहेज प्रतिषेध विधेयक, 1976 जो प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं स्वागत करती हूं। लेकिन इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि यह बिल आंशिक संशोधन के साथ में पारित होना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ त्रुटियां दृष्टिगोचर होती हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा है, 1961 का कानून अब बेमानी हो चुका है। दहेज दिनों दिन बढ़ा ही है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आंकड़े आप देखें तो यह प्रथा बढ़ती ही दृष्टिगोचर होती है। सारा समाज इससे ग्रस्त है। विवाह हर समाज में होता है। चाहे वह आदिवासी समाज हो या कोई भी समाज हो। दूसरे शब्दों में मैं कह सकती हूं कि दहेज हमारे समाज में दो रूप में विद्यमान है। उसके दो स्वरूप हैं। एक तो पक्ष यह है कि वधु पक्ष की ओर से मांग की जाती है और दूसरा यह है कि वर पक्ष की ओर से मांग की जाती है। कन्या पक्ष की ओर से भी दहेज की मांग की जाया करती है। मुख्य रूप से यह समस्या आदिवासी समाज में और पिछड़े वर्ग में ही देखने को मिलती है। राजस्थान में जिसको मांगना कहते हैं इस प्रकार की प्रथा आदिवासी समाज में

Page No 49

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)
पाई जाती है । सारे के सारे कारणों को देखें तो वधु ही उसका एक कारण है। जिन्दगी में वधु को ही बन्धन में बंध जाना पड़ता है । उसे ही अपने जीवन को बेच देना पड़ता है। हमने इस सारी प्रथा को सिद्धान्तः समाप्त कर दिया है । यह तो ठीक है लेकिन व्यवहार में वह प्रथा बनी हुई है। गाड़ोलिया लुहारों को भी वधू के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। उन्हें अपने को किसी न किसी महाजन के हाथ में बेच देना पड़ता है । इस प्रकार से वधु के सम्बन्ध में यह प्रचलित है। इस प्रकार से मान्यवर, मैं जो निवेदन करना चाहती हूं वह यह है कि किसी भी आदिवासी सदस्य को इसमें शामिल किया जाना चाहिए । अर्थात किसी प्रकार का संशोधन करते हैं तो वह भी उसमें शामिल होगा । मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि सती प्रथा आप कानून से समाप्त कर सकते हैं तो दहेज प्रथा को क्यों नहीं समाप्त कर सकते हैं ? मैं तो यह कहती हूं कि दहेज प्रथा सती प्रथा से भी भयंकर है। सती प्रथा में स्त्री को अकेले पति के साथ में जलना पड़ता था, किन्तु इस दहेज प्रथा में तो सारे परिवार को जलना पड़ता है। सारे लोगों को दिमाग में संघर्ष झेलना पड़ता है । इस प्रकार की भयंकर प्रथा है जो परिवार की शान्ति को मिटा देती है । ऐसी प्रथा को अवश्य ही समाप्त किया जाना चाहिए । 20 सूत्री और 25 सूत्री कार्यक्रम के बारे में कई माननीय सदस्यों ने कहा है । मैं उसमें नहीं जाना चाहती हूं । लेकिन यह एक बहुत बड़ी बुराई है इसको हमें समाप्त करना चाहिए ।

साथ ही इस बिल में जो कमियां हैं, उनकी ओर भी मैं संकेत करना चाहती हूं । इसमें धारा (3) में पहले निम्बर की बात कही गई है । इसमें कहा गया है कि 5 हजार से अधिक नहीं दिया जाना चाहिए । मैं यह पूछना चाहती हूं 5 हजार किस बात के ? इससे एक अव्यवस्था प्रचलित हो जाएगी । जब हम कानून ही बनाने जा रहे हैं, मान लीजिए, किसी के तीन-चार कन्याएं हैं तो वह क्या करेगा ? इसके बारे में मैं यह सुझाव देना चाहती हूं कि यह सीमा 5 हजार न होकर, 2 हजार की होनी चाहिए । इसके दूसरे भाग में कहा गया है कि कोई भी पक्ष प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दहेज की मांग नहीं करेगा । मैं इस बारे में निवेदन करूंगी कि यह शर्त के रूप में नहीं आना चाहिए । शर्त के रूप में मांग नहीं करें । यह संकेत रूप में जुड़ जाएगा । इसकी तीसरी धारा में जो रखा गया है, उसका मैं समर्थन करती हूं यह एक मनोवैज्ञानिक प्रश्न है । व्यक्ति अपने अहं की पूर्ति के लिए प्रदर्शन करता है । वह कर्जा लेकर भी ऐसा करता है । यह तो सौभाग्य की बात है कि यह कानून आया उससे पहले ही दहेज और प्रदर्शन पर रोक लग गई है । इसको भी कानून में रख देंगे तो निश्चित रूप से वह उचित रहेगा ।

धारा 6 में दाम्पत्य अधिकारों के बारे में जिक्र किया गया है । पति पत्नी को दहेज नहीं मिलने के कारण कॉनजेगल राइट से वंचित करता है....

एक माननीय सदस्य : कन्जूगल राइट्स ......

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : क्षमा करें । कन्जूगल राइट्स, दाम्पत्य अधिकारों से वंचित करता है । जैसा कि,

(श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत)

इस विधेयक के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने कहा है कि उसे दण्ड दिया जायेगा। जब तक यह नहीं होगा, उसको वापिस नहीं बुलाया जाएगा। यह किस प्रकार से होगा? अगर किसी व्यक्ति को कहीं दूर भेज देंगे तो उसके साथ कैसे करेंगे? यह कैसे समझा जाएगा कि उसको कन्जूगल राइट्स मिले हुए हैं या नहीं? इस बारे में इसमें और भी स्पष्ट संकेत होना चाहिए।

साथ ही इसमें, मान्यवर, जुर्माने की बात कही गई है। यदि कोई कानून का उल्लघन करता है तो उस पर जुर्माना किया जाएगा। इसके बारे में मेरा निवेदन है कि वह जुर्माना स्त्री धन के रूप में मान लिया जाना चाहिए। उसे कन्या को दे दिया जाना चाहिए।

मान्यवर, सबसे महत्वपूर्ण पक्ष और सबसे महत्वपूर्ण कमी जो इस बिल में मुझे दृष्टिगोचर होती है वह यह है कि इसका कॉग्नीजेबल ऑफेन्स बना रहे हैं और जैसा कि माननीय सदस्य ने प्रस्ताव किया है और यह भी कहा है कि यदि इस प्रकार के कानून का उल्लघन होता है, तो डीवाई. एस. पी. रेन्क का व्यक्ति उसको देखेगा और वह उसमें हस्तक्षेप करेगा। मान्यवर, मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूं कि क्या आप इसको कॉग्नीजेबल ऑफेन्स बनाकर के पारिवारिक शान्ति भंग कर देना चाहते हैं? आज आपकी पुलिस कितनी ईमानदार है यह किसी से छिपा हुआ नहीं है और इसके बारे में विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी डीवाई. एस. पी. के रेन्क के व्यक्ति को यह काम सौंपा गया है। साथ ही यह भी सोचने की बात है कि विवाह हजारों की तादाद में होते हैं। एक डीवाई. एस. पी. के क्षेत्र में हजारों विवाह होते हैं तो वह किस-किस को जाकर देखेगा? इसलिए निश्चित रूप से दो काम करने होंगे। पहली बात तो यह है कि डीवाई. एस. पी. की संख्या बढ़ानी पड़ेगी जिससे वह हर विवाह में पहुंच सकें। उसी अनुपात में हमको उनकी भर्ती करनी पडेगी। क्या यह संभव है? क्या हमारा बजट इसकी परमिशन देता है कि इतनी तादाद में डीवाई. एस. पी. की नियुक्तियां की जा सकें? दूसरी बात यह है कि डीवाई. एस. पी. सभी जगहों पर नहीं जा पायेगा तो वह किसी दूसरे को अपने अधिकार हस्तान्तरित करेगा और दूसरा तीसरे को यानि किसी नीचे के रेन्क के व्यक्ति को और इस प्रकार से वह थानेदार के लेवल तक पहुंचेगा। आप जानते हैं कि पुलिस विभाग में ईमानदारी का प्रतिशत कितना होता है, नीचे के स्तर पर तो वह और भी गिरता जाता है, ऊपर से लेकर नीचे तक डाउनवर्ड ट्रेण्ड दिखाई देगा। ऐसा स्थिति में एक सामान्य व्यक्ति बहुत परेशानी में पड़ जायेगा। हर समय और आये दिन पुलिस हस्तक्षेप से परिवार की शान्ति भंग हो जायेगी। फिर इसमें एक बात होगी कि जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जो समृद्ध व्यक्ति हैं वह कानून से निकलने का रास्ता निकालेंगे और जो व्यक्ति अशिक्षित है या गरीब है, प्रभावशाली नहीं है वह हमेशा कानून के पंजे में फंस जायेगा और उसका दोहरा दहेज देना पड़ेगा। एक बार पहले भी इसका जिक्र आया था कि पहले तो वह दहेज अपनी बेटी को देगा और दूसरा दहेज उसे डीवाई. एस. पी. को या नीचे के जो चमचे वमचे हैं उनका

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

देना पड़ेगा। नीचे के स्तर पर जो हालत है वह किसी से छिपी हुई नहीं है। तो, मान्यवर, कहने का अभिप्राय यह है कि इसको काग्नीजेबल ऑफेन्स बनाना भी न व्यावहारिक ही होगा और न तर्कसंगत ही। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि काग्नीजेबल ऑफेन्स बनाकर समाज की व्यवस्था और पारिवारिक शान्ति को आप बनाये नहीं रख सकते। इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि समाज के अन्दर कोई भी परिवर्तन कानून के डंडे से नहीं लाया जा सकता है। किसी भी कानून को सही रूप से अमल में लाने के लिये उसके लिए जनमत बनाने की आवश्यकता है और अन्य रास्ते छोड़ने पड़ेंगे। इसके लिए हमको एक स्वस्थ जनमत तैयार करना पड़ेगा नहीं तो यह दोनों ही, वर पक्ष और वधु पक्ष के लिये घातक सिद्ध हो सकता है।

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहूंगी। इस सत्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि विवाह के समय माता-पिता स्नेहवश पुत्र या पुत्री को कुछ देना चाहते हैं, उपहार के रूप में। हर व्यक्ति की एक मनोवृत्ति होती है कि अपनी आर्थिक स्थिति के मुताबिक अपने पुत्र या पुत्री को स्नेहवश कुछ न कुछ देना चाहता है। इसको समाप्त कर देना समाज पर एक बहुत ज्यादा ज्यादती होगी। अभी जैसा कि माननीय सदस्य श्री हांडा साहब ने कहा कि किसी प्रकार का भी दहेज नहीं होना चाहिए। मेरा कहना यह है कि यह दो हजार से ऊपर न रहे, पांच हजार के स्थान पर दो हजार हो जाय तो उसमें किसी प्रकार की रोक-टोक या हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इससे अधिक की राशि हो तो उसको कानून के शिकंजे में लेना चाहिए। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि इस बिल को बड़े अच्छे उद्देश्य से, अच्छे विचारों से सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है, खास तौर से यह कि विवाह के अन्दर विवाह पार्टी की संख्या सीमित होनी चाहिए, इसका मैं तहेदिल से स्वागत करती हूं। इसमें 25 व्यक्ति से ज्यादा नहीं होने चाहिए और बैण्ड वाले भी 11 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, यह एक बहुत ही अच्छा और उपयोगी कदम होगा। क्योंकि सामान्यतः हम देखते हैं कि विवाह के अन्दर लम्बी-चौड़ी पार्टियां होती हैं और बैण्ड वालों पर काफी खर्चा किया जाता है। नतीजा यह होता है कि लड़की के बाप को उनका स्वागत-सत्कार तो करना ही पड़ता है। ऐसी स्थिति में वह जो कन्या को स्नेह वश देना चाहेगा वह बारातियों को खिलाने पिलाने में खर्च करना पड़ता है। कानून तो बना दिया लेकिन इसका उल्लंघन होता है यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। अतिथि नियन्त्रण कानून का भी यही हाल है। हर समय नित्य प्रति इसका उल्लघंन दिखाई दे रहा है, इसलिए इसकी जो सीमित संख्या की गई है वह एक बहुत ही सराहनीय कदम है, मैं इसका स्वागत करती हूं। अब इसके बारे में बहुत ज्यादा लम्बी चौड़ी बात न कहकर मैं यही कहना चाहती हूं कि इस बिल को आवश्यक रूप से और निश्चित रूप से पास किया जाना चाहिए परन्तु पहले इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाना चाहिए। इतना कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ओंकारलाल चौहान।

श्री ओंकारलाल चौहान (डग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान डावरी प्रॉहिबिशन बिल, 1976 इस सदन के समक्ष प्रस्तुत है । इस सम्बन्ध में विशेष तो कहने को नहीं लेकिन दो-तीन चीजों की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा । यह बिल 1961 में बना था और 1961 के बाद जो खामियां इस कानून में रहीं उसके उपरान्त यह बिल 76 में लाया गया है। यह बिल एक स्वागत योग्य है । यह पहले की खामियों को दूर करता है। डावरी सिस्टम जो है, यह एक अजीब समस्या के रूप में हिन्दुस्तान में प्रचलित है । विवाह-शादी एक ऐसी ही रस्म-रिवाज है हिन्दुओं में इसको सेक्रामेन्ट मानते हैं, मुस्लिम लॉ में यह एक कान्ट्रैक्ट के रूप में होता है। उसको सेक्रामेन्ट, रिलीजियस और एक पायस ऑब्लीगेशन मानते हैं, एक ऐसे रिवाज को, ऐसी सामाजिक व्यवस्था को डावरी से जोड़ा जाता है तो वास्तव में यह एक महत्वपूर्ण और गौर करने की चीज है । इसको सही रूप देने के लिए सामाजिक चेतना आनी चाहिए । वैसे ज्यों ज्यों वातावरण बदल रहा है त्यों त्यों सामाजिक चेतना समाज में आ रही है । लेकिन साथ ही इसका पालन कराने के लिए कानून की भी आवश्यकता महसूस होती है। आज भी ऐसी चीजें मौजूद हैं जो कानून के द्वारा होनी चाहिए । कानून को देखते हैं, माननीय उपाध्यक्ष जी, तो माननीय सदस्य ने काफी सोच समझकर इस बिल को रखा है । जैसे कि डेफिनेशन को काफी एग्जास्टिव बनाने की कोशिश की गई है । सगाई, मिलनी और टीका वगैरह को भी डिफाइन किया गया है। but does not include dowery or Mehr in the case of persons to whom the Muslim Personal Law (Shariat) applies माननीय उपाध्यक्ष जी, मेहर एक ऐसी चीज है जिसको कॉन्ट्रैक्ट के रूप में डवलप किया गया है । अगर वह शादी टूटती है, विवाह-सम्बन्ध टूटता है, डाइवोर्स होता है तो एक उचित रकम उससे वसूल की जाती है, यह भी एक गलत चीज है । मेहर का प्रश्न उस जमाने में था जबकि इल्लीट्रेसी थी, उस जमाने में यह प्रथा थी । आज मेहर मानकर करना चाहें तो यह कोई समयानुकूल बात नहीं है । मेहर समाज की व्यवस्था के विपरीत है इसलिए इस चीज को भी हटाया जाना चाहिए । आज का समाज एक है, आज का राष्ट्र एक है । हम अलग-अलग धर्मों के मानने वाले हैं लेकिन जब तक हम एक स्ट्रक्चर को नहीं लेंगे तब तक हम वांछित सफलता की प्राप्ति नहीं कर सकते । यही मैं कहना चाहता हूं।

नम्बर तीन में आपने लिखा है, पांच हजार तक आप खर्च कर सकते हैं। पांच की जगह दो हजार कर दीजिये। मैं यहां निवेदन करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष जी, पुराने जमाने में शादियां अजीब तरीके से होती थीं । कोई खर्चा नहीं होता था । वर-वधु गले में माला डालते थे, शादी हो जाती थी । आज, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत खर्च होता है शादी में । आप शादी में खर्च की लिमिटेशन चाहे पांच हजार करें, चाहे 10 हजार करें, जितनी भी लिमिटेशन आप डालना चाहते हैं, उससे बचने के लिए

(श्री ओंकारलाल चौहान)

लोग कोशिश करते हैं और दूसरे-दूसरे तरीके ढूंढ़ते हैं, अजीब-अजीब तरीके लाकर के सामने खड़े कर देते हैं। मैं यह सोच रहा हूं, सोचता चला जा रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष जी, ज्यों ज्यों समाज सभ्य होता जा रहा है, पढ़े-लिखे लोग बढ़ते जा रहे हैं, उतना ही समाज पीछे जा रहा है बल्कि मैं समझता हूं कि पुराना जो समाज था, पुराने जो उसूल थे वे ज्यादा मजबूत थे और ज्यादा सामाजिक थे। आज का समाज ज्यादा भ्रष्ट और ज्यादा धोखेबाज है। कानून की अवहेलना करता है। उसूल और कानून को छोड़ कर वह अपने लक्ष्य की पूर्ति करता है। पांच हजार रुपया जो रखा है उस रकम में कमा हो, कम से कम तादाद में सिम्पल, सादा तरीके से शादी सम्पन्न हो। आज का जमाना तड़क-भड़क ज्यादा पसन्द करता है, दुनियां भर की चीजें की जाती हैं शादी के अवसर पर। ये सब बन्द होनी चाहिये। मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारे यहां पण्डित जी वगैरह आते हैं। क्रिश्चियन लॉ में एक आसान तरीका है। उसमें कम खर्चा होता है। तो ऐसे तरीके अपनाये जाने चाहियें जिससे कि कम से कम खर्च हो। मुझे इस समय याद आ रहा है हमारे समाज कल्याण के अन्दर शादियां होती हैं वे शादियां बहुत कम रुपयों में होती हैं। 200, 400 ज्यादा से ज्यादा 500 रुपये तक में हो जाती हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरे कहने का मतलब यह है शादियां कम से कम खर्चे में होनी चाहिये जिससे बाद में कठिनाई पैदा न हो।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। मुख्य चीज मुझे यह निवेदन करनी है। एक क्लॉज रखा है नं. 9 :—

"Offences to be cognizable, bailable and non-compoundable."

इसका मैं स्वागत करता हूं। यह ऑफेन्स काग्नीजेबल होना चाहिये नॉन-काग्नीजेबल होना गलत है। आपको याद होगा, माननीय उपाध्यक्ष जी, अनटचेबिलिटी का कानून लागू है वह भी काग्नीजेबल है लेकिन फिर भी उसमें हमें सफलता नहीं मिली है। काग्नीजेबल होने के बावजूद भी कुछ नहीं होता। अगर हम इस कानून को नॉन-काग्नीजेबल बना दें तो इसका सारा उद्देश्य समाप्त हो जाता है। इसलिये यह काग्नीजेबल होना चाहिये और नॉन-बेलेबल होना चाहिये। आज आवश्यकता इस बात की है कि इसको और सख्त कर दिया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, आज इस इमर्जेन्सी के पीरियड के अन्दर हमने अनुभव किया है कि सवा साल के अन्दर जो सख्ती बरती गई है उसके परिणाम आये हैं। इसी प्रकार इस कानून में सख्ती बरती जाये तो इसके परिणाम अच्छे निकलेंगे। तो यह जो क्लॉज 9 है:—

"Every offence under this Act shall be cognizable, bailable and non-compoundable...."

यह होना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इसके साथ साथ पावर्स की बात है।

(श्री ओंकारलाल चौहान)

"....but no investigation shall be made by any police officer holding post below the rank of a Deputy Superintendent of Police ..."

अब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डी. एस. पी. कहां से मिलेगा ? अव्वल तो एस. एच. ओ. का मिलना भी मुश्किल होता है अब अन्दाज लगाइये, डी. एस. पी. को ही ऑफेंस का काग्नीजेन्स लेने के लिये सक्षम बना दिया जाये तो यह बहुत गलत होगा। इसलिये एस. एच. ओ. को ही यह पावर्स देनी चाहिये। डी. एस. पी. का कोई अधिकार नहीं होना चाहिये।

इसलिये, माननीय उपाध्यक्ष जी, यह दो-तीन चीजें मैंने आपके सामने प्रस्तुत की हैं। आदिवासी समाज के बारे में बहिन ने एक बात कही। बड़ी अजीब बात है। मैं समझ नहीं पाया कि शादी करनी हो, जीवन निर्वाह के लिये वह हो उसमें सागड़ी प्रथा आ जाती है। मैरिज के लिये अपने आपको सागड़ी में डाला जाये तो उस मैरिज के लिये इस प्रकार का, समाज एक बावड़ी के रूप में है। यह महान महान जघन्य अपराध है इसमें इन्वेस्टीगेशन होना चाहिये, और इसकी सख्ती से पालना होनी चाहिये।

अन्त में इस बिल का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और माननीय श्री शोभारामजी, जो इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, को धन्यवाद भी प्रस्तुत करना चाहता हूं कि उन्होंने 1961 के बिल का संशोधित रूप 1976 में पेश किया है। लेकिन इसमें और संशोधन होने चाहिये इसलिए इसको एक प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिये क्योंकि जब तक पब्लिसिटी नहीं होगी, जनता की राय जब तक नहीं आयेगी तो मैं समझता हूं यह काम अधूरा रह जायेगा। आज कोई कानून बनाना चाहते हैं तो उसकी खामियां दूर होनी चाहियें। ऐसा न हो कि 1961 में जो बात रही 1976 में आया, उसमें भी खामियां रह जायें। अगर प्रवर समिति को सुपुर्द हो जाता है तो जो खामियां रह गई हैं उनको जहां तक सम्भव हो दूर किया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मीठालाल !

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक बिल का मामला है इसमें कोई दो राय नहीं कि सदन के सभी माननीय सदस्य इसके समर्थन में बोल रहे हैं और बोलेंगे। सभी की धारणा यह है कि इस ढंग का बिल पेश हो जाये और इस ढंग का कानून बन जाये। उपाध्यक्ष महोदय, कई एक मसले ऐसे होते हैं जिनमें सरकार ने तत्काल एक तरफ कानून बनाया और दूसरी तरफ लागू कर दिया लेकिन कई मामले ऐसे होते है जिनमें सरकार का कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि सामाजिक वातावरण बनाना आवश्यक है। इसके बावजूद इसमें जो ठोस तरीके के उपाय होने चाहिए उस तरीके से नहीं हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि प्रचार होना चाहिए। अगर प्रचार आवश्यक रूप से नहीं हुआ तो कोई यह समझेगा कि उसने कुछ नहीं किया। चाहे असल में काम कुछ न हो परन्तु एडवर्टाइज जरूर होना चाहिए। राजधानी में तो रिपोर्ट पहुंच ही जाती है। कोशिश यही रहनी चाहिए कि जिला तक यह रिपोर्ट पहुंच जाये कि अमुक सामाजिक कार्यकर्त्ता

(श्री मीठालाल मीणा)

ने यह कार्य किया। तो यह जो डावरी बिल का मसला है यह कानून से नहीं, सामाजिक वातावरण से हल किया जा सकता है। बहुत से लड़कों ने दहेज न लेने की शपथ ली, प्रतिज्ञा की। 100 लड़कों ने प्रतिज्ञा की कि हम दहेज नहीं लेंगे। लड़कियों ने प्रतिज्ञा की। लड़कियों की संख्या लड़कों से कम आती है। लेकिन कौन से लड़कों ने प्रतिज्ञा की है? जिनसे कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं है, जिनकी उम्र 25 से 30 साल की है वे प्रतिज्ञा कर रहे हैं। बहुत से ऐसे हैं, जो किसी भी पार्टी में शामिल हों लेकिन वे मानते हैं कि दहेज नहीं होना चाहिये। जब शादी की कहते हैं तो लड़का थोड़े ही मांगता है, लड़के के माता-पिता मांगते हैं। जिस प्रकार से अतिथि नियम में खाने के मामले में निश्चित आदमियों के खाने की व्यवस्था है लेकिन उसमें बड़े आदमियों को दस तरीके से छूट मिल जायेगी। बड़ी-बड़ी पार्टियां होंगी 500-500 आदमी शामिल होंगे। लेकिन एक गरीब के यहां कुछ ज्यादा आदमी आ जायें तो उसमें जरूर कानून आ जाता है। इसी ढंग से दहेज के मामले में सामाजिक वातावरण नहीं बनेगा, जब तक सामाजिक कार्यकर्त्ता, नेता लोग, पैसे वाले त्याग नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। मेरे समाज में जिम्मेदार आदमी हैं, जो जिले के अध्यक्ष हैं, नारा लगाया करते थे कि दहेज नहीं लेना चाहिए लेकिन जब उनके लड़के की शादी का समय आया तो सबसे ज्यादा पैसा उन्होंने लिया, बल्कि और मांगने लगे कि यह दो वह दो। एक जाति विशेष में समाज की ओर से सुधार किया गया था, काफी प्रस्ताव पास किए लेकिन नम्बर दो में सौदे होते हैं, नम्बर वन में नहीं। एक मेरे दोस्त हैं, उन्नतशील समाज के हैं। मैंने उनकी बच्ची के लिए दो-चार आदमियों से कहा कि लड़का चाहिए। उन्होंने पूछा कि कितने का चाहिए? 10 हजार का या 20 का या 25 हजार वाला? यह तो बाजार है, जैसा भी लड़का चाहोगे वैसा मिल जाएगा। नम्बर दो में पैसा आता है जाता है लेकिन उसके लिए गरीब तबका, जिम्मेदार नहीं है, बल्कि समृद्धशाली तबका जो अपने आप को ऊंचा मानता है, जिम्मेदार है।

जहां तक पुलिस का सम्बन्ध है, आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? वह तो जैसा अन्य मामलों में करते हैं वैसा ही कर सकते हैं। जहां नम्बर दो में लेन देन हो रहा है वहां वह क्या कर सकते हैं। जहां पुलिस ने कहा कि दहेज दिया जा रहा है तो एक दो हजार दहेज वह भी ले लेंगे। पार्टी कहेगी कि नहीं लिया जैसा चुनाव में होता है। सबको मालूम है कि कितना खर्च करने की लिमिट है, कितना खर्च कर सकते हैं लेकिन वास्तव में कितना खर्च होता है, हिसाब क्या दिया जाता है। इसी तरह दहेज पर रोक थाम पुलिस के डंडे से करेंगे तो नहीं होगी। सामाजिक वातावरण बनाना पहले बड़े आदमियों से शुरू किया जाय, केवल एडवरटाइजमेंट न हो। ऐसा न हो कि प्रचार के लिए अधिकारी बढ़ा लिए और सैंकड़ों रीम्स कागज खराब कर दिए लेकिन असल में कुछ नहीं है। विचार आपके बहुत अच्छे हैं लेकिन कागज खराब करते जायं और स्वयं त्याग नहीं करें तो इस कानून का वही हाल होगा जो 20 सूत्री 25 सूत्री कार्यक्रम का हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया ।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय, दहेज प्रतिषेध विधेयक, 1976 के प्रस्तुत कर्त्ता एक बहुत ही अनुभवशील और वयोवृद्ध, कार्यकुशल नेता हैं जिनका राजनैतिक और सामाजिक जीवन बचपन से अब तक लगातार किसी न किसी पद पर सुशोभित होता रहा है लेकिन मैं नहीं समझ सका कि किसी एक वर्ग विशेष के लिए यह बिल पेश किया गया है अथवा पूरे समाज के लिए।

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज कोई भी नारा एक बड़े व्यक्ति के द्वारा दिया जाय और भावुकतावश अथवा उनको प्रसन्न करने के लिए अति भावुक होकर अगर उनके पीछे दौड़ें और उस नारे के इम्प्लीमेन्टेशन में आने वाले कॉम्प्लीकेशन्स को नहीं समझें तो मेरे पूर्व वक्ता के कथनानुसार वह चीप पापूलेरिटी, मीयर पब्लिसिटी के लिए पेश किया हुआ दस्तावेज कहलाएगा। समाज से वे लोग भी रहते हैं जिनके पास दो समय खाने के लिए भोजन नहीं है। अधिकांश व्यक्तियों की तो 500 से लेकर एक-दो हजार रुपए खर्च करने की कैपेसिटी ही नहीं है। इसलिए इस बिल को यदि पूरी तरह से एग्जामिन किया जाय तो ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य को उन बड़े लोगों की अधिक चिंता है जो लखपति-करोड़पति सेठ हैं, जो लाखों रुपए खर्च करके भी गरीब नहीं बनेंगे बल्कि उनके खर्च का कुछ अंश गरीब लोगों में जाएगा और There will be circulation of money as well as equal distribution of money among the people. उसका असर किसी भी तरीके से समाज पर नहीं पड़ता। दूसरी तरफ वह समाज है कि पूरी जिंदगी भर कमाने पर भी दो हजार नहीं चुका सकते। इसलिए मैं 5000 वाली बात से सहमत नहीं हूं बल्कि मैं मानता हूं कि हमारे देश में, राज्य में जो आयकर दे सकते हैं, उनको अपनी लड़की के लिए हिन्दू सक्सेशन एक्ट के अनुसार जितना उस लड़की का हक है उस सीमा तक छूट दी जाय। साथ ही जो लोग भूखे हैं उनके लिए पांच हजार के बजाय 1 हजार की लिमिट करें। एक व्यक्ति के पास 25 करोड़ हैं उसके 4 लड़के व 1 लड़की है। वह अपनी लड़की को 5 करोड़ दहेज में देता है तो उससे धन का सामान वितरण होता है। लेकिन जो भूखे हैं उनको एक हजार तक खर्च करने की छूट दी जाय या फिर इस तरह की सीमा निर्धारित करें कि 100 रुपये प्रति लड़की देकर सामुहिक विवाह करायें जिससे न किसी को बड़प्पन का एहसास हो न गरीबी का। बाकी जिन जिन लोगों की कैपेसिटी है, जो 10-20 हजार रुपए रोशनी पर खर्च कर सकते हैं, बड़ी बड़ी लाल प्लेट की गाड़ियां मदद के लिए आती हैं, आई. जी. और आई. ए. एस. अधिकारी आते हैं उनके लिए इस बिल को लागू करें तो दहेज देने से बर्बाद होने वाले नहीं हैं न उनके जीवन स्तर में फर्क आने वाला है। अगर प्रतिबंध भी लगायें तो उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।

इसलिए माननीय सदस्य से पुरजोर शब्दों में अपील करूंगा कि यह दहेज प्रथा गरीबी के लिए खत्म करायें। बड़े लोगों के

(श्री मूलचन्द सामरिया)

छुपे हुए धन को खर्च करने के ऊपर, प्रदर्शन करने के ऊपर प्रतिबंध लगायेंगे तो धोखा मात्र है। उन पर किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ने वाला है। इसलिए या तो केटेगरीज बनायें कि जिन लोगों की हैसियत इतनी है वे नंबर ऑफ चिल्ड्रन के आधार पर खर्च कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बता दें। बिड़ला राजस्थान में शादी करते हैं वह भी 5,000) खर्च करें तो उनकी बचत जरूर होगी। अगर मेरे समाज का कोई व्यक्ति इतना खर्च करे जो 25) माहवार कमाने वाला है बकरी चराकर अपने बच्चों का पालन-पोषण करता है, तो उसके लिए मुश्किल होगा। तो इस प्रकार आप पांच हजार रुपये तक की छूट देकर इस कानून के माध्यम से बिड़ला जैसे धनी वर्ग के लोगों को संरक्षण दे रहे हो, लेकिन हमारे यहां के गरीब लोग गडरिये और शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को संरक्षण नहीं दे रहे हो। इसलिये मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ताकि इसके बारे में अच्छी तरह से विचार किया जा सके। आज आप पांच हजार तक छूट देना चाहते हैं तो इसके लिये आपको मौका मिलेगा कि आप प्रवर समिति में यह सोचें कि समाज के किस वर्ग को कितनी-कितनी छूट मिलनी चाहिये। आज समाज में एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके लिये पांच हजार रुपया कोई बड़ी बात नहीं लेकिन ठीक उसी के अपोजिट समाज में एक ऐसा वर्ग भी है जिसके लिये पांच हजार रुपये का राशि खर्च करना बहुत बड़ी बात है। यह वास्तव में एक टैक्निकल बात है। इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं उनके ऊपर विचार करने के लिये अगर आप इस बिल को जल्दी में पास नहीं करें तो अच्छा है। इसी तरह से अगर आप इस बिल को सही मायने में लागू करना चाहते हैं तो आपको इस ऑफेंस को कॉग्नीजेबल बनाना पड़ेगा। आज हमारा जो हिन्दू मैरिज एक्ट है उसके अन्दर जब तक आप इसको कॉग्नीजेबल ऑफेंस नहीं रखेंगे तो फिर इससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर मैरिज हो जाती है, उसके बाद आप अगर रिपोर्ट करते हैं और फिर इन्क्वायरी होती है और उसके बाद में प्रोसीक्यूशन होकर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने वह केस जायेगा तब तक तो मैं समझता हूं कि इसमें काफी डिले हो जायेगी। आपके लिये यह साबित करना मुश्किल हो जायेगा कि एक्चुअली कोई दहेज लिया गया या नहीं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस आफेंस को आप कॉग्नीजेबल ऑफेंस बनाइये और इसको नॉन-बेलेबल रखिए। नहीं तो अगर आप इसको नॉन-बेलेबल नहीं रखते हैं और कोई केस बन गया और उसमें बेल हो गई तो फिर उस वक्त आपस में बहुत ही हार्डशिप हो जायगी। हमारे हिन्दू लॉ के अनुसार मैरिज इज ए सेक्रामेंट। इसका नतीजा यह भी हो सकता है कि पति-पत्नी के कन्जूगल राइट में दिक्कत आयेगी। अगर पत्नी के परिवार वाले पति के परिवार वालों को पनिश करवाना चाहते हैं तो उन दोनों परिवारों में बहुत ही बिटरनैस पैदा हो जायगी। इससे पति-पत्नी की जिन्दगी एक नारकीय जीवन बन कर रह जायगी। इसी तरह आप इसका कम्पाउन्डेबल बनाना चाहते हैं तो मेरा निवेदन यह है कि यह कम्पाउन्डेबल नहीं

(श्री मूलचन्द सामरिया)

होकर नॉन-कम्पाउन्डेबल होना चाहिये। इसके अलावा आप बारात में जाने वालों की सीमा 25 व्यक्तियों की रखना चाहते हैं और 11 व्यक्ति की सीमा बैंड में रखना चाहते हैं। तो इसमें भी मेरा निवेदन यह है कि यह बारात समाज के किस वर्ग के लिये होगी ? इसके अलावा आपने इसमें यह प्रोविजन भी नहीं किया कि वह 25 आदमियों की बारात कितने दिन तक वहां पर रहेगी। इस पर भी काफी ध्यान देने की बात है क्योंकि आज भी हमारे देश के कुछ पिछड़े वर्ग में ऐसी प्रथायें हैं कि शादी के वक्त बारात तीन-तीन, चार-चार दिन तक रुकी रहती है तो मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार अगर इसमें भी कोई सीमा नहीं रखेंगे तो बेचारा गरीब वर्ग का व्यक्ति तो बर्बाद हो जायेगा। उसके लिये आपने बिल में कोई अंकुश नहीं रखा है। इसमें आपको कोई लिमिट तो देनी चाहिये थी। तो मेरा निवेदन है कि जब आप समाजवाद लाना चाहते हैं, समाज में सुधार करना चाहते हैं, कमजोर वर्ग के लोगों को ऊपर उठाने की बात करते हैं, गरीबी को दूर करने की बात करते हैं तो आपको इसके लिये प्रावधान करना पड़ेगा। इसमें आपने जो पांच हजार की सीमा रख दी है वह भी बहुत बड़ी है। एक गरीब और पिछड़े वर्ग के लिये एक हजार रुपये की राशि भी अधिक है इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि इस बिल को जल्दी में पारित न करके प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाना चाहिये। अगर आप जल्दी में पारित करते हैं तो मुझे इसमें आपत्ति है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

श्री बिरदाराम : उपाध्यक्ष महोदय मुझे कुछ निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। श्री मोहरसिंह !

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने राजस्थान दहेज प्रतिषेध विधेयक, 1976 पर बहस हो रही है जिसका कि माननीय शोभाराम जी ने पेश किया है। उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल सदन के सामने रखा गया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। यह बिल महत्वपूर्ण इसलिये है, उपाध्यक्ष महोदय, कि आज जब हम समाजवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं उस वक्त हमारे समाज में यह एक बहुत ही गन्दा रिवाज है कि हमारे यहां पर दहेज प्रथा अभी तक चल रही है। जब तक हम समाज के इस गन्दे रिवाज को कानून से नहीं रोकते तब तक हम अपने समाज को प्रगतिशील नहीं कह सकते। उपाध्यक्ष महोदय, वैसे हमारे प्रगतिशील समाज के अन्दर यह कानून वर्षों पहले ही बन जाना चाहिये था और इसकी जरूरत बहुत वर्षों से महसूस की जा रही थी, इस प्रकार के कानून को बनाने की चर्चायें काफी अर्से से चल रही थीं, अखबारों में भी हमने दहेज के बारे में तरह तरह की बातें पढ़ीं। उनको पढ़ने से लगा, इस दहेज प्रथा के दोषों को देखते हुए यह दहेज प्रथा नारी जाति के लिये अभिशाप है। हमारी मातृ शक्ति के लिये एक बहुत ही बड़ी अपमान-जनक बात है। हमने देखा और सुना है कि कहीं पर दहेज नहीं मिलने के कारण झगड़े हो गये और उन झगड़ों का नतीजा कई बार तो ऐसा हुआ कि लड़कियां बेचारी

(श्री मोहरसिंह)

जल कर मर गयीं। कई बार हमने सुना कि दहेज नहीं देने के कारण लड़कियों को मार दिया गया। कई बार ऐसा भी हुआ कि एक ही व्यक्ति ने दहेज के लोभ में अपनी औरत को मार कर दूसरी शादी करके दहेज ले लिया और उसके बाद में उसको भी मार दिया और तीसरी शादी करके तीसरी जगह से भी दहेज प्राप्त कर लिया। तो मेरा निवेदन यह है कि इसको तो पहले ही रोका जाना चाहिये था। उपाध्यक्ष महोदय, शादी एक पवित्र बन्धन है और वह एक लड़के और लड़की के बीच में होता है उसमें यह पूंजी कहां से आ गयी। शादी एक प्रेम-बन्धन है उसमें पूंजी का क्या काम? दहेज की क्या आवश्यकता? उसमें लेने देने की बात कहां से आ गयी? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि शादी में सिर्फ एक रुपया और नारियल ही लेना चाहिये। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आज से 38 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी तब मेरी ससुराल वालों ने 101 रुपया और नारियल देने की बात की तो मेरे पिताजी ने यह कहा कि हमें एक रुपया और एक नारियल ही चाहिये। आज आप भी पांच हजार की बात करते हैं, यह कहां तक उचित है? इसके अलावा यहां पर कोई पांच हजार नहीं सात हजार तक का दहेज देने की बात कहते हैं, यह बिलकुल अनुचित है। अगर आप समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं और अगर आपका मन्शा समाज से गरीबी दूर करने की है, समाज में सुधार करने की मन्शा रखते हैं तो आपको इस बिल को पास करने में जल्दी नहीं करनी चाहिये। आपको बैठ कर इस पर सोच कर विचार करने की जरूरत है। इसलिये मेरा आपसे यह निवेदन है कि इस बिल को प्रवर समिति को सौंपना चाहिये ताकि इस पर अच्छी तरह से विचार किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे यहां हिन्दू लॉ में सुधार किया गया है जिसके अनुसार पिता का सम्पत्ति में लड़की का भी हक होगा। लेकिन हमारे यहां ऐसा हो रहा है कि अभी तक लड़की को हक नहीं मिल रहा है। आज हमारे समाज में मां, बच्चे, भाई और बहन के रिश्ते में कोई फर्क नहीं आया इसलिये हमारे यहां की लड़कियां भी बाप की सम्पत्ति में हक नहीं मांग रही हैं। वह भी चाहती हैं कि उनका रिश्ता बना रहे। लेकिन आप ऐसी कार्यवाही कर रहे हैं कि जिससे एक लड़की जो कि अपने बाप के घर पर 20 वर्ष तक रहती है, उसे कुछ दहेज देकर धक्का मार कर निकालना चाहते हैं जब कि होना यह चाहिये कि उसको अपने बाप की सम्पत्ति में बराबर हक मिले।

तो मेरा निवेदन है कि दहेज के बारे में अच्छी तरह से विचार हो सके इसके लिये इसको आप प्रवर समिति को सौंपिये ताकि इस पर जल्दी नहीं करके काफी ठीक तरह से विचार किया जा सके। इसमें जल्दी नहीं होनी चाहिये और जो आप पांच हजार की या एक हजार की बात करते हैं, यह सब गलत है। इसके साथ ही आज जब हम यहां पर बैठ कर दहेज नहीं लेने की बात करते हैं, साथ में शादियों में कम खर्च करने की बात यहां विधान सभा में करते हैं, लेकिन दूसरा तरफ हम लोगों

(श्री मोहरसिंह)

में से ही कई लोग ऐसे हैं जो कि बड़ी बारातों में जाते हैं, जिनमें 500-500 से लेकर दो हजार व्यक्ति तक बारात आज में शामिल होते हैं तथा धूम-धाम से शादी होती है और हजारों रुपये खर्च होते हैं तो वहां बैठकर एक बात करना और बाहर जाकर दूसरा बात करना कहां तक उचित है ? इसके लिये आपको चाहिये कि पहले आप लोग खुद इसको अमल में लावें। क्योंकि चैरिटी बिगिन्स एट होम, अगर आप पांच-सात हजार की छूट रखेंगे तो लोग गुप्त रूप से लाख रुपये तक खर्च करेंगे। तो मेरा निवेदन यह है कि इसको बिलकुल ही बन्द किया जाना चाहिये। इसके साथ ही इस विधेयक में ऐसे सुधार भी करने की आवश्यकता है कि जिससे समाज की बुराइयां दूर हो सकें। इसके लिये इसे पास करने में जल्दी नहीं करके इस पर अच्छी तरह से विचार हो सके और सही मायने में इसके द्वारा समाज की बुराइयों को दूर किया जा सके इसके लिये आपको इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करना चाहिये । यहाँ मुझे निवेदन करना है।

श्री लणाराम (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान दहेज प्रतिषेध विधेयक, 1976 पर हम विचार कर रहे हैं। दहेज लेने वाले और देने वाले हम सभी हैं। कोई भी समाज का ऐसा साफ सुथरा व्यक्ति नहीं है कि जो न दहेज लेता हो और न दहेज देता हो। इसलिये आज इस प्रकार की समाज में जो बीमारी फैली हुई है, उस बीमारी को समूल नष्ट करने के लिये जो हमारे माननीय सदस्य यह बिल लाये हैं, यह बढ़िया बात है और इसका मैं स्वागत करता हूं।

आज हमारे समाज में दहेज को रोकने के जो उपाय हैं वे तीन प्रकार के हैं। तीन तरीके से दहेज को रोका जा सकता है एक तो सरकार के द्वारा इस प्रकार की बीमारी रोकी जाती है कानून बना कर, दूसरे आर्थिक स्थिति से जब आदमी कमजोर हो जाता है तो अपने आप यह बीमारी खत्म हो जाती है और तीसरे, सामाजिक सुधार के द्वारा। आज, उपाध्यक्ष महोदय, जो हम यह विधेयक ला रहे हैं, यह सरकार के द्वारा ही माना जाना चाहिये। यह साधा विधेयक हम आपके सामने ला रहे हैं इसके लिये हम समाज के लोगों को तैयार करें। आज इस विधान सभा में विधान सभा के माननीय सदस्य चाहे किसी भी दल से संबंधित हो, जो सामाजिक कार्य-कर्ता हैं जो समाज में अपना अच्छा प्रभाव रखने वाले हैं वे इस दहेज प्रथा को बन्द करना चाहते हैं। इसलिये इस बिल को कानून का रूप देने से पहले हम सामाजिक तौर से हर गांव में, हर शहर में इसकी अच्छाई और बुराई पर विचार करके लोगों का इस ओर मनोबल बनायें। इसलिये मेरा मत है कि पहले इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ताकि लोगों में इसके प्रति विश्वास हो जाय। इसके बाद ही इस बिल को पेश करने में भी आसानी होगी। आसानी तो आज भी होगी, लेकिन बाद में पेश करने में बहुत बल मिलेगा और एक जनमत उसके पीछे मिलेगा। पहले समाज में अच्छाई और बुराई पर विचार नहीं किया गया तो यह उसी तरह का होगा जैसा हमने बाल-विवाह का कानून पास किया। अगर

(श्री लूणाराम)
वास्तविक तौर पर देखा जाय तो हम देखते हैं कि कितने अंशों में उसका पालन हो रहा है। तो यह भी उसी प्रकार की मिसाल हो जायगी और इसका किसी प्रकार पालन नहीं होने से मजाक हो जायगा।

(6.15 सायं)

(श्री मीठालाल मीणा, सभापति, पीठासीन)

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है इस प्रकार के बिल निश्चित रूप से पास होने चाहिये लेकिन इस पास करने से पहले जनमत जानना चाहते हैं। इसलिए जो इसमें अच्छाई और बुराई है, उन पर विचार करने के पश्चात् ही इसको लाया जाना चाहिये।

आज दहेज से परेशान कौन है? दहेज से परेशान गरीब तबके के लोग नहीं हैं। जितने सम्पन्न लोग परेशान हैं उतने गरीब लोग नहीं हैं। आज हर आदमी की आकांक्षायें इतनी बढ़ी हुई हैं कि जो खुद सम्पन्न हैं वह अपने बच्चों को भी सम्पन्न देखना चाहते हैं। अब इसके लिये अनेक प्रकार की पेशकश दहेज के रूप में देखी जाती है चाहे हम उसको टीके के रूप में कहें चाहे कीमत के रूप में कहा जाय तो भी अतिशयोक्ति नहीं है। जो थोड़े से सम्पन्न लोग हैं वे मनमाने पैसे देकर ऐसा सौदा कर सकते हैं।

उदाहरण के तौर पर एक मां के तीन बेटे हैं उनमें एक का तो 30-40 हजार का टीका आये लेकिन दूसरे के पास कोई धन नहीं आये तो भेद-भाव बढ़ता है। आज गांव के आदमियों के सामने इस प्रकार की बात करते हैं तो कहते हैं यह दहेज आपको बुरा लगा लेकिन दहेज में जितनी बुराई है उतनी ही अच्छाई भी है। वे यह कहते हैं, कोई भी चीज प्रेम और दिल से लड़की के मां-बाप से दी हुई है उसमें इतना स्नेह होता है जितना बाजार से लाई हुई चीज में नहीं होता है। एक लड़की जब चन्द पैसों की चीज दहेज के रूप में या किसी भी रूप में लेकर पिता के घर से जाती है तो जब तक वह जिन्दा रहती है, चाहे वह 100 पोतों की दादी बन जाय, वह विचार करती है और बार बार अपनी सन्तानों को यह कहती रहती है कि मैं अमुक वस्तु अपने दहेज में लाई हूं, अपने पीहर से लाई हूं। तो इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो बुराई भी है और अच्छाई भी है। लेकिन आज इस युग में दहेज प्रथा से समाज के अनेक घर बर्बाद हो रहे हैं तो इसका निराकरण आवश्यक है। लेकिन इसके पहले यह उचित होगा कि जन भावना को जागृत करने के लिए, जन भावना को पैदा करने के लिये, इसको प्रवर समिति सुपुर्द किया जाय मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री बिरदाराम (जालौर) : सभापति महोदय, जो आज यह प्रस्ताव पेश किया है इसका समर्थन करने के लिये ही मैं खड़ा हुआ हूं। यह दहेज प्रथा है, दहेज प्रथा के अलावा सगाई के वक्त से लेकर लड़की की जिन्दगी तक—खाने का सामान, कपड़ा आदि मां के घर से शादी की तारीख तक आता रहता है। सब खर्चा लड़की का बाप देता है। इसलिए यह दहेज प्रथा बन्द होनी चाहिये। इसके अलावा एक आदमी ने तो पैसा कमा लिया लेकिन अधिकतर लोग गरीब हैं। एक आदमी पैसा खर्च करता है लेकिन दूसरा आदमी इज्जत वाला है, बोलने वाला है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है तो दहेज प्रथा के लारे लारे उसको

(श्री बिरदाराम)

भी उसमें पड़ना पड़ता है और कर्जा लेकर मजबूरी से पैसा देना पड़ता है तो यह दहेज प्रथा बन्द होनी चाहिये। बाकी सवाल है कि दहेज प्रथा कैसे बन्द होनी चाहिये ? यह करें कि समाज में इससे ज्यादा दहेज देगा तो दण्डित होगा तब तो समाज में दहेज प्रथा बन्द हो जायगी वरना खाली कानून बनाने से बन्द नहीं होगी। इसमें तो समाज के संस्कार होने चाहिये। पुलिस क्या करेगी ? कितने ही पैसे लो चाहे एक लाख, डेढ़ लाख लो वह देता है। वह तो अपने आप देता है, किसी को मालूम नहीं होता है। बाकी समाज में मालूम होना चाहिये। समाज से वह डरता है। समाज से डरने से वह लेता देता नहीं है। यह दहेज प्रथा बन्द होनी चाहिये। मैं कहता हूं अब तक कितने केसेज पकड़े हैं इस मामले में ? और अगर पकड़े हैं तो गरीब को पकड़ा है। किसी अच्छे मालदार आदमी का केस आया है ? कोई नहीं आया। गरीबों के एक दो केस दे दिये कि ये पकड़े हैं। यह दहेज प्रथा बन्द होनी चाहिए और समाज में इस पर प्रतिबन्ध होना चाहिए। इससे गरीब इज्जत वाले आदमी मारे जाते हैं। इसलिए दहेज प्रथा बन्दहोनी चाहिए। मैं इसको जरूरी समझता हूं और इसका समर्थन करता हूं। यह जल्दी होना चाहिए। काफी सदस्य कहते हैं कि यह प्रवर समिति को जाना चाहिए तो प्रवर समिति में जाकर नवम्बर में असेम्बली है तो उसमें यह पास हो जाये—इसके लिए तो मैं सहमत हूं।

श्री सभापति : मंत्री महोदय !

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर): माननीय सभापति जी, मैं बोलना चाहता हूं।

श्री सभापति : आप बोलिये।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : माननीय सभापति महोदय, इस दहेज प्रथा के संबंध में मैं जो कुछ कहना चाहती हूं वह यह है कि जो यहां पर बिल मूव हुआ है उसका मैं तहेदिल से समर्थन करती हूं। ज्यादा से ज्यादा एक महीने, 2½ महाने या मेक्सीमम 3 महीने में इसके ऊपर आकर हमारा सरकार टिकती है तो उसका कोई अर्थ होगा। यह नहीं कि अभी कुछ कह रहे हैं, कल कुछ कहें। इसका अर्थ यह हो जाता है कि हम सामाजिक कुरीतियों को दूर नहीं करना चाहते हैं। इसलिए मैं चंद शब्दों में इस बिल का समर्थन करती हूं और निवेदन करती हूं एक महीने, दो महीने, ढ़ाई महीने या फिर मेक्सीमम तीन महीने में यह होना चाहिए, नहीं तो गरीब तबका जिसको हम कहते हैं, वह पिस जायेगा बहुत बुरी तरह से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : मंत्री महोदय !

श्री बनवारीलाल (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : माननीय सभापति जी, आज सदन के समक्ष रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने डावरी प्रॉहीबिशन बिल प्रस्तुत किया है और उस पर सदन में विचार हुआ। सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, बाड़मेर से आने वाले सदस्य, चित्तौड़गढ़ से आने वाली माननीय सदस्या और लालसोट, दौसा तथा सादुलपुर से आने वाले माननीय सदस्यों ने उसमें भाग लिया……

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : माननीय सभापति महोदय, मैं भी तो हूं …

श्री बनवारीलाल : ठीक बात है।

अभी जिस प्रकार से माननीय सदस्यों ने इस पर विचार व्यक्त किये, इसमें कोई दो राय नहीं कि दहेज प्रथा समाज में बहुत ही बुरी प्रथा है। सम्भवत: कुछ लोगों ने अपने वैभव का प्रदर्शन करने हेतु दहेज के रूप में बड़ी बड़ी चीजें दीं और छोटे लोग इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर पाये इसलिए उन लोगों को काफी बुरे परिणाम भुगतने पड़े हैं। अभी कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ उदाहरण भी दिये और प्राय: हम लोग रोज ही अखबारों में पढ़ते रहते हैं इस बात को कि दहेज पूरा नहीं दिये जाने के कारण, दहेज का वायदा किया था उतना नहीं देने के कारण से अमुक प्रकार की दुर्घटना हुई। यह चीजें सरकार के सामने भी आई हैं।

(6.25 सायं)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

बहुत सी बातें अखबारों में नहीं आतीं।.......

श्री मीठालाल मीणा : सभापति महोदय, यह (श्री खेतसिंह) पेम्फलेट क्या बांट रहे हैं? क्या यह कोई सरकारी दस्तावेज है?

एक माननीय सदस्य : प्रेम पत्र है।

श्री सभापति : ऑर्डर! ऑर्डर! यह आपको मालूम है।

श्री मीठालाल मीणा : यह कलर बदल गया। लाल रंग कैसे हो गया?

श्री रामगोपाल : क्यों आपके भी बदलने की उम्मीद है क्या?

श्री मीठालाल मीणा : मालूम तो पड़े कि यह क्या चीज है।

एक माननीय सदस्य : पार्टी की मीटिंग है।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री मीठालाल मीणा : इसका रंग बदल गया।

श्री सभापति : मन्त्री महोदय!

श्री बनवारीलाल : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार इस बात को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करती है कि यह जो दहेज प्रथा है यह निश्चित रूप से ही अच्छी प्रथा नहीं है और इसके बारे में एक बिल सदन में लाया जाना चाहिए। अभी जिस प्रकार से माननीय सदस्यों ने अपने विचार यहां पर रखे उससे पूरे सदन को इस बात की जानकारी है कि सभी इस सम्बन्ध में एक मत नहीं हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने इसमें संशोधन रखा है। कुछ माननीय सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किया है कि यह विधेयक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाये। कुछ माननीय सदस्यों ने अपना यह मत जाहिर किया है कि इसे जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाये। हमने देखा है, माननीय सभापति महोदय, कुछ प्रान्तों ने एन्टी-डावरी एक्ट पास किया है। उनकी भी हम प्रतियां मंगा रहे हैं और उनके ऊपर विचार कर रहे हैं, अब चूंकि राजस्थान बहुत बड़ा प्रान्त है और इसका बहुत लम्बा चौड़ा दायरा है, एक जिले का स्थिति दूसरे जिले में नहीं, तीसरे जिले में नहीं है और उनकी सामाजिक स्थितियों में भी भेद है और

(श्री बनवारीलाल)

आर्थिक स्थितियों में भी भेद है और जो सामाजिक कार्यकलाप हैं उनमें भी काफी भेद है इसलिए बहुत जल्दी के अन्दर इस बिल को सदन के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा। लेकिन इसकी आवश्यकता बहुत महसूस की जा रही है। अभी चित्तौड़ से आने वाली माननीय सदस्या ने यह विचार व्यक्त किया था कि जिस प्रकार से हमारे समाज के अन्दर दहेज के दुष्परिणाम आते हैं उससे बिल्कुल विपरीत आदिवासी क्षेत्रों में है और वहां लड़के वालों को देना पड़ता है और लड़का वाले लेते हैं। इसी तरह से समाज के कुछ ऐसे अंग हैं जिनकी बातें इस विधेयक के अन्दर नहीं आ सकी हैं, जैसे नाता प्रथा के अन्दर किस प्रकार से दहेज दिया जाता है और किस प्रकार से लेन देन होता है। तो इस सबके ऊपर बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता समझी जाती है। उस पर राज्य सरकार विचार कर रही है और एक कॉम्प्रिहैन्सिव बिल यहां सदन के समक्ष बहुत जल्दी ही लाने की तैयारी है। मैं समझता हूं कि चूंकि यह तमाम बातें की जा रही हैं और बिल भी मंगाये जा रहे हैं, उनके ऊपर विचार कर रहे हैं सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तो इस विचार करने में समय लग सकता है।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : माननीय सभापति महोदय.......

श्री सभापति : ऑर्डर! बीच में नहीं बोलें।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : मैं तो समय जानना चाहती हूं।

श्री सभापति : आप सुन लीजिये।

श्री बनवारीलाल : इसलिये, सभापति महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि राजस्थान सरकार बहुत ही जल्दी अन्दाजन तीन महीने के अन्दर अन्दर यह विधेयक सदन के अन्दर प्रस्तुत कर देगी और जो हमारे माननीय सदस्यों ने यहां पर सुझाव प्रस्तुत किए हैं, जो भावनाएं रखी हैं, उनके ऊपर भी विचार कर लिया जायगा, और जो उपयुक्त होंगे उनको उस विधेयक में समाविष्ट कर लिया जायेगा। यही बात कह कर मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वे अपने इस विधेयक को वापिस लेने की कृपा करें।

श्री सभापति : श्री शोभाराम जी!

श्री शोभाराम : सभापति जी, इस सदन के जिन माननीय सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया, मैं उन सबका आभारी हूं। मुझे खुशी इस बात की है कि सभी माननीय सदस्यों ने यह एक स्वर से माना है कि दहेज प्रथा एक कलंक है समाज के ऊपर, इसलिए इस प्रकार का कानून जरूर बनना चाहिए। इस बात में उन्होंने अपना मत प्रकट किया। यहां पर दो तीन बातें कहना चाहता हूं। वह यह हैं कि 1961 के अन्दर जब यह दहेज प्रथा का प्रतिषेध करने का राजस्थान में कानून लागू हो गया था तो किसी साथी ने यह कहा कि समाज के अन्दर पहले वातावरण तैयार न किया जाए? दस साल बात गये। बात सही है। सिद्धान्ततः मैं इस बात को मानता हूं कि समाज के अन्दर हमको इस प्रकार का वातावरण उचित प्लेट फार्म के जरिये बनाना चाहिए।

(श्री शोभाराम)

लोगों को इसके दोष बताने पड़ेंगे। बल्कि मैं तो यह समझता हूं, यह मेरी व्यक्तिशः राय है कि जो इस प्रकार का कानून तोड़ेंगे उनका हम सोशल बॉयकाट करने को तैयार रहेंगे। मैं इस प्रकार से सोचता हूं समाज में एक स्थिति पैदा करने के लिए। मुझे ख्याल है 1945 के अन्दर जब हमने प्रजामण्डल की तरफ से एक आवाज उठायी थी, हमने उसका मुकाबला किया था, हमने सोशल बॉयकाट किया तो नतीजा उसका अच्छा आया। मैं समझता हूं, जहां तक समाज के अन्दर इस प्रकार का वातावरण बनाने की जरूरत है, उसका एक तरह से स्वागत करता हूं।

कुछ माननीय सदस्यों ने पांच हजार रुपयों के ऊपर दो प्रकार के मत प्रकट किये हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा कि पांच हजार रुपये के बजाय दो हजार रुपये होने चाहिये। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि पांच हजार रुपये नहीं होने चाहिए। अगर आप इसको देखेंगे, तो इसमें है पांच हजार रुपये तक; इसका मतलब यह नहीं है कि दो हजार शामिल नहीं है। इस प्रकार का मत भी आया कि हमने वर पक्ष के सम्बन्ध में बात कही, लेकिन आप देखेंगे कि इस बिल में है 'any person' कोई भी पक्ष, वर पक्ष या वधु पक्ष हो, इस विधेयक में शामिल किया गया है। तो एक पक्ष की बात कहना गैरमुनासिब है।

इस तरह की और भी कई चीजें हमारे सामने आईं, मैं उन सब का उत्तर नहीं दे सकता। कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये। मैं यह मानता हूं कि इस बिल के अन्दर कुछ खामियां हैं जो दूर हो सकती हैं यदि बेहतर ढंग से इसको पेश किया जाये। कुछ खामियां इस प्रकार की बतायी हैं जो बिल के स्वरूप को बेहतर बनाती हैं। मैं समझता हूं कि अमेन्डमेंट की शक्ल में वे यदि नहीं आती हैं तो हम इन खामियों को दूर नहीं कर सकते हैं। लिहाजा मैं यह उचित समझता हूं कि इस बिल पर पूरे तौर से गौर किया जाये। मुझे खुशी है कि हमारे मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया है कि तीन महीने के अन्दर वे अपनी तरफ से इस प्रकार का बिल यहां पर लायेंगे। तो मैं उनके आश्वासन की कद्र करते हुए, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान दहेज प्रतिषेध विधेयक, 1976 का वापिस लेने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि राजस्थान दहेज प्रतिषेध विधेयक, 1976 को वापिस लेने की अनुमति दी जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को वापिस लेने की अनुमति दी जाती है।

श्री शोभाराम : सभापति महोदय, मैं विधेयक को वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल दिनांक 5 अक्टूबर, 1976 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 6.36 बजे मंगलवार, दिनांक 5 अक्टूबर, 1976 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

(66)

परिशिष्ट—1

(तारांकित प्रश्न सं. 36 की सूची)

COPY OF INSPECTION NOTE OF SHRI K. L. GOEL, SUPERINTENDING ENGINEER, P. H. E. D. CITY CIRCLE, JAIPUR.

7-2-76.—

Discussion held with the Off. Executive Engineer regarding R. C. C. tank for Water Supply Scheme, Tapukara. Initially it was thought that the existing structure may be modified by increasing the column diameter so as to avoid their eccentricity. The Executive Engineer had made revised calculation which indicate that the tank foundation may not remain safe due to the proposed modification. It was further worked out that the cost of a new tank may be roughly the same as the cost involved in modification. It was therefore decided that the Executive Engineer should call tenders for construction of a new tank itself and demolish the old structure. The entire work should be completed by March, 73. Discussions were also had regarding progress of other schemes. The Executive Engineer should persue the RSEB authorities for releasing power connections for various schemes for which connection charges have already been deposited.

Sd/-
Superintending Engineer.
P. H. E. D. City Circle,
Jaipur.

परिशिष्ट—2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए गए तारांकित प्रश्नोत्तर

सड़कों के निर्माण हेतु राशि का अलॉटमेन्ट

37. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग ने विभिन्न जिलों में सड़कों के निर्माण के लिए सन् 1976-77 में योजना / गैर योजना या अन्य मद में कितनी राशि का प्रावधान रखा है? जिलेवार आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या विभाग उक्त राशि को राज्य के बड़े लम्बे-–चौड़े एवं अविकसित क्षेत्र को देखते हुये अपर्याप्त समझता है? यदि हां, तो इसके लिए विभाग क्या कदम उठा रहा है?

(3) क्या विभाग सड़कों के निर्माण में राशि अलॉट करते समय यह ध्यान रखता है कि पिछड़े एवं अविकसित क्षेत्रों के लिए दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले में अधिक राशि का प्रावधान रखा जाए? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों के निर्माण के लिए सन् 1976-77 में योजना, गैर योजना एवं अन्य मद में जिलेवार जितनी जितनी राशि का प्रावधान रखा है, उसकी सूची संलग्न है।

(2) हां, उक्त राशि राज्य के बड़े लम्बे-चौड़े अविकसित क्षेत्र को देखते हुए पर्याप्त नहीं है। लेकिन राशि राज्य के स्रोत पर निर्भर रहती है।

(3) राज्य सरकार सड़कों के निर्माण में राशि अलॉट करते समय अविकसित एवं पिछड़े क्षेत्रों का भी ध्यान रखती है।

Page No 68

(68)

सड़कों के निर्माण के लिए सन् 1976-77 में योजना, गैर योजना एवं अन्य मद में जिलेवार प्रावधान की गई राशि की सूची

क्र. सं.	नाम जिला	प्लान	एम. एन.पी.	आर.सी.पी.	चम्बल	रेल्वे सेफ्टी वर्क्स	सी. आर. एफ. ऑर्डिनरी रिजर्व	सी. आर. एफ. स्पेशल रिजर्व	इन्टर स्टेट रोड	बोर्डर रोड
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अजमेर	0.80	0.15	—	—	—	—	—	—	—
2.	अलवर	1.00	0.50	-	—	—	2.18	—	—	—
3.	बांसवाड़ा	—	—	—	—		—	—	—	—
4.	बाड़मेर	—	0.20	—	—	—	—	—	—	—
5.	भरतपुर	4.00	—	—	—	—	0.10	4.30	33.25	—
6	भीलवाड़ा	2.00	1.00	—	—	11.00	0.62	—	—	—
7.	बीकानेर	—	—	17.25	—	—	—	—	—	—
8.	बून्दी	1.50	1.00	—	—	—	—	—	—	—
9.	चितौड़गढ़	3.00	2.00	—	—	—	8.60	—	—	—
10.	चूरू	2.00	1.50	—	—	—	—	—	—	—
11.	डूंगरपुर	—	—	=	—	—	—	—	—	—
12.	गंगानगर	4.00	2.00	186.15	—	—	—	—	—	1.00
13.	जयपुर	2.17	2.20	—	—	—	—	—	—	—
14.	जैसलमेर	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Page No 69

15. जालौर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16. झालावाड़	—	1.00	—	—	—	—	—	—	—
17. झुन्झुनू	2.50	2.00	—	—	—	2.00	—	—	—
18. जोधपुर	—	1.00	—	—	10.00	—	—	—	—
19. कोटा	3.00	1.00	—	181.00	5.00	—	—	—	—
20. नागौर	1.00	1.00	—	—	—	—	—	—	—
21. पाली	0.50	1.00	—	—	—	—	—	—	—
22. सवाई माधोपुर	3.00	2.00	—	—	—	—	—	34.50	—
23. सीकर	—	0.50	—	—	—	3.70	—	—	—
24. सिरोही	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25. टौंक	2.00	0.50	—	—	—	—	—	—	—
26. उदयपुर	—	1.00	—	—	—	—	—	—	—
टोटल:—	34.47	21.55	203.40	181.00	26.00	17.20	4.30	67·50	1.00
प्रोरेटा चार्जेज	5.53	3.45	24.10	29.00	—	—	—	—	—
होटल एरिया	4.00	—	—	—	—	—	—	—	—
259	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—
टी एण्ड पी	45.00	25.00	227.50	210.00	26,00	17.20	4.30	67.50	1.00
	5.00	—	8.50	—	—	2.80	0,70	—	—
योग	50.00	25.00	236.00	210.00	26.00	20.00	5.00	67.50	1.00

Page No 70

(70)

विद्युत् मण्डल के भण्डारों से प्रदान की जाने वाली वस्तुओं की इश्यू प्राइस

38. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के भण्डारों से प्रदान की जाने वाली विभिन्न वस्तुओं की वर्ष 1973-74, 74-75 व 75-76 में इश्यू प्राइस निर्धारित करने का क्या फार्मूला निश्चित किया गया था ? अलग-अलग पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) मण्डल द्वारा वर्ष 1973-74, 74-75 व 75-76 में जो डिपोजिट के आधार पर दूसरों के काम किये गये, उनके एस्टीमेट (अनुमान) व बिल्स में आने वाली वस्तुओं व उनके निर्माण श्रम के मूल्यांकन की क्या प्रक्रिया रही ? अलग-अलग पूर्ण विवरण मय आधार दर्शाते हुये सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

जयपुर जिले में "सीखो कमाओ" योजना के अन्तर्गत उद्योग अध्यापकों की नियुक्ति

39. सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1971 में "सीखो-कमाओ" योजना के अन्तर्गत जयपुर जिले के लिये उद्योग अध्यापक द्वितीय श्रेणी के कितने पदों का सृजन किया गया था और इन सृजित पदों के लिये शैक्षणिक योग्यता क्या है ?

(2) क्या राज्य सरकार ने उपरोक्त सभी पदों पर शैक्षणिक योग्यता व वरिष्ठतानुसार नियुक्ति की है ? यदि हां, तो नियुक्त किये गये अध्यापकों की सूची मय नियुक्ति तिथि व वरिष्ठता क्रम एवं योग्यता दर्शाते हुये सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इन पदों पर कनिष्ठ उद्योग अध्यापकों को नियुक्त कर दिया गया है तथा उनसे वरिष्ठ उद्योग अध्यापकों को नियुक्ति से वंचित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार ऐसे कनिष्ठ अध्यापकों को हटाकर उनके स्थान पर वरिष्ठ अध्यापकों को नियुक्त करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार ने निर्धारित योग्यता प्राप्त उद्योग अध्यापक न मिलने के कारण उन पदों पर सामान्य अध्यापकों की नियुक्ति कर दी है तथा उनसे सामान्य विषय पढ़ाने का कार्य लिया जा रहा है ?

(6) क्या यह सही है कि कुछ तृतीय श्रेणी के उद्योग अध्यापक इन पदों के लिये योग्यता रखते हैं उनको उन पदों पर पदोन्नत नहीं किया गया ? यदि हां, तो ऐसे निर्धारित योग्यता वाले अध्यापकों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(7) क्या राज्य सरकार इन पदों पर नियुक्त सामान्य अध्यापकों के स्थान पर उद्योग अध्यापक तृतीय श्रेणी का नियुक्त

(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)
करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले के लिये उद्योग अध्यापक के द्वितीय श्रेणी के पांच पदों का सृजन हुआ था। इन पदों के लिये निर्धारित शैक्षणिक योग्यता स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त उद्योग प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र या डिप्लोमा, जो राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, एवम् पांच वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।

(2) जी हां। सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-1)

(3) पूरी योग्यता न रखने वाले एक अध्यापक की भूल वश नियुक्ति हो गई थी जिसे 4-8-73 का पदावनत किया जा चुका है।

(4) किसी अनियमितता के ध्यान में आने पर उसे शीघ्र ही ठीक किया जायेगा।

(5) जी हां। दो पदों पर ऐसा किया गया है।

(6) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट—1 बी)

(7) जी हां। इस सत्र में पदों का उपलब्धि के अनुसार उन्हें पदोन्नत करने का विचार है।

आदेश संख्या संनिशि/जय/संख्या-4/50(6)/68/72, दिनांक 12-9-72 के द्वारा उद्योग अध्यापकों को तृतीय वेतन श्रृंखला से द्वितीय वेतन श्रृंखला (उद्योग अध्यापक) में पदोन्नति की गई।

क्रमांक	नाम अध्यापक मय स्थान	जन्म तिथि	वरिष्ठता स्थिति क्रमांक	वरिष्ठता स्थिति तिथि	पद स्थापन स्थान
1	2	3	4	5	6
		काष्ट कला			
1.	श्री हरिराम, उ. मा. वि, कामा	24-3-30	238 प्रई	1-4-60	उ. मा. वि., कामा
2.	श्री तुलसीराम पथिक, यशवन्त उ. मा. वि., अलवर	5-9-21	195 (I) प्रई	1-7-60	उ. मा. वि. यशवन्त, अलवर
3.	श्री वी. ए. सिद्दिकी, मोनिया उ. मा. वि., अजमेर	15-3-39	622 प्रई	1-7-60	उ. मा. वि. तोपदड़ा, अजमेर
4.	श्री वीरेन्द्र सैन, उ. मा. वि., सराधना	28-9-31	978 प्रबे	1-9-49	उद्योग प्रशिक्षण विद्यालय, परशुराम द्वारा, जयपुर
		इण्डस्ट्रियल क्राफ्ट			
1.	श्री जियानन्द, पटेल उ. मा. वि., ब्यावर	10-1-36	719 अप्रई	1-7 60	पटेल उ. मा. वि., ब्यावर
		सिलाई			
1.	श्री मदनलाल, उ. मा. वि., नारायणपुर	3-12-33	455 अप्रई	1-7-59	वि. नि. जयपुर के अधीन
2.	श्री दामोदरलाल, उ. मा. वि., गढ़ी सवाईराम	6-7-37	727 अप्रई	1-7-61	वि. नि. जयपुर के अधीन
3.	श्री जगदीश प्रसाद बंसल, टीकमचन्द उ. मा. वि., अजमेर	1-12-31	1132 प्रबे	6-10-52	उ. मा. वि., हिण्डोन

अन्य

1.	श्री रामदास आचार्य, टीकमचन्द उ. मा. वि., अजमेर	15-10-26	497 अई	1-4-60	टीकमचन्द उ. मा. वि., अजमेर
2.	श्री देवकीनन्दन, उ. प्रा. वि. सुनारी, भरतपुर	1-1-28	267 अई	1-7-61	वि. नि. भरतपुर के अधीन
3.	श्री भगवानसहाय, न. मा. वि., सिकराय	4-5-30	584 अई	1-8-61	वि. नि. जयपुर के अधीन
4.	श्री महेशचन्द, उ. प्रा. वि., गडरपुरा (भरतपुर)	16-11-30	315 अप्रई	1-7-58	उ. मा. वि., निवाई (टोंक)
5.	श्री मोहनलाल, उ. प्रा. वि., सिरोही	2-8-27	152 अप्रई	1-7-50	वि. नि. जयपुर के अधीन
6.	श्री गूजरमल सेन, उ. मा. वि., मुण्डावर	4-7-35	628 अप्रई	1-7-61	वि. नि. जयपुर के अधीन

हस्ताक्षर
संयुक्त निदेशक,
शिक्षा विभाग, अजमेर वृत्त, जयपुर ।

उपरोक्त में से क्रमांक 4 (काष्ट कला) श्री वीरेन्द्र सैन तथा क्रमांक 3 (सिलाई) श्री जगदीश प्रसाद बंसल को निर्धारित योग्यता धारक नहीं होने के कारण इस कार्यालय के आदेश संख्या संनिशि/जय/संख्या-4/पदो/11/285, दिनांक 4-8-75 द्वारा पदावनत किया गया ।

हस्ताक्षर
संयुक्त निदेशक,
शिक्षा विभाग, अजमेर वृत्त, जयपुर ।

परिशिष्ट (बी)

तृतीय वेतन शृंखला के अध्यापकों का पदोन्नति हेतु पात्रता सूची 72–73

क्रमांक	नाम मय स्थान	विषय एवं अनुभव	शैक्ष-णिक	प्रशैक्ष-णिक	जन्म तिथि	वरिष्ठता प्र इन्टर अ.प्र.ई.	1-9-61 का व. क्र	नियुक्ति तिथि	जिला	वि.वि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	श्री रामराव आचार्य, डींगमचद उ.मा.वि, अजमेर	सिलाई 9 वर्ष	बा.ए.	एच.सी.टी.	15-10-26	1-4-60	497	9-10-52	अजमेर	
2	श्री हरिराम, उ.मा.वि. कामां	कृषि	,,	,,	24-5-30	1-4-60	238	4-8-48	भरतपुर	
3	श्री जी.एस. सिद्दीकी, मोनिया इस्लामिया, अजमेर	,, 5 वर्ष	,,	,,	15-3-39	1-7-60	612	7-10-58	अजमेर	
4	श्री तुलसीराम पथिक, यशवंत उ.मा.वि., अलवर	,,	,,	सी.टी.आई.	5-9-31	1-7-60	195	9-2-51	अलवर	
5	श्री देवकीनंदन, उ.प्रा.वि. सुनारी	नि. क.	,,	एच.सा.टा.	1-1-28	1-7-61	267	1-8-48	भरतपुर	
6	श्री भगवानसहाय गुप्ता, उ.मा वि., सिकराय	,,	,,	,,	4-5-30	1-8-61	584	20-10-51	जयपुर	
7	श्री मोहनलाल, उ.प्रा.वि., सिराही	,,	,,	,,	2-8-27	1-7-58	152	18-9-45	सीकर	
8	श्री महेशचंद,उ.प्रा.वि., गरडपुरा, धौलपुर	मिट्टीकुट्टी	,,	,,	16-11-30	1-7-58	315	13-3-49	भरतपुर	
9	श्री मदनलाल शर्मा, उ.मा.वि., नारायणपुर		,,	क्राफ्टट्रेण्ड	3-12-33	1-7-59	455	3-10-52	अलवर	
10	श्री जीयानंद पटेल, उ.मा.वि., ब्यावर		,,	,,	10-1-36	1-7-60	719	25-1-59	अजमेर	
11	श्री गूजरमल सेन, उ.मा.वि., मुण्डावर		,,	,,	4-7-35	1-7-61	628	1-9-54	अलवर	

12	श्री दामोदरलाल, उ.मा.वि., बड़ी-सवाईराम	सिलाई	बी.ए. कास्ट हैन्ड	6-7-37	1-7-61	126	18-7-59	अलवर	
13	श्री वीरेन्द्रसेन, उ.मा.वि., सरावना	काष्ठकला	इन्टर	,,	28-9-31	1-9-49	978	5-9-49	अजमेर (प्रयोग पदा-(नत
14	श्री जगदीशप्रसाद बंसल, ठीकमचंद उ.मा.वि., अजमेर	सिलाई	,,	,,	1-12-31	6-10-52	1122	9-10-52	अजमेर ,,
15	श्री गोवर्धनसिंह, उ.मा.वि., मसूदा	काष्टकला	बी.ए.	,,	20-8-29	6-10-52	1144	9-10-52	अजमेर
16	श्री रतनलाल काबरा, उ.प्रा.वि., मदनगंज	,,	,,	,,	30-9-35	1-10-58	1-4-85	1-9-55	अजमेर
17	श्री सत्यनारायण, उ.मा.वि., जूनिया	,,	,,	,,	4-4-37	1-10-59	1644	1-7-59	अजमेर
18	श्री गजानंद शर्मा, उ.मा.वि., निवाई	,,	,,	,,	1-10-23	1-7-60	176	20-10 43	टौंक
19	श्री मोहनलाल, उ.प्रा.वि., गवाई	,,	,,	,,	6-5-23	1-8-59	310	22-8-52	झुंझुनूं
20	श्री जगन्नाथप्रसाद, उ.मा.वि., झुंझूनू	,,	,,	,,	5-10-32	1-8-60	360	30-1-52	,,

नोट:—वरिष्ठता प्र. इ. इण्टर 1 से 6 तक

,, अप्रशिक्षित इण्टर 7 से 12 तक

,, प्रशिक्षित मैट्रिक 13 से 18 तक

,, अप्रशिक्षित मैट्रिक 19-20

Page No 76

(78)

तहसील छबड़ा की हिंगलोट मध्यम सिंचाई योजना

40. श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि हिंगलोट मध्यम सिंचाई योजना तहसील छबड़ा जिला कोटा का सर्वे काफी दिनों पूर्व हो चुका है ?

(2) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस सिंचाई योजना को स्वीकृत कर निर्माण करवाने का इरादा रखती है ?

(3) यदि हां, तो कब तक ? और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी नहीं, सर्वेक्षण कार्य चालू है।

(2) सर्वेक्षण कार्य पूरा होने पर व योजना की स्वीकृति होने पर निर्माण कार्य चालू कराना सम्भव होगा।

(3) निश्चित रूप से अभी नहीं कहा जा सकता।

गांव मादवासी व बामणा (तहसील डेगाना) के कुओं का पानी

41. श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना): क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पिछले वर्ष अतिवृष्टि से नागौर जिले के कुछ गांवों में कुओं का पानी जहरीला हो गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि तहसील डेगाना, जिला नागौर के अन्तर्गत गांव मादवासी व गांव बामणा के कुओं का पानी जहरीला हो गया तथा उसके पीने से कई जानवर मर गये ?

(3) क्या यह सही है कि इन गांवों की जनता ने राज्य सरकार को कई प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अविलम्ब उनके लिये पानी का प्रबन्ध कराया जाये ? अगर हां, तो राज्य सरकार ने इसके लिये क्या प्रबन्ध किया है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पिछले वर्ष अतिवृष्टि के कारण नागौर जिले के कुछ ग्रामों में पानी खराब हो जाने के कारण विभिन्न ग्रामों से सूचनायें प्राप्त हुई थीं।

(2) ग्राम मादवासी एवं ग्राम बामणा में उपलब्ध भू-जल अत्यधिक खारा है किन्तु जल को पीने से जानवरों के मरने के बाबत विभाग के पास कोई अधिकृत जानकारी नहीं है।

(3) जी हां। नई ग्रामीण जल प्रदाय योजनायें जिला आयोजना समिति के प्रस्तावों के अनुसार स्वीकृत की जाती हैं। उपरोक्त दोनों ग्राम जिला आयोजना समिति द्वारा प्रस्तावित नहीं हैं।

नाथद्वारा में अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय की मांग

42. श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उदयपुर में इस समय कितने अधिशासी अभियन्ताओं के मुख्यालय हैं

(श्री मनोहर कोठारी)
तथा उनका कार्य क्षेत्र क्या क्या है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या राज्य सरकार राष्ट्रीय राज-मार्ग तथा जिला अधिशासी अभियन्ता के कार्य क्षेत्र को उदयपुर से रतनपुर तथा उदयपुर से भीम तक के दो भागों में विभक्त करने को वित्तीय, प्रशासनिक और सुविधा की दृष्टि से उपयुक्त नहीं मानती?

(2) क्या यह सही है कि पूर्व में इस प्रकार दो हिस्सों में मिले जुले क्षेत्र थे? यदि हां, तो उसमें क्या कठिनाई अनुभव हुई जिससे अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन किया गया?

(4) क्या राज्य सरकार इस दृष्टि से पुनर्विचार कर उदयपुर से भीम तक के राष्ट्रीय राज-मार्ग के साथ नाथद्वारा, मावली, रेलमगरा, राजसमन्द, आमेट, कुम्भलगढ़, देवगढ़ और भीम तहसीलों की सड़कों तथा निर्माण कार्यों को एक साथ रख कर तथा शेष क्षेत्र को दूसरे सर्किल में रखने के प्रस्ताव को उपयुक्त नहीं मानती? यदि हां, तो इस पर कब तक विचार कर निर्णय ले लिया जायेगा?

(5) क्या इस व्यवस्था पर पुनः विचार कर नाथद्वारा में एक अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय की स्थापना के औचित्य को राज्य सरकार अब भी अनुभव नहीं करती?

उत्तर

(1) उदयपुर में तीन सिविल अधिशासी अभियन्ता एवं एक मैकेनिकल (यान्त्रिक) अधिशासी अभियन्ता का मुख्यालय है। इनका कार्य क्षेत्र संलग्न सूची (ख) में दर्शाया गया है।

(2) जी नहीं, राज्य सरकार उदयपुर जिले में आने वाले राष्ट्रीय राज-मार्गों के लिये एक ही अधिशासी अभियन्ता रखना उपयुक्त मानती है।

(3) पूर्व में उदयपुर में चार सिविल अधिशासी अभियन्ता का मुख्यालय था व राष्ट्रीय राज-मार्ग के कार्यभार को देखते हुये दो हिस्सों में विभक्त किया था, प्रशासनिक व्यय में कटौती की दृष्टि से इन चार खण्डों के बजाय तीन खण्डों के मुख्यालय उदयपुर में रखे गये हैं और इसलिये अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन किया गया है।

(4) व (5) राष्ट्रीय राज-मार्ग का कार्य भारत सरकार से प्राप्त धनराशि से किया जाता है और भारत सरकार का यह भी सुझाव है कि राष्ट्रीय राज-मार्ग के कार्यों के लिये अलग से अधिशासी अभियन्ता रखे जायं। इसी को देखते हुये उदयपुर जिले में जो राष्ट्रीय राज-मार्ग आता है, उसके लिये एक ही अलग से अधिशासी अभियन्ता रखा गया है उसका मुख्यालय उदयपुर में ही रखने का औचित्य है। अभी नाथद्वारा में अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय का कोई औचित्य नहीं है।

Page No 78

(सूची-अ)

उदयपुर में अधिशासी अभियन्ताओं के मुख्यालय

सिविल अधिशासी अभियन्ता	कार्य क्षेत्र
1. भवन व पथ, नगर खण्ड, उदयपुर के साथ चार उप-खण्ड, जिनके मुख्यालय नगर उप-खण्ड प्रथम/द्वितीय/उदयपुर / डेलवाड़ा और कांकरोली में हैं।	1. उदयपुर नगर के कार्य। 2. उदयपुर जिले के गोगुन्दा-सायरा-रतनपुर सड़क। 3. उदयपुर चित्तौड़ सड़कों के ऊपर के कार्य। 4. उदयपुर गोगुन्दा, सायरा-रतनपुर सड़क के कार्य।
2. जिला खण्ड, उदयपुर के साथ तीन उप-खण्ड हैं जिनके मुख्यालय उदयपुर, सलूम्बर और गोगुन्दा में हैं।	1. उदयपुर जिला। 2. दक्षिणी उदयपुर-सायरा-रतनपुर एवं उदयपुर-चित्तौड़ सड़क के कार्य। 3. उदयपुर चित्तौड़ सड़क के कार्य।
3. राष्ट्रीय राज-मार्ग खण्ड, उदयपुर के साथ चार उप-खण्ड हैं जिनके मुख्यालय उदयपुर, खेरवाड़ा, नाथद्वारा और भीम में हैं।	राष्ट्रीय राज मार्ग के कार्य भीम से उदयपुर-रतनपुर गुजरात की सीमा तक।

यान्त्रिक अधिशासी अभियन्ता

4. यान्त्रिक खण्ड, उदयपुर के साथ दो उप-खण्ड जिनके मुख्यालय उदयपुर में ही हैं।	मशीनों की मरम्मत के कार्य जो कि वृत्त प्रथम व वृत्त द्वितीय, उदयपुर के अधीन हैं।

पंचायत समिति सांचोर एवं रानीवाड़ा में आर. ई. सी. की योजना

43. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सांचोर क्षेत्र में अभी तक ए. आर. सी. या आर. ई. सी. की कोई योजना स्वीकृत कर लागू नहीं की गई है? अगर हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि सांचोर पंचायत समिति क्षेत्र में आर. ई. सी. की योजना का सर्वेक्षण कर लिया गया है? अगर हां, तो कब? अगर नहीं, तो सर्वेक्षण कब तक करवा लिया जावेगा?

(3) क्या यह सही है कि रानीवाड़ा से सांचोर तक 33 के. वी. विद्युत् लाइन के प्रसार हेतु राज्य सरकार की मन्जूरी हो चुकी है? अगर हां, तो कब? अगर नहीं, तो मन्जूरी कब तक कर दी जायेगी तथा 33 के. वी. लाइन का प्रसार कब तक करवा दिया जावेगा?

(4) क्या यह सही है कि भीनमाल से रानीवाड़ा तक 33 के. वी. लाइन का प्रसार काफी अर्से पहले हो चुका है? अगर हां, तो कब?

(5) क्या यह भी सही है कि विद्युत् शक्ति पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हुए भी रानीवाड़ा कला ग्राम में एवं उसके आस-पास दूसरे ग्रामों में सिचाई कुओं तक पावर कनेक्शन्स नहीं दिए गये हैं? अगर हां, तो क्यों? अब सिचाई कुओं पर पावर कनेक्शन्स कब तक दे दिए जावेंगे?

(6) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, रानीवाड़ा क्षेत्र में आर. ई. सी. की योजना मन्जूर कर दी गई है? अगर हां, तो कब एवं कितने ग्रामों में? ऐसे ग्रामों का विद्युतिकरण कब तक कर दिया जावेगा? इन गांवों में उक्त योजना के अन्तर्गत सिंचाई कुओं पर पावर कनेक्शन्स देने कब तक शुरू कर दिए जावेंगे?

उत्तर

(1) जी हां। अभी इस क्षेत्र के भूजल सर्वे की रिपोर्ट बन रही है।

(2) जी नहीं। इस विषय में निर्णय भूजल सर्वे रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही लिया जा सकेगा।

(3) जी नहीं। जब इस पंचायत समिति की ग्रामीण विद्युतिकरण निगम योजना बनाई जायगी तब आवश्यकतानुसार इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जायगा।

(4) जी हां। दिनांक 22-9-74 को इस लाइन का कार्य पूरा हुआ था।

(5) जी नहीं। उपलब्ध ट्रांसफार्मर क्षमता के अनुसार रानीवाड़ा कलां ग्राम में सिंचाई के कुओं को कनेक्शन दिये गये हैं।

(6) जी हां। दिनांक 28-7-76 को रानीवाड़ा पंचायत समिति की एक ग्रामीण विद्युतिकरण निगम की योजना 51 ग्रामों के लिये स्वीकृत हुई है। अभी निगम से ऋण की पहली किश्त प्राप्त नहीं हुई है

(विद्युत् मंत्री)

जिसकी कार्यवाही की जा रही है। किश्त प्राप्त होते ही योजना पर कार्य आरम्भ हो जायेगा और जैसे ही किसी ग्राम का विद्युतिकरण होगा तुरन्त ही योजना के अनुसार कनेक्शन दिये जाने का कार्य भी आरम्भ हो जायगा।

रोहट पंचायत समिति के धोलेरिया में ट्यूब वेल की योजना

44. श्री शंकरलाल (पाली) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली तहसील की रोहट पंचायत समिति में धोलेरिया में ट्यूब वेल बनाकर किन किन गांवों में पीने का पानी सप्लाई कराने की योजना कितनी धनराशि की कब स्वीकृत की गई ?

(2) इस योजना के तहत कितना कार्य कर लिया गया व कितना कार्य शेष है ?

(3) यह कार्य कब तक सम्पूर्ण कर गांवों में पीने का पानी सप्लाई कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) पाली तहसील में ग्राम धोलेरिया में नलकूप बनाकर ग्राम धोलेरिया-जागीर, धोलेरिया-सासन, सीनाईलखां, डूंगरपुर, खानड़ी, दुन्दली, दुन्धेली, सिगाड़ी व रोहट को जल देने हेतु क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना दिनांक 25-3-76 को 19.03 लाख रु. की लागत के लिये स्वीकृत की गई।

(2) योजना के अन्तर्गत धोलेरिया में भू-जल विभाग द्वारा नलकूप का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं आंशिक रूप से पाइप प्राप्त किये गये हैं। योजना के अन्तर्गत अन्य कार्य (पाइप लाइन प्राप्त करना, टंकियां व क्वार्टर बनाना, पम्प प्राप्त करना, पाइप लाइन बिछाना इत्यादि) किया जाना शेष है।

(3) भू-जल विभाग द्वारा उपयुक्त जल स्रोत समय से तैयार करने पर 12 ग्रामों में इस वर्ष जल देने की संभावना है। योजना को पूर्ण रूप से चालू करने में साधारणत: 2-3 वर्ष का समय लगता है।

महावीरजी पुल पर व्यय की गई राशि

45. श्री चेतराम (टोडाभीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर से सिकन्दरा (वाया नादौती), सवाई माधोपुर-अलवर राजकीय उच्च मार्ग है ? यदि हां, तो क्या इस मार्ग पर नादौती से ताल चित्र तक वर्षा काल में आवागमन अवरुद्ध नहीं रहता है ?

(2) 1972 से 1975 तक नादौती से तालचित्र तथा नादौती से महावीरजी मार्ग के लिए बाढ़ सहायता कोष से कितनी धनराशि मिली और कितना रुपया व्यय हुआ है ?

(3) क्या यह सही है कि महावीरजी पुल पर इस साल बहुत धनराशि खर्च की गई है ? यदि हां, तो इस राशि का ब्यौरा

(श्री चेतराम)
में कहां प्रोविजन है और किस मद से खर्च की गई है ? क्या यह खर्चा सार्वजनिक हित में किया गया या किसी व्यक्ति विशेष के हित में जिससे उनकी भूमि पर कटाव न हो ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्षा काल में पुलियाओं के अभाव में यातायात मे कठिनाई रहती है।

(2) वर्ष 1972 से 1975 तक बाढ़ सहायता के मद में इस प्रकार आवंटन व व्यय हुए।

	आवंटन	व्यय
गंगापुर-नादौती-गुढ़ाचन्द्र जी,	3,52,°00	3,63,400
नादौती श्री महावीरजी	1,60,200	1,38,400

(3) श्री महावीर जी पुल पर गाहड़ वैंक की मरम्मत हेतु इस साल 2,05,700 व्यय मद 337 रिपेयर्स टू रोड्स एण्ड ब्रिजेज मद में किया गया। यह खर्चा पुल के बचाव हेतु सार्वजनिक हित में किया गया।

ग्रामीण विद्युतिकरण योजना लालसोट के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

46. श्री मोठालाल मीणा (लालसोट) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्रामीण विद्युतिकरण योजना लालसोट- जयपुर के स्थानीय अधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिकता भंग करने, गलत अनुमान बनाने, मनमाने तरीके से प्रार्थना-पत्र लेने, देरी से मांग-पत्र निकालने, अनुसूचित जाति व जन जाति तथा छोटे कृषकों को प्रथमिकता न देने, व उनकी प्राथमिकता भंग करने, अनुसूचित जाति के लोगों की भूमि व कुओं पर सवर्ण जाति के लोगों को विद्युत् संबंध देने, स्वीकृत योजना से अधिक व कम एल. टी. लाइन देने, कनेक्शन सीमा बढ़ाने, ट्रान्सफार्मर उचित स्थान पर न रखने आदि के संबंध में अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता व मुख्य अभियन्ता तथा राज्य सरकार को गत एक वर्ष के समय में कितनी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ? अलग अलग कार्यालय की सूची सदन का मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त शिकायतों में से कितनी शिकायतों की अभी तक जांच की गई ? जांच की गई शिकायतों में से कितनी शिकायत सही पाई गई ? सही शिकायतों के आधार पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? जिन शिकायतों का जांच अभी तक नहीं की गई उसका क्या कारण है ?

(3) क्या यह सही है कि कुछ स्थानीय अधिकारियों पर उनके द्वारा पिछले स्थानों में किये गये भ्रष्ट कार्यों के भी गम्भीर आरोप हैं जिसमें एक अधिकारी के विरुद्ध तो फालना में सीमेन्ट के गबन करने का गंभीर प्रमाणित आरोप भी है ? यदि हां, तो इन कार्यों के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा प्रथम में की गई

Page No 82

(८२)

(श्री मीठालाल मीणा)

अनियमितताओं पर उच्चाधिकारियों द्वारा तत्काल समय पर उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही न करने के कारण उनको प्रोत्साहन मिलता रहा और बार बार अनियमिततायें करते रहे ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कुल 24 मामलों से सम्बन्धित शिकायतें राज्य सरकार अथवा मण्डल के विभिन्न कार्यालयों में प्राप्त हुई हैं। इनमें से 12 मामलों से सम्बन्धित शिकायतें हाल ही में माह सितम्बर, 1976 में प्राप्त हुई हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इनमें से कुछ मामलों की जांच जिला सतर्कता समिति भी कर रही है।

(2) 19 मामलों से सम्बन्धित शिकायतों की जांच हो चुकी है। इनमें से एक मामले में जो अधिकारी दोषी पाया गया है, के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। बाकी शेष 5 मामलों से सम्बन्धित शिकायतों की जांच जारी है।

(3) जी हां, केवल एक अधिकारी के विरुद्ध पुरानी शिकायत है, जिसकी जांच जारी है। जांच पूरी होने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(4) जी नहीं।

शिकायत पत्रों की सूची जो राज्य सरकार को प्राप्त हुई है।

क्रमांक	दिनांक	शिकायत कर्त्ताओं के नाम	शिकायत का विवरण
1.	19-3-76	श्री राम प्रसाद मिश्रा, लालसोट	सहायक अभियन्ता द्वारा पोल खड़े करने, ट्रान्सफार्मर रखे जाने, देवली ग्राम को फाइल प्राथमिकतानुसार जमा न करना, बोर्ड नियमों का उल्लंघन।
2.	2-6-76	श्री मीठालाल मीणा, विधायक राजस्थान विधान सभा, क्षेत्र लालसोट	प्रार्थना-पत्रों में चाहे गये विद्युत संबंध की अश्व शक्ति को कम करने के सम्बंध में निकले 19-5-76 के प्रपत्र से परेशानी।
3.	25-6-76	श्री मीठालाल मीणा, विधायक, राजस्थान विधान सभा, क्षेत्र लालसोट,	सहायक अभियन्ता द्वारा आई.सी. लालसोट में अनियमिततायें एवं अवैधानिकतायें करने के सम्बंध में।
4.	7-8-76	श्री घीसासिंह पुत्र भैरूसिंह	प्रार्थना-पत्र रद्द करने के सम्बंध में।
5.	17-9-76	श्री मूलचन्द सांमरिया, विधायक, राजस्थान विधान सभा, क्षेत्र दौसा श्री मीठालाल मीणा, विधायक, लालसोट क्षेत्र, किसान नांगल अभैयपुरा, श्री ग्यारसा बलाई, निजामपुरा, श्री मनफूल राम मीणा, नांगल अभैयपुरा, रामप्रसाद मीणा	ग्रामीण विद्युतिकरण योजना में सहायक अभियन्ता द्वारा अनुसूचित जाति के कृषकों को कनेक्शन न देने का षड्यंत्र, नांगल अभैयपुरा में ट्रान्सफार्मरों का ठीक न रखा जाना, निजामपुरा के ग्यारसा बलाई के कुए पर महाजन को विद्युत सम्बंन्ध देना।

शिकायत पत्रों की सूची जो कार्यालय मुख्य अभियन्ता (आ. वि.) में प्राप्त हुई।

क्रमांक	दिनांक	शिकायतकर्त्ताओं के नाम	शिकायत का विवरण
1		2	3
1.	26-4-76	श्री रामप्रसाद मिश्र, लल्लू प्रसाद, जांगिड़, श्री वृज किशोर शर्मा, विनोद एण्ड कम्पनी, दौसा, किसान मिर्जापुरा	सहायक अभियन्ता, लालसोट द्वारा मिर्जापुरा में प्राथमिकता भंग गलत एस्टीमेट, दौसा में लिये गये प्रार्थना-पत्रों की लालसोट में गलत प्रार्थमिकता देना आदि।

1		2	3
2.	30-5-76	श्री जवानसिंह आरण्याकलां	भूतपूर्व सैनिक होने के कारण प्राथमिकता में रियायत देकर विद्युत् सम्बंध देने के क्रम में।
3.	8-7-76	श्री जनता मीणा, अमराबाद	कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा कनेक्शन देने हेतु हस्ताक्षर ले कर कनेक्शन न देने के प्रयोग में भ्रष्टाचार।
4.	14-9-76	श्री घनश्याम शर्मा	दिलाये जाने कनेक्शन ग्राम देहुलाल
5.	14-9-76	श्री लक्ष्मण पुत्र गारिया, नानगा पुत्र चन्दा, रेवड़ पुत्र गोरिया	दिलाये जाने विद्युत् सम्बंध ग्राम अमरावाद।
6.	17-9-76	श्री जनता काश्तकार, ग्राम रामगढ-पचवारा श्री ईश्वर लाल मीणा, श्री गोपाल मीणा	ग्राम रामगढ़-पचवारा के काश्तकारों के सूचना पत्र निकलवाने, पैसे जमा करने, कनेक्शन देने में असुविधायें एवं अनियमिततायें।
7.	20-9-76	ग्राम जनता एवं अनुसूचित/जन जाति के उपभोक्ता, रामगढ़ पचवारा	दिलाये जाने भवनों के विद्युत् कनेक्शन ग्राम रामगढ़-पचवारा।
8.	22-9-76	श्री नाथू, दूदां, केसरा, भीमा पुत्र रामकुमार मीणा, नांगल अभयपुरा	7-5 हॉर्स पावर के विद्युत् सम्बंध का प्रार्थना-पत्र स्वीकार करवाने हेतु

शिकायत पत्रों की सूची जो कार्यालय अधीक्षक अभियन्ता (जयपुर जिला वृत्त) में प्राप्त हुये

क्रमांक	दिनांक	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत का विवरण
1	2	3	4
1.	7-9-75	श्री मांगीलाल मीणा व अन्य किसान, मिर्जापुर	ग्राम मिर्जापुरा में सिक्यूरिटी फीस, एल-फार्म जमा करने पर भी कनेक्शन न देने बाबत ।
2.	2-3-76	श्री रामप्रसाद मिश्रा	सहायक अभियन्ता के न रहने पर परेशानियां:— (क) कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं करता है । (ख) डाक बाबू डाक नहीं लेता है । (ग) नोटिस सही जगह पर नहीं लगाये जाते । (घ) सभी ग्रामों के प्रार्थना-पत्र नहीं लिये जा रहे हैं ।
3.	23-6-76	श्री चौथमल छोगालाल ब्राह्मण, अरण्या कला, श्री रामप्रशाद मिश्र, लालसोट	ग्राम अरण्या कलां में छोटा किसान को प्राथमिकता देकर कनेक्शन देने हेतु 4 फरवरी, 76 का प्रार्थना-पत्र है ।
4.	9-7-76	श्री मीठालाल मीणा, विधायक, राजस्थान विधान सभा, क्षेत्र लालसोट श्री रामप्रसाद मिश्रा, लालसोट, ग्राम जनता, लालसोट तहसील, श्री रामेश्वर भराया, श्री शम्भूसिह एवं श्री रामलाल विलास शर्मा, सदस्य, कृषि उपज मण्डी समिति, दौसा	सहायक अभियन्ता द्वारा अवैधानिकतायें एवं अनियमिततायें हीरा, प्रभात गूजर, ग्राम डेहलाल को नियमानुसार कनेक्शन न देना, प्रार्थी के पत्र को खारीज किया जाना, प्राथमिकता 1, 4, 5 के किसानों के आवेदनों के बारे में निर्णय न लेना आदि ।

1	2	3	4
5.	2-9-76	श्री रामनाथ पुत्र धन्ना, श्री सुवालाल पुत्र गोपीलाल, श्री रामगोपाल पुत्र रामलाल	फरवरी के प्रार्थना-पत्रों को कनेक्शन दिलवाने हेतु, ग्राम, देहलाल ग्राम, देहलाल के प्राथमिकता 3 से आगे के मांग-पत्र नहीं निकालना।
6.	4-9-76	किसान, विडोली	विडोली ग्राम के कम्बाइण्ड एस्टीमेट बनाकर डिमाण्ड नोटिस निकाले।
7.	17-9-76	श्री मीठालाल मीणा, विधायक, राजस्थान विधान सभा, क्षेत्र लालसोट श्री रामप्रसाद मिश्र, लालसोट	एस्टीमेट बनाने की प्रक्रिया सही नहीं है, जुलाई में ग्रुप बनाना, अगस्त में नहीं बनाना, गलत ग्रुप बनाना, गलत एस्टीमेट बनाना।
8.	17-9-76	श्री मीठालाल मीणा, विधायक, राजस्थान विधान सभा, क्षेत्र लालसोट	श्री रामप्रसाद मिश्र द्वारा की गई शिकायतों की पूरी जांच करें:— (क) 75-76 में विद्युतिकरण हेतु घोषित 25 ग्रामों में ट्रान्सफार्मरों का न रखा जाना। (ख) प्रार्थना-पत्र कभी ठेकेदार से लेना कभी प्रार्थियों से लेना।
9.	17-9-76	श्री हड्या जनसी चन्द्र मीणा, ग्राम निजामपुरा।	विद्युत् सम्बन्ध देने हेतु सूचना दिलवाने की कार्यवाही करें।

शिकायत पत्रों को सूची जो कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता (जिला संभाग–द्वितीय में प्राप्त हुई)

क्रमांक	दिनांक	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत का विवरण
1.	19-6-76	श्री रामविलास शर्मा, सदस्य, कृषि उपज मण्डी समिति, दौसा	सहायक अभियन्ता, लालसोट द्वारा मांग-पत्र जारी करने में विलम्ब।
2.	27-9-76	श्री नारायण मीणा, रामगढ़ पचवारा एवं श्री नारायण, श्री भूरा मीणा, ग्राम रामगढ़ पचवारा।	18-9-75 के प्रपत्र की अवहेलना व रामगढ़ पचवारा में गलत इन्टीमेशन।

कृषि उपज मंडी किशनगढ़ में मंडी यार्ड के निर्माण का कार्य

47. श्री प्रतापसिंह (किशनगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कृषि उपज मंडी किशनगढ़ कब स्थापित की गई और मंडी शुल्क की वसूली कब से की जा रही है ? प्रत्येक वर्ष की मंडी शुल्क की वार्षिक आय क्या है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) कृषि उपज मण्डी के आय का कितना भाग मण्डी के विकास के लिए व्यय किया जा रहा है ? मण्डी बजट में इसके लिए क्या क्या प्रावधान हैं ?

(3) क्या यह सही है कि मण्डी यार्ड के निर्माण का कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है ? यदि हां, तो कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा और पूर्ण कब तक करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, मदनगंज किशनगढ़ की स्थापना 22-4-65 को हुई थी। इस मण्डी द्वारा मण्डी शुल्क की वसूली दिनांक 2-6-68 से की गई। वर्ष-वार मण्डी शुल्क की आय निम्न प्रकार है:—

1968-69	14,501/-
1969-70	22,902/-
1970-71	32,392/-
1971-72	39,131/-
1972-73	28,359/-
1973-74	90,773/-
1974-75	2,02,207/
1975-76	4,18,414/-

(2) मण्डी समिति मदनगंज किशनगढ़ के पास अभी तक स्वयं का भू-खण्ड न होने के कारण विकास के कार्य हाथ में नहीं लिये जा सके हैं। हाल ही दिनांक 21-6-76 को मण्डी समिति को नये भू-खण्ड का कब्जा प्राप्त हुआ है। अस्तु अब मण्डी समिति अपने विकास के लिये प्रस्ताव पारित कर कार्यवाही कर सकेगी।

(3) जी, हां। मण्डी यार्ड के लिये भूमि उपलब्ध न होने के कारण अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था। अब चूंकि मण्डी समिति को भू-खण्ड प्राप्त हो गया है अस्तु निर्माण सम्बन्धित कार्यवाही करने की पहल की जा सकेगी।

तहसील विराटनगर के गांवों की अपूर्ण सड़कें

48. श्री हनुमानसहाय व्यास (बैराठ) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की तहसील विराटनगर में मेड़ से मनोहरपुर वाया पालड़ी, खोरा लाड़खानी, सरामा तथा सामोद से अमरसर एवं अमरसर से अजीतगढ़ तथा खेतोली-बिलान्दरपुर-अमरसर एवं साहीवाड़ से बाड़ी जोड़ी तथा बैराठ से आंतेला वाया छीतोली एवं साहीवाड़ से विशनगढ़ सड़क

(श्री हनुमानसहाय व्यास)
निर्माण के कार्य प्रारम्भ किये गये थे ? यदि हां, तो किस किस वर्ष में और इन पर कितनी कितनी धनराशि व्यय की गई ?

(2) क्या यह सही है कि अभी तक यह सड़कें अपूर्ण हैं ? यदि हां, तो इनके कब तक पूर्ण होने की योजना है ?

उत्तर

(1) जी हां । व्यय की गई धनराशि संलग्न सूची (क) में वर्णित है ।

(2) यह सड़कें अभी अपूर्ण हैं । धनाभाव के कारण पूर्ण होने का समय निश्चित नहीं किया जा सकता ।

(सूची क)

क. सं.	नाम सड़क	स्वीकृति का संदर्भ	व्यय धन राशि	
1	2	3	4	
1.	जयपुर त्रिवेणी (एडवांस प्लान)	सी. ई. नं. एफ.सी .एस./ फैमिन सेल 74-75 पार्ट द्वितीय, दिनांक 16.1-75	74-75	97,392.00
			75-76	2,51,225.00
				3,48,617.00
2.	मेड से मनोहरपुर वाया पालड़ी	अकाल स. आयुक्त एवं उप शासन सचिव पत्रांक 1 स. आ./खरीफ 72-73/3375-64, दि. 7-3-73	72-73	1,92,914.00
3.	खोरा लाडखानी	74-75 राज्य सरकार पत्रांक 2 (97) पी. डब्ल्यू ए. एस./ 74/डी. वी. /2986, दिनांक 27-11-74	74-75	980.00
			75-76	4,895.00
			76-77 अपटू अगस्त, 76	1,47,660.00
				1,53,544.00
4.	सगाना	रा. सं. पत्रांक एफ. 2(113) पी. डब्ल्यू. ए. एस./71, दि. 8-11-71	71-72	1,272.00
			72-73	8,994.00
			74-75	2,3100.00
			75-76	1,6919.00
				50,285.00

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

1	2	3		4
5.	सामोद से अमरसर	एफ. 2 (34) पी. डब्ल्यू. ए./ ए. एस./75,/दि. 24-9-75	अप्रेल 71-72	2,07,6[illegible]2
			„ 75-76	4,33,206
			„ 76-77	
			„ अगस्त,	61,368:00
				7,02,196.00
6.	अजीतगढ़-अमरसर	—		यह सड़क पूर्ण है।
7.	खेतौली-बिलान्दर-पुर-अमरसर	एफ. 2 (113) पी.डब्ल्यू./ए. एस./71, दिनांक 30-11-72/	71-72 से 72-73	32,476.00
			74-75 से 75-76	6,664.00
				39,140.00
8.	साईवाड़ से बाड़ी जोड़ी	1 (9) स. ग्रा. खरीफ 72-73/11000-6, दि. 21-2-73	72-73	6,621.00
			73-74	84,942.00
				51,563.00
[illegible]	[illegible]	एफ. 1 (9) स. ग्रा. (खरीफ) [illegible] -73	73-74	1,37,469.00
			[illegible]	[illegible] 00
				2,20,471.00
10.	साईवाड़ से बिशनगढ़	अ. स. ग्रा. पत्र संख्या एफ: 1(9) स. ग्रा. खरीफ 72-73/1000-6, दिनांक 21-2-73	72-73	4,323 00
				1,20,004.00
				1,24,227.00

टोंक जिले में कुओं पर बिजली के कनेक्शन

49. श्री अजीतसिंह (टोंक) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) टोंक जिले में कुओं पर बिजली के कनेक्शन देने हेतु राज्य सरकार कितना धन इस वर्ष खर्च करेगी ? कृपया ब्यौरेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार टोंक जिले की विकास समिति द्वारा प्रस्तावित गांवों को बिजली देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो प्रस्तावित गांवों को किस क्रम से बिजली दी जायेगी ? सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 1976-77 में 18.48 लाख रुपये का प्रावधान है। सूची संलग्न है।

(2) जिला कृषि उत्पादन समिति, टोंक ने जिले की विभिन्न पंचायत समितियों के 81 ग्रामों के विद्युतिकरण की सिफारिश की है। सूची संलग्न है। नोर्मल आर. ई. प्रोग्राम के अन्तर्गत धनाभाव के कारण इतने ग्रामों का एक साथ विद्युतिकरण करना संभव नहीं है। ग्रामीण विद्युतिकरण निगम के माध्यम से प्रयत्न किये जायेंगे।

STATEMENT SHOWING THE DETAILS OF EXPENDITURE TO BE INCURRED DURING THE YEAR 1976-77 FOR GIVING AGRICULTURAL CONNECTION IN TONK DISTRICT

Year 1976-77	State Plan Funds	REC Uniara	REC Newai
1. 11 KV works (lines & Sub-Stations)	4,96,000.00	2,60,000.00	3,80,000.00
2. Distribution works (Below 11 KV lines)	50,000.00	1,00,000.00	3,80,000.00
3. Service Connection (Meters etc.)	2,00,000.00	42,000.00	20,000.00
Total....	7,46,000.00	4,02,000.00	7,00,000.00

Grand Total: Rs. 18,48,000.00

Page No 92

(92)

(विद्युत् मंत्री)

जिला कृषि उत्पादन समिति द्वारा प्रस्तावित ग्रामों की सूची

वर्ष 1975-76 : पंचायत समिति, टोंक :

बम्भोर, सोरल, छोड़ा वाड़ा, लाक, गेहलोत, अहमदपुरा, चौकी, खुरेदा, घास, चराई, नुरपुरा बाड़ा, सुकरपुरा, महगांव, बोरखण्डीखुर्द, अलीपुरा, पालेड़ी, हसनपुरा, रहीमपुरा, जावती, मालीपुरा, इस्लामपुरा, युसुफपुरा, ठीकरिया, श्योपुरा, नयागांव, खुरेड़ा, बनवाड़ा, खदेड़ा, केटथाना, बगड़वा, नौरंगपुरा, हरीपुरा, रानोली, सगाई, बावड़ी, लोहरवाड़ा, किशनपुरा, अहमदपुरा व रहीमपुरा।

पंचायत समिति, उनियारा :

सूरजपुरा, खेड़ा, गोटड़ा, सुगनपुरा, विजयगढ़, विजनारी, फुलेरा, भोजपुरी, खेलनिया, किकोला, मालपुरा, बाजोलिया, देवरी व खोहल्या।

पंचायत समिति, देवली :

रामथला, कीजवाड़ा, मालेड़ा, बड़ला व डामर।

वर्ष 1976-77-पंचायत समिति, टोंक :

हरमावता, मोरटिया, श्रीरामपुरा, रामचन्द्रपुरा, छापड़ी, जुरकिया, नांगल नरहर, दयालपुरा, विजपुरी, गोरधनपुरा, नटवारा, भांकवा, अभयपुरा, बडोरिया, छोरिया, मनोहरपुरा, जगतपुरा, आकोड़िया, मंड़कपुरा, जोधपुरा व राजमहल।

गोबर खाद हेतु गोशालाओं को अनुदान

50. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) गोबर से खाद तैयार करने के लिये कृषि विभाग किन किन संस्था या व्यक्तियों को अनुदान देती है ?

(2) क्या यह सही है कि ऐसी खाद तैयार करने का कार्य राजस्थान की गोशालाएं अच्छा कर सकती हैं ?

(3) यदि हां, तो आज तक कितनी गोशालाओं को ऐसा अनुदान दिया गया ? और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कृषि विभाग द्वारा गोबर से खाद तैयार करने के लिए किसी संस्था अथवा व्यक्ति को कोई अनुदान नहीं दिया जाता है।

(2) जी, हां।

(3) गोशालाओं को भी खाद बनाने हेतु अनुदान देने का कोई प्रावधान नहीं है।

कुरज (तहसील रेलमगरा) में बनास नदी पर पुल का कार्य

51. श्री नानालाल (राजसमन्द): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में 1973 की बाढ़ के कारण कितने पुल व कॉजवे टूटे ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(श्री नानालाल)

(2) केन्द्रीय सरकार से उक्त बाढ़ से टूटे पुलों को बनाने हेतु कितनी धनराशि किस किस पुल के लिए स्वीकृत की गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त बाढ़ से टूटे पुलों में से किस किस को वापस तैयार कर दिया है तथा कौन कौन से शेष हैं ?

(4) क्या यह सही है कि रेलमगरा तहसील (जिला उदयपुर) में कुरज के पास बनास नदी पर जो पुल (कॉजवे) बना हुआ था वह उक्त बाढ़ के कारण टूट गया था और इसके कारण सम्पूर्ण तहसील की जनता परेशान है ? यदि हां, तो इसे क्यों नहीं बनाया गया तथा अब यह कार्य कब प्रारम्भ कर कब तक पूरा कर दिया जायगा ?

(स्थगित किया गया)

जयपुर शहर में बिजली की थ्री फेस लाइन

52. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में किन-किन मोहल्लों में सिंगल फेस लाइन डाली हुई है तथा एक सिंगल फेस लाइन के ऊपर नियमानुसार कितने कनेक्शन दिये जाने चाहिये ?

(2) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में कई मोहल्लों में सिंगल फेस लाइन पर अत्यधिक कनेक्शन दे दिये जाने के कारण घरों में सौ वोल्टेज के बल्ब बहुत कम रोशनी देते हैं तथा ट्यूब लाइट्स व रेडियो आदि सायंकाल से देर रात्रि तक कार्य नहीं करते हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार जिन मोहल्लों में सिंगल फेस पर अत्यधिक कनेक्शन दिये हुए हैं वहां पर थ्री फेस लाइन डालकर वहां के निवासियों को बिजली का पूरा पावर दिये जाने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या यह सही है कि चौकड़ी रामचन्द्रजी, ब्रह्मा मार्ग, राजकीय गर्ल्स मिडिल स्कूल, पानों का दरीबा (मिशन स्कूल) जयपुर के पीछे बिजली का पावर अत्यधिक कम होने के बारे में सहायक अभियन्ता (ए-जोन-1) जयपुर के मोहल्ले वालों का ओर से पूरा पावर दिये जाने का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था ?

(5) क्या सरकार उक्त मोहल्ले में थ्री-फेस लाइन डलवाकर मोहल्ले वालों को बिजली का पूरा पावर उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है । विभिन्न सिंगल फेस लाइनों में अलग अलग क्षमता का तार आवश्यकतानुसार डाला जाता है । हर लाइन पर अलग अलग लोड रहता है ।

(2) जी हां । कुछ सिंगल फेज सर्किट्स में यह कठिनाई लाइन की लम्बाई एवं कनेक्शनों का भार अधिक हो जाने के कारण है ।

Page No 94

(94)

(विद्युत मंत्री)

(3) जी हां, उपलब्ध धनराशि के अनुसार सुधार (ऑगमेन्टेशन) के कार्य किये जाते हैं ।

(4) जी हां । 4 मोहल्लों में 30-9-76 तक सिंगल फेज लाइन को 3 फेज में बदल दिया गया है । शेष 8 मोहल्लों का कार्य इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जायेगा ।

(5) जी हां ।

जयपुर शहर के मोहल्लों की सूची जिनमें सिंगल फेज लाइन है

1. घी वालों का रास्ता, दाई की गली (चौकड़ी घाटगेट)
2. मेहता मार्ग, सूरज पोल बाजार (चौकड़ी तोपखाना हुजूरी)
3. घी वालों का रास्ता, चूड़ी वालों का मोहल्ला (चौकड़ी घाटगेट)
4. रास्ता ठाकुर पचेवर, भारत टेक्सटाइल्स (चौ. घाटगेट)
5. घोड़ा निकास रोड मा. तेलियान (चौ. रामचन्द्र जी)
6. हल्दियों का रास्ता, दरोगाजी की हवेली (चौ. घाटगेट)
7. रास्ता महरों का मोचियों का चौक (चौ. घाटगेट)
8. जोगियों का टीबा (चौ. रामचन्द्र जी)
9. पट्टों का रास्ता (चौ. तोपखाना हुजूरी)
10. रास्ता बाला जी का सातमुद्दीन वकील के पीछे (चौ. तोपखाना हुजूरी)
11. ब्रह्म मार्ग, गर्ल्स मिडिल स्कूल (चौ. रामचन्द्र जी)
12. जगन्नाथ के रास्ते का कुछ भाग (चौ. रामचन्द्र जी)
13. नागों का खुर्रा रामगंज (चौ. घाटगेट)
14. नागों के खुर्रे से फूटे खुर्रे तक (चौ. घाटगेट)
15. मोहल्ला महावतों का रास्ता गीजगढ़ (चौ. तोपखाना)
16. लुहारों का खुर्रा (चौ. घाटगेट)
17. चमारों का मोहल्ला (चौ. तोपखाना)
18. रास्ता महन्त निवाई का (चौ. घाटगेट)
19. खुर्रा कांवटिया मोहल्ला कमनीगरान (चौ. रामचन्द्र जी)
20. खुर्रा कांवटिया (चौ. रामचन्द्र जी)
21. मोहल्ला चीतेलावान (चौ. रामचन्द्र जी)
22. सुमेरकरण की गली (चौ. तोपखाना)
23. रैगर बस्ती, रैगरों की कोठी (चौ. घाटगेट)
24. पचरंग पट्टी बास बदनपुरा (चौ. हवाली शहर)
25. मोहल्ला बक्षी हेमराज पानों का दरीबा (चौ. रामचन्द्र जी)
26. पाडिया की गली, दरीबा पान (चौ. रामचन्द्र जी)

(विद्युत् मंत्री)

27. शीतला माता की गली (चौ. पुरानी बस्ती)
28. रास्ता नीलगरान (चौ. रामचन्द्र जी)
29. रास्ता सिलावटों का, मोहल्ला फर्रासों, दरीबा पान (चौ. रामचन्द्र जी)
30. मिशन स्कूल के पीछे दरीबा पान (चौ. रामचन्द्र जी)
31. धन्नादास की बगीची
32. नाना जी का बाग
33. लोढों का मोहल्ला
34. गली मर्दान खां कमेले की गली
35. बारा गणगौर का रास्ता
36. बरकत कालोनी
37. तुलसीदास जी की बगीची
38. रमन मार्ग, तिलक नगर
39. राजा पार्क, सिन्धी कॉलोनी
40. जनता कॉलोनी
41. सिवांड़ एरिया
42. गांधी नगर 'एफ' टाइप क्वार्टर
43. ज्योति मार्ग, बापू नगर
44. एवरेस्ट कॉलोनी
45. गुरुनानकपुरा, राजा पार्क
46. नायकों का टीबा
47. झालाना खेड़ा
48. शिवाजी मार्ग, तिलक नगर
49. सोढ़ियों का रस्ता
50. झाड़ू का रास्ता
51. टिक्की वालों का रास्ता
52. गनेश मोदी की गली, रास्ता झालानियों का
53. तितर वाडियों की गली, दरबार मिडिल स्कूल के पास
54. अंधेरी दरवाजा
55. गुन्दी वालों का चौक
56. मालियों का चौक, खेजड़ों का रास्ता
57. मान कायस्थ का चौक, खजाने वालों का रास्ता
58. भिन्डों का रास्ता,
59. निन्दड़ राव जी का रास्ता
60. बद्रीनाथ जी का चौक
61. खूटेटों का रास्ता, मूर्ति मोहल्ला

(विद्युत् मंत्री)

62. सुभाष मार्ग, बगड़िया भवन, बैंक साइड
63. रमेश मार्ग, सी स्कीम
64. युधिष्ठिर मार्ग
65. करतार पुरा कच्ची बस्ती
66. बाइस गोदाम कच्ची बस्ती
67. राम नगर कॉलोनी, हवा सड़क
68. भगत वाटिका, मदरामपुरा
69. अजमेर रोड, हथरोई स्कूल के पास
70. जालूपुरा, अनाज मण्डी के पास
71. जालूपुरा मस्जिद के पास
72. नवलगढ़ हाउस के पीछे का भाग

इन्जिन युक्त साईकिल रिक्शा

53. श्री करणसिंह (डीग) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि देश की एक मशहूर कम्पनी ने साईकिल रिक्शा के लिए स्वचालित इन्जिन का आविष्कार किया है, और उसका प्रदर्शन भी तत्कालीन यातायात मन्त्री के समक्ष किया गया था, तथा एक स्थानीय फर्म ने सरकार से इस विषय में अनुमति मांगी है? यदि हां, तो क्या इस विषय में अनुमति दी गई है या नहीं? और नहीं तो अब तक की क्या प्रगति है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त इन्जिन युक्त साइकिल रिक्शा को महाराष्ट्र, पंजाब, आन्ध्रप्रदेश व दिल्ली प्रान्तों की सरकारों ने यातायात नियमों में छूट दी है, और कर से मुक्त कर दिया है? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त इन्जिन युक्त साईकिल रिक्शे से गरीब रिक्शा चालकों को शारीरिक राहत मिलेगी? यदि हां, तो इस विषय में राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) जी हां। किलोस्कर एवं रैलिस इण्डिया ने स्वचालित रिक्शा का विकास किया है ऐसी सूचना राज्य सरकार को मिली है। मन्त्री महोदय के समक्ष किए गए प्रदर्शन की कोई जानकारी नहीं है। जयपुर की मैसर्स बम्बई सैल्स एजेन्सीज तथा मैसर्स नम्रता एजेन्सीज ने करों में छूट देने के लिए आवेदन किया था। करों में छूट नहीं दी गई है। परिवहन आयुक्त से राय मांगी गई थी। उन्होंने इस विषय में अन्य राज्यों से राय मांगी है। राज्य सरकार परिवहन आयुक्त की राय प्राप्त होने पर कार्यवाही करेगी।

(2) सम्बन्धित राज्य सरकारों से जानकारी प्राप्त की जा रही है।

(3) विषय विचाराधीन है।

(97)

उप तहसील मासलसर के गांवों का विद्युतिकरण

54. श्री बृजेन्द्रपालसिंह (करौली) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उप तहसील, मासलपुर (सब डिविजन करौली) के गांवों का विद्युतिकरण करने की योजना बनाई गई है ?

(2) यदि हां, तो जिन गांवों का विद्युतिकरण किया जायेगा । उनके नाम बताने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) जी हां । योजना का प्रारम्भिक प्रारूप तैयार किया जा चुका है परन्तु तकनीकी दृष्टि से कुछ कमियां पाई गई हैं । जिनको दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

(2) प्रस्तावित गांवों की सूची संलग्न है । हो सकता है कि तकनीकी दृष्टि से गांवों में कुछ हेर फेर करना पड़े ।

LIST OF VILLAGES PROPOSED UNDER THE TENTATIVE REC (MF) SCHEME OF P.S. KARAULI.

S. No.	Name of village	Code No.
1	2	3
(1)	Chainpura	50
(2)	Fatehpur	53
(3)	Bhavli	115
(4)	Kasara	114
(5)	Raghupura	110
(6)	Masalpur	104
(7)	Karoli	148
(8)	Guasra	148
(9)	Mauch	149
(10)	Shyampur	33

(९८)

(विद्युत् मंत्री)

1	2	3
(11)	Pantoli	32
(12)	Bijpuri	132
(13)	Doodapura	181
(14)	Harnagar	187
(15)	Mahoo	186
(16)	Saseri	133

बीर ग्राम को अजमेर डिपो के अन्तर्गत रखने की मांग

55. श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि पहले बीर ग्राम (अजमेर) को अजमेर डिपो की बसें जाया करती थीं ?

(2) क्या यह भी सही है कि अब बीर ग्राम (अजमेर) को कोटा डिपो के अन्तर्गत दे दिया है जिससे वहां के निवासियों को समय पर बसों की सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है ?

(3) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार पुनः बीर ग्राम को अजमेर डिपो के अन्तर्गत रखने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, बीर ग्राम को जाने वाली बसों का संचालन दिनांक 15-4-76 से कोटा-आगार द्वारा किया जा रहा है। लम्बी दूरी तथा वर्षा के कारण वर्षा-काल में वाहनों के समुचित संचालन में व्यवधान के फलस्वरूप कभी कभी समय की पूरी पाबन्दी नहीं रखी जा सकी।

(3) यह प्रश्न विचाराधीन है।

परिशिष्ट 3

तारांकित प्रश्न संख्या 25 की सूची

SANCTIONED REC SCHEME OF P. S. DANTA RAMGARH DISTRICT SIKAR

Phasing:—

S. No.	Name of the village	Code No.
1	2	3
Ist year.		
1.	Ralaota	9/6/26
2.	Nimera	27
3.	Tambakupura	28
4.	Maksudpura	59
5.	Khandelsar	60
6.	Chihala	62
7.	Raghunathpura	64
8.	Sawaipura	65
9.	Kochhor	66
10.	Rooppura	68
11.	Lachhamanpura	69
12.	Reta	70
13.	Khatiwas	89
14.	Dookiya	90
15.	Dowti	91

1	2	3
16.	Barsinghpura	54
17.	Ladhana	56
18.	Raipura	58
19.	Roopgarh	22
20.	Mohanpura	23
21.	Dheejpura	72
22.	Dudwa	71
23.	Kantiya	75
24.	Neemawas	76
25.	Dalatpura	77
26.	Heerwas	78
27.	Bajyawas	79
28.	Balloppura	80
29.	Chak Khandelsar *	61
30.	Kerpura*	67
31.	Chak Ladhana*	55
32.	Chak Tilokpura*	57
33.	Chak Chihala*	63
2nd Year.		
34.	Ganora	73
35.	Dantla	74

1	2	3
36.	Khora	81
37.	Kailas	83
38.	Dheengpur	84
39.	Sooratram-ki-Dhani	85
40.	Bagwanpura	86
41.	Khariyawas	87
42.	Samer	88
43.	Ladpur	100
44.	Shyami Ki Dhani	99
45.	Kerpura	101
46.	Lamiya	102
47.	Chak Kailas	103
48.	Nadacharanwas	104
49.	Dhani Chetan-das	52
50.	Majipura	53
51.	Gordhanpura	93
52.	Mandha	94
53.	Mandni	95
54.	Sanwalpura	96
55.	Aloda	97
56.	Chak Majipura	92

* Non—Potential villages

SANCTIONED MF SCHEME OF P. S. KHANDELA (SIKAR)
VILLAGES TO BE ELECTRIFIED

S.No	Name of the village	Code No.
1.	Gurara	9/5/15
2.	Sevli	1
3.	Paniharwas	3
4.	Guwaria	2
5.	Fatehpura	15
6.	Bahadurpura	54
7.	Chhara	17
8.	Govindpura	55
9.	Udaipura	57

तहसील श्री माधोपुर (सीकर) की ग्रामीण विद्युतिकरण निगम की योजनाएँ

पंचायत समिति, श्री माधोपुर

1. जलालपुर
2. कालया
3. लिसारिया
4. चकमान नॉन पोटेंशियल
5. पुजारी का वास
6. आशपुरा
7. नालौत
8. गैस ताकनेट
9. हाथोड़ा
10. चक जसवंतपुरा नॉन पोटेशियल
11. शीपुर
12. चारणवास

पंचायत समिति, खण्डेला

13. तिवाड़ी की ढाणी
14. फतहपुरा
15. पदमपुरा
16. नवरंगपुरा
17. श्योपुरा
18. डालयावास
19. बेरी चारनान
20. जानकीपुरा
21. सनवतपुरा बुलथाना
22. सवाईपुरा पुजारी का वास
23. वादुन्द्रा
24. सूरपुरा
25. सनवतपुरा जेठा की ढाणी
26. सामोतन का वास
27. शाहपुरा

28. माधो का वास
29. दूलेपुरा
30. सुजाना
32. समघपुर
32. हमीरपुरा कलान
33. वालवार
34. सुखसिंह का वास
35. कवाडी
36. बाल्या वास
37. झालरी
38. भोरमपुर
39. उदलवास सापुरा के साथ
40. थोई
41. कराधा
42. शीलपुर
43. गोपालपुरा
44. कल्याणपुरा
45. देवीपुरा
46. बिरोती मनसापुरा
47. हाथीदेह हरदास का वास
48. नारेन
49. सुरेही
50. जयरामपुरा
51. चक जयरामपुरा-नॉन पोटेंशियल
52. नरसिंहपुरा
53. किशनपुरा
54. धर्मपुरा नॉन पॉटेंशियल
55. खण्डेला चक नं. 1 नॉन पोटेंशियल
56. खण्डेला चक नं. 2 ,,
57. चक बासरा ,,
58. चक धुलेपुरा नं. 1 ,,
59. प्रतापपुरा ,,
60. चक होड ,,
61. छाजू ,,
62. चक छाजूमा नॉन पोटेंशियल
63. सील की बारा
64. चक धुलेपुरा नं. 2नॉन पोटेंशियल
65. बिहारीपुरा ,,
66. चक किशनपुरा ,,
67. चारनवास
68. चक बहूजी की ढाणी नॉन-पोटेंशियल
69. चारनवास भोपालपुरा
70. कासरदा
71. रानीपुरा
72. रामदास का वास

(104)

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 28 की सूची)

विभिन्न जिलों (जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्षेत्र) में गठित विधि सहायता] समिति को विधिक सहायता हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों की सूची।

जिले (जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्षेत्र)	कुल आवेदन पत्र	स्वीकृत	अस्वीकृत	लम्बित	बैठकें
1. अजमेर	10	9	—	1	8
2. अलवर	8	8	—	—	2
3. भरतपुर	35	20	1	14	19
4. भीलवाड़ा	23	17	—	6	14
5. बीकानेर	17	5	7	5	8
6. बांसवाड़ा	5	3	—	2	5
7. गंगानगर	2	1	—	1	2
8. जयपुर नगर	7	4	—	3	4
9. जयपुर जिला	7	4	1	2	6
10. झुंझुनू	7	3	—	4	14
11. कोटा	81	72	—	9	38
12. मेड़ता (नागौर)	9	9	—	—	10
13. पाली	15	9	—	6	7
14. उदयपुर	11	8	—	3	6
15. बालोतरा (बाड़मेर)	10	8	2	—	3
16. प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़)	9	7	1	1	3
17. उच्च न्यायालय, जोधपुर	28	28	—	—	—
योग-	284	215	12	57	149